बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

वर्ष 36 ■ अंक 02 आईएसएसएन 2457-015X अक्तूबर 2024 - मार्च 2025

सदस्य

Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय-सूची

संपादक मंडल 1

संरक्षक का संदेश 2

संपादकीय 3

भाषण

- शिकायत निवारण का बदलता स्वरूप: एआई का लाभ — संजय मल्होत्रा 5

आलेख

- भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण: एक विस्तृत विश्लेषण — डॉ. मधुशील आयिल्यत 10
- उद्गम (UDGAM) - भूली बिसरी जमाराशियों तक पहुँचने का बेहतरीन जरिया — डॉ.संजय कुमार 14
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 उद्देश्य, दिवालियापन समाधान प्रक्रिया, चुनौतियाँ और आगे का रास्ता — परवेज़ अख़्तर 19
- कारोबार प्रतिनिधि (बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट)'- हमारा चलता फिरता बैंक — डॉ शैलजा सिंह 25
- भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका — नूपुर खरे 29
- हरित वित्त : वर्तमान और भविष्य — डॉ पद्माकर द्विवेदी 33
- जमा संग्रहण में रिलेशनशिप बैंकिंग का बढ़ता महत्व — राजेन्द्र सिंह 39
- जाली नोट की पहचान, रिपोर्टिंग और अनुवर्तन स्थायी स्तंभ — विनय कुमार पाठक 44

स्थायी स्तंभ

- रेग्युलेटर की नज़र से — ब्रिज राज 48
- घूमता आईना
  - (राष्ट्रीय खंड) — डॉ. करुणेश तिवारी 53
  - (अंतरराष्ट्रीय खंड) — डॉ. गौतम प्रकाश 57

श्री अरविंद कुमार चतुर्वेदी, महाप्रबंधक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा एक्मे पैक्स और प्रिंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से मुद्रित।

इंटरनेट : https://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।

ई-मेल : rajbhashaco@rbi.org.in फोन : 022-26572801

संपादक मंडल

संरक्षक

एन सारा राजेन्द्र कुमार
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

अध्यक्ष

ब्रिज राज
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रबंध संपादक

अरविंद कुमार चतुर्वेदी
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

कार्यकारी संपादक

अंजली अभ्यंकर
उप महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य

मनोज कुमार पोद्दार
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

आशीष सौरभ
उप महाप्रबंधक एवं संकाय
भारतीय रिज़र्व बैंक

अभिषेक कुमार
उप महाप्रबंधक एवं संकाय
भारतीय रिज़र्व बैंक

दिवाकर झा
सहायक महाप्रबंधक
स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकिंग संस्थान

राजीव जमुआर
सहायक महाप्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051
कॉर्पोरेट ईमेल:- rajbhashaco@rbi.org.in

उप- संपादक

बिजु एम वी
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संरक्षक का संदेश ...

प्रिय पाठको...

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन के एक और अंक के ज़रिए आप लोगों के साथ संवाद का अवसर पाकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। खासकर, उस अवसर पर जब भारतीय रिज़र्व बैंक अपने 91वें साल में प्रवेश कर रहा है। इस मील के पत्थर को यादगार बनाने के लिए 01 अप्रैल 2025 को मुंबई में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने तथा भारत की आर्थिक प्रगति में सक्रियतापूर्वक और उत्साहपूर्ण तरीके से योगदान देने के लिए रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

जैसा कि आप जानते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने और आम जनता को नवीनतम एवं सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली प्रदान करने के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक प्रतिबद्ध है। हमारी बैंकिंग प्रणाली, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण भी होती जा रही है। ऐसे परिवेश में बैंकिंग प्रणाली के प्रति आम जनता के विश्वास को बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में, हर व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि ग्राहक संतोष और सेवा में उत्कृष्टता हासिल करना भी है। ग्राहक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, यदि वह संतुष्ट है तो न केवल वह व्यवसाय के साथ जुड़ा रहेगा, बल्कि पूरे समाज के विकास में भी योगदान करेगा।

हमारी इस प्रतिबद्धता को पत्रिका के इस अंक में भी आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह हम भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर महोदय के भाषण से इस पत्रिका का प्रारम्भ कर रहे हैं। गवर्नर महोदय ने बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों को कम किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास संपूर्ण ग्राहक अनुभव को बढ़ाने का होना चाहिए। अनुभव ऐसा होना चाहिए कि शिकायत का कोई कारण ही न हो जिसके निवारण की आवश्यकता हो।

पत्रिका में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अन्य कई विषयों को भी शामिल किया गया है। रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के लाभ और चुनौतियां, आम जनता तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में कारोबार प्रतिनिधियों की भूमिका, मृत खाताधारकों के खाते में अदावाकृत जमाराशि का दावा करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की पहल 'उद्गम' और जमा संग्रहण पर रिलेशनशिप का महत्व आदि इनमें से कुछ हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि पत्रिका का यह अंक आपको बहुत पसंद आयेगा।

शुभकामनाओं सहित ...

एन सारा राजेन्द्र कुमार

मुख्य महाप्रबंधक एवं संरक्षक

संपादकीय

प्रिय पाठको,

चिंतन....

मानव सभ्यता के इतिहास में मनुष्य, समूह, जातियाँ और राज्य व साम्राज्य भी विभिन्न कारणों से अपने स्थान से निकलकर पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर बसते व स्थापित होते रहे हैं। कारण अनेक हो सकते हैं। कोई जान बचाना चाहता है तो कोई जान और माल। किसी को अपना सामान बेचना है तो किसी को औरों का माल लूटना। किसी को बेहतर रोजगार व आर्थिक स्थिति चाहिए, किसी को आर्थिक एकाधिकार स्थापित करना है तो किसी को अपने साम्राज्य के किसी न किसी कोने में सूरज को चमकता देखना है। नई भूमि को खोजने, वहाँ पैर रखने और अपनी दुनिया बसाने के इस क्रम में संघर्ष होते रहे हैं – प्रकृति से, मूल निवासियों से, स्थानीय प्रथाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं व कानूनों से भी। इन संघर्षों ने विश्व भर में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया है, आकार दिया है। निजी जीवन में उथल-पुथल से लेकर राष्ट्रों के विभाजन तक इसके परिणाम देखने में आए हैं।

किसी स्थान के मूल निवासियों तथा वहाँ बाहर से या बाद में आने वालों के अपने-अपने लक्ष्य व लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग या तरीके रहे होंगे पर सभ्यता और इतिहास पर दोनों के चिह्न हैं तथा दोनों समूहों के संघर्षों से जुड़े कारणों के निर्माण और परिणामों के निर्धारण में अर्थ की बड़ी भूमिका रही है।

एक ओर मूल निवासी हैं जो विदेशियों, अप्रवासियों या परप्रांतियों के आने से पहले किसी स्थान, प्रांत या देश विशेष में रहते आ रहे थे। जैसे भारतवर्ष, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रीका की मूल जनजातियाँ, विश्व के कई क्षेत्रों के आदिवासी समुदाय या जातीय समूह आदि-आदि। इन्होंने अपने परिवेश के अनुसार अपनी जीविका व आर्थिक प्रणाली विकसित की जिसके आस-पास एक अनूठी सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना तैयार हुई। दूसरी तरफ वे शक्तियाँ थीं जिनका लक्ष्य अक्सर बलपूर्वक क्षेत्रों पर दावा करना, कब्जा करना, संसाधनों का दोहन तथा अपने साम्राज्य व दबदबे का विस्तार करना था। कुछ उदाहरणों में मुगल, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस आदि शामिल हैं। कालक्रम में दोनों पक्षों ने आवश्यकतानुसार व्यापार के नियम आदि भी बनाए जिसके उद्देश्यों में अपने -अपने उद्योग, शिल्प व कारोबार आदि का संरक्षण व संवर्धन शामिल रहा।

मूल निवासी या स्वदेशियों को अपनी मातृभूमि से लगाव रहा, उनमें एक धार्मिक व आध्यात्मिक चिंतन पुष्पित हुआ और सामूहिक कल्याण के साथ-साथ अपने संसाधनों के प्रति उनके मन में संरक्षण, सम्मान का भाव रहा। इसमें यह दृष्टि भी रही होगी कि बाहर से या बाद में आने वाला हमारे नियमों व व्यवस्थाओं को स्वीकार करे, उसका आर्थिक विकास मातृभूमि वालों को हानि पहुँचाकर न हो।

इस प्रकार मूल भूमि या मातृभूमि वाले जहाँ अपनी जीविका बचाने या बनाए रखने के प्रयास में रहे हैं, वहीं आगंतुक या आक्रांता जीविका पाने और जीविका के साधनों के विस्तार में लगे रहे। इनमें जो साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी थे वे प्राय: संसाधनों को लूटने, अपने हित के व्यापार मार्ग व नियम बनाने में तथा अपनी विचाराधारा को फैलाने में आक्रामक भी रहे। उन्होंने आर्थिक स्वार्थ हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिंसा की, छल-कपट किए, भ्रामक व चालाक संधियों का सहारा लिया। ये तौर-तरीके आपसी सम्मान, मौखिक परंपराओं व सहकारिता के सिद्धातों पर चलने वाले मूल निवासियों के लिए अनावश्यक प्रतीत हुए होंगे।

उल्लेखनीय है कि इस क्रम में मूल निवासियों की भाषा, बौद्धिक संपदा और संस्कृति को किनारे करने, दबाने, रूपांतरित करने, नष्ट करने तथा उनकी जगह येन-केन-प्रकारेण अपनी भाषा संस्कृति व पद्धतियों को स्थापित करने जैसी प्रवृत्तियां भी देखी गई और इसमें भी आर्थिक दबदबा एक प्रमुख कारण व हथियार रहा।

अनुचिंतन....

आधुनिक समय में उन्नीसवीं सदी का उपनिवेशवाद देखने को नहीं मिलता। वैश्वीकरण और उदारीकरण को अपनाकर कई देश समृद्ध होने लगे। विकसित देशों ने विकासशील या पिछड़े देशों से आने वाले लोगों को अपने यहाँ अवसर दिए - कौशल, शिक्षा, अनुसंधान के क्षेत्रों में तथा कारोबार व उद्योग में भी।

ये देश नई दुनिया के महानगर बन गए जहाँ मानो गाँव रूपी शेष विश्व से लोग आने लगे - एक बेहतर जीवन के निर्माण एवं एक बेहतर अवसर की तलाश में, land of opportunities की ओर। फायदा विकसित देशों को भी हुआ - उनकी प्रयोगशालाओं को श्रेष्ठ मस्तिष्क मिले और सामानों को वृहत्तर बाजार। पिछड़े और विकासशील देशों को तकनीक व निवेश मिला और नए तरह का बाजार भी। चीन को विश्व बाजार से जुड़ने एवं निर्यात का फायदा हुआ। भारत को 1991 के बाद की उदारवादी नीतियों का लाभ मिला। डब्ल्यूटीओ से जुड़ने के बाद 2007 से 2023 के बीच वियतनाम के निर्यात में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई, वह इलेक्ट्रॉनिक्स व टेक्सटाइल्स में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल हुआ। बांग्लादेश वस्त्र निर्यात में आगे निकला। बिज़नेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग से करोड़ों को रोजगार मिला है। विकासशील देशों में रेमिटेंस से आनेवाला धन मात्रा में एफडीआई की टक्कर का होता है। कई विकासशील देशों में गरीबी में भारी कमी आई है।

विकसित देशों को वृहत्तर बाजार, कम लागत पर माल व श्रम के साथ-साथ अपने भू-राजनैतिक प्रभाव का विस्तार करने में सहायता मिली है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन आदि कंपनियों के लाभ की कल्पना कीजिए, यदि भारत व विकसित नहीं कहे जाने वाले अन्य देशों का बाजार हाथ में न रहे। एक अनुमान के मुताबिक वैश्वीकृत उत्पादन, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, खाद्य आदि के सहारे एक अमेरिकी गृहस्थ सैकड़ों डॉलर बचा लेता है। विकसित देशों के कई ब्रांड कम लागत वाले देशों में उत्पादन की आउटसोर्सिंग से फल-फूल रहे हैं। अमेरिका के लगभग आधे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आप्रवासियों द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। टोयोटा, सोनी, सैमसंग जैसी कंपनियों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के दम पर उत्पादन लागत कम करने और बिक्री बढ़ाने में बड़ी सफलता पाई है। इतना ही नहीं आर्थिक रूप से संपन्न विकसित देश व्यापार समझौतों एवं श्रम अधिकारों, पर्यावरण मानकों आदि को प्रभावित करके अपनी शक्ति व दबंगई का विस्तार करते हैं।

बाहरी व्यक्ति हों या सामान, जब स्थानीय बाजार में आते हैं तो अपने साथ लाभ व चुनौतियाँ दोनों लाते हैं। ग्राहकों, उत्पादों व सेवाओं में अधिक विकल्प मिलते हैं तथा इसमें कई बार कम मूल्य पर बेहतर क्वालिटी होती है जिससे स्थानीय कंपनियों व दुकानों को अपना स्तर सुधारने की प्रेरणा मिलती है। विदेशी कंपनियों के साथ आई तकनीक व पद्धतियों से स्थानीय कंपनियों में सुधार आता है। निर्यात की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का लाभ पूरे देश को मिल सकता है। परंतु साथ ही, असमान स्पर्धा स्थानीय कंपनियों व उद्योगों को मार भी सकती है। अपनी कमाई अपने घर भेजने की कई विदेशी कंपनियों की नीति के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ जहाँ अत्यंत सीमित हो सकते हैं, वहीं बाहरी उथल-पुथल से स्थानीय कारोबार के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कई बार प्रतिबंध या ऊँचा शुल्क लगाया जाता है और दिलचस्प बात यह है कि ये निर्णय केवल अपने कारोबार व उद्योग को बचाने बढ़ाने के लिए ही न होकर राजनीति, संस्कृति, संरक्षणवाद आदि और देश की सुरक्षा संबंधी चिंताओं से भी प्रेरित होते हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रॉडक्ट्स ही नहीं पर्सन्स यानी लोगों को भी प्रतिबंधों से फायदा-नुकसान होता है और लोग ही इससे जुड़ी समस्याओं का एक प्रमुख कारण बनते हैं। आपके आवासीय परिसर के सामने कोई रेहड़ी या ठेला लगाए तो आपको कुछ सहूलियत होगी और उस ठेलेवाले को रोजगार मिलेगा पर जब वही ठेले वाला किसी असामाजिक या खतरनाक कार्य में लिप्त हो, इतने ठेले लग जाएं कि आपका निकलना मुश्किल होने लगे, वे दूसरी जगहों से वस्तुओं या डिलिवरी वालों को आने न दें अथवा वहाँ आने-जाने में लोग कतराने लगें। ऐसे में संभव है कि कुछ कड़े निर्णय ले लिए जाएं या अतिरेकी कदम उठ जाएं। प्रतिबंधों व कड़ाइयों के कारण या पृष्ठभूमि में न जाएं तो भी इतना तो स्पष्ट है कि ये निर्णय दूरगामी परिणाम व महत्त्व के होते हैं।

हो सकता है हम और आप ठेला या रेहड़ी लगाने वाले न हों, पर हम या हमारे बच्चे कहीं शिक्षा या नौकरी पाने अथवा कोई अन्य कार्य करने अपनी मातृभूमि से दूर किसी प्रांत या देश में गए हों। ऐसे में जहाँ हम चाहेंगे कि वह देश उदार हो, उसके नियमों में वहाँ आने वालों की जीविका या शिक्षा के लिए कुछ स्थान हो वहीं यह मानना होगा कि उस देश को अपने नियम व व्यवस्थाएं तय करने का अधिकार है तथा उनका पालन करना तथा स्थानीय परंपराओं का सम्मान सभी का दायित्व। लाभ-हानि दोनों पक्षों को है। अंत: एप्पल कंपनी हो या सेव का ठेला सुविचारित संतुलन और परस्पर सम्मान आर्थिक विकास के आवश्यक तत्त्वों में हैं।

इस अंक पर उत्सुकता के साथ आपकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा में....

सादर

अरविंद कुमार चतुर्वेदी
महाप्रबंधक और प्रबंध संपादक

शिकायत निवारण का बदलता स्वरूप : एआई का लाभ

(श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्घाटन भाषण आरबीआई ओम्बड्समेन का वार्षिक सम्मेलन, 17 मार्च 2025, मुंबई)

- श्री संजय मल्होत्रा, *गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक*

मुझे भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समेन के इस वर्ष के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। रिज़र्व बैंक इस सम्मेलन का आयोजन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अर्थात् 15 मार्च को या इसके आसपास करता आ रहा है। उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हम उपभोक्ता सेवाओं के संबंध में अपनी उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करने और सेवाओं को और बेहतर बनाने और शिकायतों को कम करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन करते हैं। हमें उपभोक्ता सेवाओं को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, न केवल इसलिए कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, बल्कि इसलिए कि ऐसा करना हमारे अपने हित में है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में, यदि हम अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान नहीं करते हैं तो हम लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे।

2. हमने पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को सक्षम किया है। अधिकांश बैंकिंग सेवाएं, चाहे वह जमा खाता खोलना हो, या छोटा ऋण लेना हो, डिजिटल हो गई हैं जिससे सुविधा और गति में वृद्धि हुई है। हम यूपीआई और डिजिटल भुगतान के अन्य माध्यमों से रिकॉर्ड संख्या में डिजिटल लेनदेन कर रहे हैं। युवा पीढ़ी में से कई लोग कभी बैंक शाखा में नहीं गए होंगे। हमने वीडियो केवाईसी का उपयोग करके खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान की है।

3. हालांकि हमने पिछले कुछ वर्षों में ग्राहक अनुभव में सुधार लाया है, लेकिन ग्राहकों की शिकायतों की बड़ी संख्या एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष (2023-24), अकेले 95 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ही अपने ग्राहकों से 10 मिलियन से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अगर हम अन्य आरबीआई-विनियमित संस्थाओं (आरई) में प्राप्त शिकायतों को भी जोड़ लें, तो संख्या और भी अधिक होगी। कोई यह तर्क दे सकता है कि यह प्रति वर्ष प्रति हज़ार खातों में केवल चार शिकायतों के बराबर है क्योंकि लगभग 2.5 बिलियन बैंक खाते हैं। लेकिन हमारे लिए एक भी शिकायत चिंता का कारण है। हमारे पास 10 मिलियन शिकायतें हैं और अगर हम इनका समाधान शीघ्र नहीं करते हैं तो तेजी से बढ़ते ग्राहक आधार और उत्पादों के बढ़ते प्रकारों के साथ, यह बढ़ सकता है।

ग्राहक संतुष्टि - बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए आधारशिला

4. उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, दरअसल उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव किसी भी सेवा उद्योग में एक अनिवार्य शर्त है। हमारा प्रयास संपूर्ण ग्राहक अनुभव को उन्नत करने का होना चाहिए। अनुभव ऐसा होना चाहिए कि शिकायत का कोई ऐसा कारण ही न हो जिसके निवारण की आवश्यकता हो। मैं एक बुनियादी सच बताता हूं : हर शिकायत विश्वास की परीक्षा है। जब कोई उपभोक्ता शिकायत दर्ज करता है - चाहे वह विवादित लेनदेन के लिए हो, सेवा में चूक के लिए हो, अनुचित मूल्य निर्धारण या शुल्क के लिए हो या फिर अनुचित व्यवहार के लिए - यह एक संकेत है कि हमारी प्रणाली में कुछ खामी है। अनसुलझे छोड़ दिए जाने पर, ऐसे मुद्दे उपभोक्ता विश्वास को खत्म कर सकते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को खराब कर सकते हैं।

5. मुझे ग्राहक सेवा के बारे में एक वास्तविक कहानी याद आ रही है। आप में से कुछ लोगों ने, विशेष रूप से प्रबंधन स्नातकों ने, इसे सुना होगा लेकिन यह आज के विषय के लिए इतना उपयुक्त है कि यह फिर से बताने लायक है। सन 1975 की सर्दियों में, अलास्का के एक शहर में, एक आदमी एक स्टोर में गया और सेल्समैन से शिकायत की कि कुछ समय पहले उसने जो बर्फ में चलनेवाले टायर खरीदे थे, वह ठीक से चल नहीं रहे हैं, उनमें पकड़ कम है। सेल्समैन थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि वह उन्हें बदल तो नहीं सकता, लेकिन जांच करेगा कि वह क्या कर सकता है और स्टोर के पीछे चला गया। आपमें से जो अमरिका के डिपार्टमेंटल स्टोर में कभी गए हैं, उन्हें पता होगा कि धन वापसी की प्रक्रिया स्टोर के पिछले हिस्से में होती है। सेल्समैन कुछ समय बाद वापस आया और धन वापसी के रूप में कुछ पैसे दे दिए और ग्राहक संतुष्ट होकर चला गया। क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि यह अनोखा क्यों था, क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछे बिना धन वापसी की नीति अमरिका में काफी आम है। ऐसा इसलिए है कि जिस कंपनी के बारे में बात हो रही है उसका नाम नॉर्डस्ट्रॉम है और वह टायर बेचती ही नहीं। यह कपड़े और जूते बेचती है। लेकिन, नॉर्डस्ट्रॉम के लिए, ग्राहक पहले आता है। उस पर भरोसा करना और उसका विश्वास जीतना किसी भी चीज़ से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

6. कुछ लोग कहते हैं कि यह सच्ची कहानी नहीं है। यह कैसे संभव है? कोई कंपनी किसी ऐसे उत्पाद के लिए धनवापसी की पेशकश कैसे कर सकती है जिसे उसने कभी बेचा ही नहीं? हालांकि, नॉर्डस्ट्रॉम ने जोर देकर कहा कि यह घटना हुई थी। नॉर्डस्ट्रॉम ने एक अन्य कंपनी से तीन स्टोर खरीदे थे जो टायर सहित अन्य विविध वस्तुएं बेचते थे। ग्राहक को पता नहीं था कि स्टोर बदल गया है और अपनी शिकायत लेकर चला आया। मुख्य संदेश यह है कि नॉर्डस्ट्रॉम ने खुद को ग्राहक सेवा के व्यवसाय में देखा, न कि केवल सामान बेचने के। हमें भी यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हम विशुद्ध रूप से ग्राहक सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में हैं न कि केवल बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं को बेचने के व्यवसाय में।

शीर्ष प्रबंधन ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दे

7. मुझे यकीन है कि आप सभी सहमत होंगे कि हम निश्चित रूप से ग्राहक सेवा के व्यवसाय में हैं। हालांकि, मुझे ऐसा लगता है कि हम ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण पर पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बैंकों और एनबीएफसी को बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं, बल्कि संतोषजनक समाधान के अभाव में, उनमें से बड़ी संख्या आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जा रही है।

8. मैं आपको कुछ परिप्रेक्ष्य बताता हूँ। आरबीआई की एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या पिछले दो वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2023-24 में 9.34 लाख हो गई। आरबीआई ओम्बड्समैन के कार्यालय में प्रोसेस की गई शिकायतों की संख्या 2022-23 में लगभग 2,35,000 से 25 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में लगभग 2,94,000 हो गई। न केवल बड़ी संख्या में शिकायतें ऊपरी स्तर पर ले जाई जा रही हैं, बल्कि उनमें से एक बड़े हिस्से – पिछले साल सुनवाई योग्य शिकायतों का लगभग 57 प्रतिशत – में आरबीआई ओम्बड्समेन द्वारा मध्यस्थता या औपचारिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि यह अत्यधिक असंतोषजनक स्थिति है और इस पर हमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

9. इसलिए, मैं सभी एमडी और सीईओ, आंचलिक और क्षेत्रीय प्रबंधकों और शाखा प्रबंधकों से आग्रह करूंगा कि हर हफ्ते, यदि रोज़ वे ऐसा नहीं कर पाएं तो कम कम से कम हर सप्ताह में अपना कुछ समय शिकायत निवारण के लिए दें। यह एकदम ज़रूरी है। सभी महान सीईओ इसके लिए समय निकालते हैं। हमें भी ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण में सुधार के लिए अपनी डायरी में कुछ समय रखना चाहिए।

ग्राहक सेवा प्रणालियों में सुधार

10. ग्राहकों की शिकायतें बाधा नहीं हैं - वास्तव में वे सुधार, नवाचार और विश्वास निर्माण के अवसर हैं। उनका अच्छा समाधान आपकी सफलता को परिभाषित कर सकता है।

प्रत्येक अनसुलझी शिकायत विनियमित संस्थाओं के लिए ग्राहक विश्वास और निष्ठा की फिर से पुष्टि करने का एक गंवाया हुआ अवसर है। यह चेतावनी का एक संकेत भी है कि दोहराई जानेवाली शिकायतें अक्सर प्रणालीगत खामियों का सूचक होती हैं। आज, शिकायतें अक्सर आधिकारिक चैनलों तक पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, जो अग्रसक्रिय उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

11. इस प्रकार न केवल शिकायतों का समाधान करने का प्रयास होना चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एक ही प्रकार की शिकायत फिर से सामने न आए। डिजिटल लेनदेन विवाद, अनधिकृत शुल्क या अस्पष्ट संप्रेषण जैसी कई शिकायतों की अक्सर पुनरावृत्ति पाई जाती हैं। ये विनियमित संस्थाओं के समग्र ग्राहक सेवा ढाँचे में अंतर्निहित समस्याओं के स्पष्ट लक्षण हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए मूल कारण का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि सुधारात्मक कार्रवाई संभव हो सके और एक ही प्रकार की शिकायत की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

12. वास्तव में, मैं इससे आगे जाकर यह कहूँगा कि सबसे अच्छी सेवा वह नहीं है जिसमें शिकायत निवारण का कोई अवसर नहीं है, बल्कि वो है जिसमें ग्राहक सेवा विभाग को हस्तक्षेप करने का कोई मौका नहीं मिले। प्रणाली निर्बाध और सुविधाजनक रूप से काम करे ताकि ग्राहकों को शाखा या ग्राहक सेवा केंद्र पर कॉल न करना पड़े या बैंक में किसी से बात न करनी पड़े। प्रणालियों को उपयोगकर्ता के इतना अनुकूल होना चाहिए कि ग्राहक किसी और पर निर्भर होने के बजाय स्वयं-सेवा पर भरोसा कर सकें।

आंतरिक शिकायत निवारण प्रणालियों में सुधार

13. शिकायतों को कम करने के लिए प्रणालियों में सुधार करना जहाँ महत्वपूर्ण है, वहीं सभी विनियमित संस्थाओं के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से इसकी समीक्षा करने का आग्रह करूंगा। विनियमों में शिकायत निवारण को लेकर जहाँ किसी संगठनात्मक ढांचे का कोई प्रावधान नहीं है, वही मेरा अनुभव बताता है कि बड़ी विनियमित संस्थाओं में शिकायत निवारण के लिए कम से कम दो स्तर होने चाहिए, जिसमें अनसुलझी शिकायतें निम्न से उच्चतर स्तर तक बढ़ सकें। उच्चतम स्तर काफी उच्च पद पर होना चाहिए। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अनुरोध एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच किए बिना अस्वीकार नहीं किए जाएं, जिसे उपभोक्ता हित में निर्णय लेने का अधिकार है। इससे ओम्बड्समैन के पास आने वाली शिकायतों को कम करने में मदद मिलेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आंतरिक ओम्बड्समैन कार्यालय सहित सभी स्तरों पर पर्याप्त संख्या में शिकायत निवारण अधिकारी हों।

14. विनियमित संस्थाओं द्वारा अनुरोधों, प्रश्नों और विवादों के रूप में शिकायतों के गलत वर्गीकरण की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता। इसके अलावा, यह एक बड़ा विनियामकीय उल्लंघन भी है।

सेवा सुधार के प्रमुख क्षेत्र

15. अब मैं संक्षेप में ऐसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। ये केवाईसी, डिजिटल धोखाधड़ी, अपविक्रय और वसूली के अति महत्वाकांक्षी तौर तरीकों से संबंधित हैं।

16. जैसा कि केवाईसी के लिए, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एक बार जब ग्राहक ने किसी वित्तीय संस्था के पास दस्तावेज जमा कर दिए हैं, तो हम उन्हीं दस्तावेज को फिर से प्राप्त करने पर जोर न दें। एक बार जब कोई ग्राहक किसी वित्तीय क्षेत्र नियामक की विनियमित इकाई के पास अपना विवरण, उदाहरण के लिए अपना आवासीय पता, अपडेट करा देता है, तो वह सीकेवाईसीआर में अपडेट हो जाता है और अन्य विनियमित संस्थाओं को इस अपडेट के बारे में सूचित कर दिया जाता है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए पीएमएल नियम और केवाईसी पर आरबीआई के मास्टर निदेश के अनुसार, विनियमित संस्थाओं को खाता खोलने के लिए केवाईसी दस्तावेज मांगने से पहले सीकेवाईसीआर प्रणाली

की जांच करना अनिवार्य है। हालाँकि, अधिकांश बैंक और एनबीएफसी ने अपनी शाखाओं/व्यावसायिक आउटलेट में इसे सक्षम नहीं किया है, जिससे ग्राहकों को असुविधा हो रही है। इसे जल्द ही सुगम बनाया जा सकता है। यह सभी के हित में होगा।

17. ग्राहक सुरक्षा से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि है। यह बड़ी चिंता का विषय है कि निर्दोष ग्राहक धोखेबाज़ों का शिकार होते रहते हैं। हालांकि इसके लिए डिजिटल लेनदेन में वृद्धि और धोखेबाजों द्वारा अपनाए गए नए तरीकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ग्राहक जागरूकता की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है। इस खतरे को कम करने के लिए, विनियमित संस्थाओं को न केवल मजबूत आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता है, बल्कि डिजिटल वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

18. गलत बिक्री और आक्रामक वसूली प्रथाओं के मुद्दों को पहले भी उजागर किया गया है। इस संदर्भ में भी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उपभोक्ता हित को सर्वोपरि रखें।

एआई पद्धति से - प्रौद्योगिकी को अपनाना

19. अब मैं इस वर्ष के सम्मेलन के विषय पर आता हूँ: शिकायत निवारण में क्रांति लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की क्षमता। हम एक रोमांचक युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), शिकायत निवारण की गति, सटीकता और निष्पक्षता में उल्लेखनीय सुधार ला सकती है।

20. एआई आने वाली शिकायतों को तात्कालिकता, जटिलता या विषय क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत करने में मदद कर सकता है, जिससे उचित व्यक्ति या उचित टीम तक पहुंचने में देरी को न्यूनतम किया जा सके। एआई शिकायतों का बेहतर ढंग से क्रम वितरण करने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा, यह निर्णय लेने और प्रसंस्करण समय को कम करने में सहायता कर सकता है।

21. दूसरा, संरचित और असंरचित डेटा जैसे ई-मेल, चैट लॉग और कॉल ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण करके प्रणालीगत कमियों को ठीक करने के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और प्रक्रिया में आवश्यक सुधारों का मार्गदर्शन करने में सहायता करेगा। लाखों उपभोक्ता शाखाओं के दौरे, कॉल सेंटर लॉग, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया से प्राप्त डेटा का उपयोग करके, इन सभी इंटरैक्शन का एक एकीकृत, एआई-संचालित दृश्य आम समस्या बिंदुओं को अधिक कुशलता से पहचानने में मदद कर सकता है। डेटा एनालिटिक्स, सेंटीमेंट एनालिसिस और पूर्वानुमान मॉडल का लाभ उठाते हुए, एआई का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है, ताकि एटीएम विफलता या गलत शुल्क - जैसी समस्याओं में वृद्धि का पता लगाया जा सके और विनियमित संस्थाओं को पहले से सचेत किया जा सके।

22. अंत में, भारत जैसे विविध भाषा-भाषी देश में, एआई-संचालित चैटबॉट और ध्वनि पहचान उपकरण स्थानीय भाषाओं में कार्य करके भाषा संबंधी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा, चैटबॉट, वॉयसबॉट और उन्नत आईवीआर प्रणाली में संवादकारी एआई के कार्यान्वयन से दैनिक जिज्ञासा चौबीसों घंटे संभाला जा सकता है, जिससे लोगों को उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिल सकता है जिनमें समानुभूति और जटिल समस्या-समाधान की आवश्यकता होती है।

23. संक्षेप में, शिकायत दर्ज करने से लेकर निपटान तक हर चरण में एआई को एकीकृत करने से एक निर्बाध, कुशल और डेटा-संचालित शिकायत निवारण प्रणाली बन सकती है। ऐसा ढांचा न केवल प्रसंस्करण समय कम करता है और बार-बार आने वाली शिकायतों का समाधान करता है, बल्कि मानवीय पूर्वाग्रहों को कम करके न्यायसंगत परिणामों को भी बढ़ावा देता है। अब समय आ गया है कि बैंकिंग उद्योग शिकायत समाधान तंत्र को मजबूत करने और दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एआई सहित प्रौद्योगिकी के एकीकरण की खोज करे और इसमें अग्रणी बने।

एआई संचालित शिकायत निवारण प्रणाली में चुनौतियाँ और सुरक्षा-व्यवस्था

24. जबकि एआई अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करता है, हमें इसके अपनाने से उत्पन्न चुनौतियों और जोखिमों के बारे में जागरूक

रहने की आवश्यकता है। एआई-संचालित मॉडलों में डेटा गोपनीयता, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और जटिलता को लेकर चिंताएँ हैं। जब हम शिकायत निवारण या किसी अन्य प्रक्रिया में एआई को अपनाते हैं, तो हमें नैतिक विचारों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। पारदर्शी और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मानवीय निगरानी, पूर्वाग्रह शमन और डेटा गोपनीयता को एआई सिस्टम में एकीकृत किया जाना चाहिए।

मानव संसाधन में निवेश

25. जबकि प्रौद्योगिकी अपने सभी रूपों में एक शक्तिशाली सक्षमकर्ता है, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि यह ईमानदारी, समानुभूति और मानवीय निर्णय का विकल्प नहीं है। डेटा, एल्गोरिदम और स्वचालन द्वारा तेजी से संचालित दुनिया में, मानवीय तत्व को नज़रअंदाज़ करना बहुत आसान है। हर लेन-देन सिर्फ़ एक खाता बही में एक संख्या नहीं दर्शाता है, बल्कि एक परिवार की मेहनत से कमाई गई बचत, एक छोटे उद्यमी के सपने या एक वरिष्ठ नागरिक की जीवन भर की बचत है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि विनियमित संस्थाएं ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण के लिए समर्पित मानव संसाधनों में निवेश करना जारी रखें। कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश करना आवश्यक है, विशेष रूप से ग्राहक सेवा के व्यवहार संबंधी पहलुओं में। इसके अलावा, कर्मचारियों को उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करने, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने और उपभोक्ता का विश्वास जीतने के लिए अपने विवेक पर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

आरबीआई एक सुविधाकर्ता के रूप में

26. अंत में, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि, जैसे हम आपको ग्राहकों को कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, वैसे ही रिज़र्व बैंक भी विनियमित संस्थाओं को समय पर विभिन्न सेवाएँ, अनुमोदन, स्पष्टीकरण आदि प्रदान करेगा। हमारे पास पहले से ही एक नागरिक चार्टर है। हम चार्टर की समीक्षा कर रहे हैं। हम चार्टर को व्यापक बनाएंगे ताकि हम उन सभी सेवाओं को शामिल कर सकें जो हम या तो विनियमित संस्थाओं को या सीधे नागरिकों को प्रदान करते हैं। इसके अलावा, हम प्रत्येक सेवा के लिए समय-सीमा की समीक्षा कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि समय-सीमा के भीतर सभी अनुमोदन आदि प्रदान किए जाएं। हम 'प्रवाह' (PRAVAAH) का उपयोग भी अनिवार्य कर रहे हैं, जो प्राधिकार, लाइसेंस या रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किसी मामले में विनियामकीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल है। इससे रिज़र्व बैंक को प्राप्त आवेदनों के निपटान में तेजी लाने में हमें मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

27. हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, क्योंकि भारत एक अधिक सुदृढ़ और समावेशी - विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने की ओर अग्रसर है। चूंकि वित्तीय क्षेत्र लगभग पूरी आबादी के जीवन से जुड़ रहा है, इसलिए हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस भूमिका में सफल होने के लिए, हमें ग्राहक सेवा और ग्राहक संरक्षण को लगातार बेहतर बनाना होगा।

धन्यवाद !

भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण : एक विस्तृत विश्लेषण

- डॉ. मधुशील आयिल्यत्त

मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण – परिचय

जब किसी मुद्रा का प्रयोग राष्ट्रीय क्षेत्र के बाहर किया जाने लगता है तो जहां सक्रिय रूप से कारोबार होता है उन क्षेत्रों के साथ एक प्रकार का आर्थिक एकीकरण अपने आप निर्मित होते दिखाई देता है,जो बेहतर विकास को प्रोत्साहित करता है। एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग सामान्यतः निवासियों और गैर-निवासियों के बीच लेन-देन के लिए देश की सीमाओं से परे किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मुद्रा अंतरराष्ट्रीयकरण को किसी राष्ट्रीय मुद्रा के अंतरराष्ट्रीय विस्तार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण इसकी बाहरी विश्वसनीयता की अभिव्यक्ति है क्योंकि अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर एकीकृत होती है[1]। मुद्राओं की अंतरराष्ट्रीय स्थिति अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, जो दुनिया की आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों को आकार देती है।

मुद्रा अंतरराष्ट्रीयकरण के लाभ

मुद्रा अंतरराष्ट्रीयकरण के लाभ बड़े पैमाने पर देश के निजी क्षेत्र को प्राप्त होते हैं। हमेशा यह पाया गया है कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में छोटी अर्थव्यवस्था को इससे अधिक फायदे हो सकते हैं। किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण देश के निर्यातकों

और आयातकों को विनिमय दर जोखिम को सीमित करने की अनुमति देता है। किसी देश की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण उसके वित्तीय बाजार को व्यापक और गहरा करता है। घरेलू फर्में अपनी मुद्रा में अपने निर्यात/ आयात को बीजक (इनवॉइस) करने और व्यवस्थित करने में सक्षम हो सकती हैं, इस प्रकार विनिमय दर जोखिम को अपने विदेशी समकक्षों पर स्थानांतरित कर सकती हैं। दूसरा, यह घरेलू फर्मों और वित्तीय संस्थानों को विनिमय दर जोखिम को माने बिना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंचने हेतु सक्षम करता है। तीसरा, मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण वित्तीय संस्थानों को नए लाभ के अवसर प्रदान करता है, हालांकि घरेलू वित्तीय बाजार में विदेशी वित्तीय संस्थानों के प्रवेश से इस लाभ की भरपाई की जा सकती है (जिस हद तक सरकार इसकी अनुमति देती है)।

मुद्रा अंतरराष्ट्रीयकरण, निश्चित रूप से, किसी देश की सरकार को विदेशी मुद्रा लिखतों को जारी करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय बाजारों में घरेलू मुद्रा ऋण जारी करके अपने बजट घाटे के हिस्से को वित्तपोषित करने की अनुमति दे सकता है। इसी तरह, यह सरकार को अपने आधिकारिक भंडार को कम किए बिना अपने चालू खाता घाटे के हिस्से को वित्तपोषित करने की अनुमति भी दे सकता है। यह लाभ विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों तक सीमित नहीं है, जिनका सरकारी ऋण विदेशी केंद्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा रखी गई प्रमुख आरक्षित

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्ची

संपत्तियों में से एक है। चालू खाता घाटे का वित्त-पोषण विदेशों से निजी पूंजी प्रवाहों विशेषकर बैंकिंग प्रणाली द्वारा भी किया जा सकता है क्योंकि घरेलू मुद्रा में वित्तपोषण वैश्विक रूप से एकीकृत हो जाता है।

मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण – एक सतत प्रक्रिया

मुद्रा अंतरराष्ट्रीयकरण एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें उत्तरोत्तर पूँजी खाता परिवर्तनीयता शामिल है और घरेलू मुद्रा तेजी से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन के लिए वास्तविक मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा का स्वरूप ग्रहण करती है। बाहरी व्यापार के पैमाने के साथ संयुक्त अर्थव्यवस्था का आकार इसकी मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर सीधा असर डालता है[2]। अंतरराष्ट्रीयकरण वित्तीय उदारीकरण का एक अनिवार्य परिणाम नहीं है। कोई सरकार गारंटी नहीं दे सकती है कि अपने देश के पूंजी खाते को उदार बनाने के लिए उठाए गए कदम अनिवार्य रूप से उसकी मुद्रा को अंतरराष्ट्रीयकरण की ओर ले जाएंगे। फिर भी अंतरराष्ट्रीयकरण घरेलू वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के मेन्यु को समृद्ध करने के लिए एक प्रेरणा हो सकता है। क्योंकि जब किसी मुद्रा का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, तो यह घरेलू वित्तीय प्रणालियों के वैश्विक मानकों को संभालने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और प्रथाओं में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे स्थानीय निवेशकों के लिए बेहतर वित्तीय उत्पाद और विकल्प सामने आते हैं। साथ ही, यह देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक एकीकृत होने में मदद करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण, इसकी एम्बेडेड लागत और लाभों के साथ, एक बहुत धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है।

किसी देश की मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए तीन संभावित लागतें हैं। सबसे पहले, यह एक निश्चित विनिमय दर और घरेलू रूप से उन्मुख मौद्रिक नीति की समग्र खोज के साथ असंगत है। दूसरा, एक देश जिसकी घरेलू मुद्रा और घरेलू मुद्रा लिखतों को व्यापक रूप से विदेशों में रखा जाता है, यदि विदेशी धारकों को लगता है कि देश की संपत्ति की कीमतें तेजी से गिर सकती हैं तो उस मुद्रा का बड़ा मूल्यह्रास हो सकता है। तीसरा, यह किसी देश के निवासियों को विदेशी ऋण उपलब्ध होने के कारण घरेलू वित्तीय प्रणाली के लिए नया जोखिम पैदा कर सकता है।

भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण

भारतीय रुपये (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण का मतलब है कि भारतीय मुद्रा का उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन-देन में अधिक प्रभावी तरीके से किया जाना। आर्थिक उदारीकरण के कारण सुधारों को गति प्राप्त होने के पश्चात भारत के बाह्य क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। हम यह भी देख सकते हैं कि व्यापार और पूंजी प्रवाह के संदर्भ में शेष विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध समय के साथ बढ़े हैं। हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में उपयोग के लिए संभावित मुद्राओं के रूप में भारतीय रुपया सहित विभिन्न अन्य मुद्राओं के प्रयोग के लिए मंच तैयार करने का कार्य किया है।[1]

भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के लाभ

भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण वित्तीय संकटों के जोखिम को कम कर सकता है, अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित पूंजी प्रवाह को बढ़ावा दे सकता है और भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ा सकता है। भारत सीमा-पार लेनदेन के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम कर सकता है, जो सीमा-पार लेनदेन में रुपये के उपयोग को प्रोत्साहित करके मुद्रा रूपांतरण की लागत और मुद्रा की अस्थिरता के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। विदेशी कंपनियाँ रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के माध्यम से भारत के साथ आसानी से व्यापार कर सकती हैं, जिससे व्यापार और निवेश बढ़ेगा और आर्थिक विकास एवं रोजगार का सृजन होगा। विश्व वित्तीय व्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी, जिससे आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। चूँकि यह सीमा पार लेनदेन में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा, रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण भारत के वैश्विक प्रभाव और मान्यता को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। भारत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देकर, अपने विदेशी ऋण भार सीमित करके उधार लेने की लागत कम कर सकता है।

वाणिज्यिक लाभ : भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपये का उपयोग करने से वाणिज्यिक लाभ मिलेगा। इससे

[1] INR Internationalization: A Process and Not an Event - NIBM Working Paper WP 32/2023 (Aug 2023)

लेन-देन की लागत कम होगी और मुद्रा के आदान-प्रदान में होने वाली समस्याओं का समाधान होगा।

वित्तीय स्थिरता : रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण भारत की वित्तीय प्रणाली को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा। इससे विदेशी मुद्रा की अनिश्चितताओं का प्रभाव कम होगा और भारत के भुगतान संतुलन को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

आर्थिक वृद्धि : जब विदेशी कंपनियां रुपये में लेन-देन करने लगेंगी, तो इससे भारत में निवेश और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, जो आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा।

डॉलर की निर्भरता में कमी : वर्तमान में भारत का विदेशी व्यापार अधिकांशतः अमेरिकी डॉलर में होता है। रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण डॉलर की निर्भरता को कम कर सकता है और मुद्रास्फीति की समस्याओं से बचाव कर सकता है।

भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम

सरकार ने विदेशी मुद्रा बाज़ार को उदार बनाने और ऑफ-शोर (off-shore) रुपया बाज़ार के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए हैं। ये परिवर्तन गैर-निवासियों को रुपये में मूल्यवर्गित डेरिवेटिव का व्यापार करने और रुपये में निवेश रखने के लिए सक्षम करते हैं। सरकार ने आरक्षित मुद्रा के रूप में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कार्रवाइयां की हैं। इसमें सीमा पार लेनदेन में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देना और विदेशी केंद्रीय बैंकों को मुद्रा रिज़र्व में रखने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

समझौतों की स्थापना : भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें रुपये का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की मुद्रा को वैश्विक व्यापार में मान्यता दिलाना है।

रुपये में व्यापार लेन-देन की अनुमति : भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई विदेशी राष्ट्रों को रुपये में व्यापार लेन-देन करने की अनुमति दी है। इससे अन्य देशों को भारतीय मुद्रा में लेन-देन करने की सुविधा मिली है।

डिजिटल भुगतान प्रणालियों का विकास : डिजिटल भुगतान प्रणालियों का विकास रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे विदेशी कंपनियां और व्यापारी आसानी से रुपये में लेन-देन कर सकते हैं।

वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी : भारत ने वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाई है, जिससे भारतीय मुद्रा को वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत किया जा सके।

भारतीय मुद्रा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय बैंक की पहल

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और इस संदर्भ में रोड मैप तैयार करने के लिए अंतर-विभागीय समूह (आईडीजी) का गठन किया गया था[3]। आईडीजी की रिपोर्ट जुलाई 2023 में भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित हुई थी। ग्रुप ने चालू और पूंजी खाता लेनदेन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग हेतु मौजूदा ढांचा और उनके वर्तमान स्तरों का आकलन तथा गैर-निवासियों के बीच लेनदेन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग की मौजूदा स्थिति और इस संबंध में अपतटीय बाजारों की भूमिका की विस्तृत समीक्षा की है। पूंजी खाता उदारीकरण की वांछनीय डिग्री के अनुरूप, भारतीय रुपये में किए जा रहे बीजक व्यापार पर प्राधिकृत (एडी) बैंकों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए उपायों का प्रस्ताव करने और बाजार की शक्तियों, गहरे-तरल बाजार द्वारा निर्धारित भारतीय रुपये की विनिमय दर में अधिक स्थिरता लाने के उपाय, निवासियों तथा अनिवासियों और दोनों के लिए आसान पहुँच के साथ हेजिंग उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, कुशल बैंकिंग प्रणाली और विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता आदि विषयों पर आईडीजी ने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए हैं[2]।

आईडीजी ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि भारतीय रुपये में बीजक (इनवॉइस) सृजन प्रोत्साहित किया जाना है और निपटान और भुगतान के लिए एक द्वि-बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का टेम्पलेट तैयार करने की आवश्यकता है । एसीयू जैसे मौजूदा तंत्र में भारतीय रुपये को एक अतिरिक्त निपटान मुद्रा के रूप में विकसित किया जाना है । भारत और भारत के बाहर दोनों में भारतीय रुपये में खाते खोलने को प्रोत्साहित करना और सीमा पार लेनदेन के लिए अन्य देशों के साथ भारतीय भुगतान प्रणालियों को जोड़ना जरूरी है। भारतीय रुपये में बीआईएस इन्वेस्टमेंट पूल शुरू करने और वैश्विक बॉण्ड इंडेक्स में सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने पर विचार किए जाने के लिए भी ग्रुप ने सुझाव दिया है। मसाला बॉन्ड पर

करों की समीक्षा और सीमा पार व्यापार लेनदेन के लिए आरटीजीएस का अंतरराष्ट्रीय उपयोग और सीएलएस प्रणाली में भारतीय रुपये को शामिल करना आवश्यक बताया है। ग्रुप ने माना है कि भारत और अन्य वित्तीय केंद्रों की कर व्यवस्था को सुसंगत बनाने के लिए वित्तीय बाजारों में कराधान मुद्दों की जांच करनी चाहिए और भारतीय बैंकों की अपतटीय शाखाओं के माध्यम से भारतीय रुपये में बैंकिंग सेवाओं की अनुमति देनी चाहिए। ग्रुप ने उम्मीद जताई है कि भारतीय रुपया एक "वाहन मुद्रा" के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा। आईडीजी ने यह भी कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की एसडीआर बास्केट में भारतीय रुपये को शामिल करने के प्रयास करने चाहिए। उनका मानना है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, भारत की उन्नत भुगतान प्रणालियों जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई का उपयोग तेज गति से भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण में चुनौतियाँ एवं समाधान

रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार कराने के लिए आवश्यक है कि इसके उपयोग और स्थिरता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिले। इसके लिए भारत को अपनी मुद्रा को लेकर विश्वास बढ़ाना होगा और स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पूंजी और तरलता के मामले में रुपया विदेशी निवेशकों के लिए पर्याप्त आकर्षक हो ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसके प्रसार को बढ़ावा दिया जा सके। संबंधित मुद्रा में सुरक्षित रूप से व्यापार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध होना चाहिए। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि रुपये का व्यापार इस ढांचे के अंतर्गत सुरक्षित और खुले तौर पर किया जा रहा है।

देश के बाहर किसी मुद्रा में बैंक खाते खोलने की क्षमता मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण का एक मूलभूत तत्व है। वर्तमान समय में भारतीय अनिवासी केवल तटीय क्षेत्रों में भारतीय रुपये में खाता खोल सकते हैं और इन खातों का उपयोग केवल सीमित भुगतान/ रसीद के लिए किया जा सकता है। भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में अनुमेय लेन-देन की स्थिति, बाधाओं और कदमों की समीक्षा आवश्यक होगी। भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के प्रयासों के हिस्से के रूप में, हम न केवल तटवर्ती भारतीय रुपया खातों के माध्यम से बल्कि अपतटीय भारतीय रुपया खातों के माध्यम से भी सभी अनुमत पूंजी और चालू खाता लेनदेन को निपटाने पर विचार कर सकते हैं। तदनुसार, आरंभ में अनिवासियों को फेमा, 1999 के तहत अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन करने के उद्देश्य से केवल अधिकृत डीलरों (एडी) की विदेशी शाखाओं के साथ भारतीय रुपये में खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है। बाद के चरण में, प्रणाली के कार्यान्वयन और तैयारी के अनुभव के आधार पर, किसी भी विदेशी बैंक के साथ और उद्देश्य के संदर्भ में किसी भी प्रतिबंध के बिना (गैर-निवासियों के बीच लेनदेन सहित) भारतीय रुपया खाता खोलने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक व्यापार और निवेश में भारतीय मुद्रा की भूमिका को बढ़ावा देगा। हालांकि, इसके लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन सही नीतियों और योजनाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय सरकार के द्वारा उठाए गए कदम रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को सफल बनाने में सहायक होंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ होगा। यह भी देखा गया है कि स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) ढांचे भी चालू और पूंजी खाता लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं के व्यापक उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं जिससे व्यापार करने में आसानी होती है और हार्ड मुद्राओं पर निर्भरता कम होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजक सृजित करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के निपटान के साथ-साथ पूंजी खाता लेनदेन में भारतीय रुपये का उच्च उपयोग भारतीय रुपये को उत्तरोत्तर अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति देगा।

संदर्भ सूची

1 *पूर्ण पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता पर तारापोर समिति की रिपोर्ट, जुलाई 2006।*

2 *आईडीजी रिपोर्ट (अक्तूबर 2022)*

उद्गम (UDGAM) - भूली बिसरी जमाराशियों तक पहुँचने का बेहतरीन जरिया

- डॉ.संजय कुमार

भारत में धन-दौलत छिपाकर रखने की पुरानी परंपरा रही है। जब करेंसी नोटों का प्रचलन नहीं था और बहुमूल्य धातु के सिक्के चलन में थे तो लोग अधिशेष सिक्कों को किसी बर्तन या घड़े में भरकर अपने घर-आंगन में ज़मीन में छिपा देते थे। वे ज़ेवर तथा अन्य कीमती वस्तुओं को भी या तो ज़मीन में छिपाकर रख देते थे अथवा उसे दीवारों में चुनवा देते थे। धन-दौलत को इस तरह छिपाकर रखने के मुख्यतः दो कारण थे, एक तो चोरी का डर, दूसरा अपनों द्वारा हेराफेरी, बंटवारा या अय्याशी पर खर्च किए जाने की आशंका। धन को छिपाकर रखने को लोग गोपनीय बचत के तौर पर भी देखते थे ताकि आपत्तिकाल में वह उनके लिए सुरक्षा कवर का काम कर सके। इस प्रकार के धन-दौलत की जानकारी प्राय: उसी व्यक्ति को होती थी जो इसे छिपाकर रखता था। लेकिन धन को इस तरह छिपाकर रखने वाला उसे अनंतकाल तक छिपाए रखने की मंशा से नहीं रखता था, बल्कि यह सोचकर रखता था कि समय आने पर वह इसकी जानकारी अपने करीबियों को दे देगा अथवा उनके बीच इसका बंटवारा कर देगा। लेकिन ऐसे भी मामले देखे गए जहाँ लोग अपनों को जानकारी दिए बगैर ही दुनिया से विदा हो गए अथवा छिपाने के बाद उन्हें स्मरण ही न रहा कि उन्होंने कहीं धन भी छिपाया हुआ है। आज भी हम अखबारों में कदाचित ऐसी खबरें पढ़ते हैं जहाँ किसी पुराने मकान की खुदाई/ तुड़ाई में अकूत खज़ाना मिल गया हो। कई मामलों में ऐसा गुप्त धन न तो उस व्यक्ति के काम आया जिसने इसे छिपाकर रखा था और न ही अभावग्रस्त उसकी पीढ़ी के, बल्कि इससे मालामाल कोई तीसरा व्यक्ति हुआ।

उद्गम UDGAM Unclaimed Deposits Gateway To Access inforMation

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), भारतीय रिज़र्व बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

जब कागज़ी मुद्रा का चलन आरम्भ हुआ और बैंकों का जाल विस्तृत होने लगा तो लोग धन को ज़मीन में छिपाने की बजाय बैंक में रखने लगे। परंपरागत बैंकिंग के प्रारम्भिक दौर में केवाईसी मानकों के पालन पर कोई विशेष बल नहीं था। एक बार खाते में जो पता दर्ज हो जाता था, वही चलता रहता था, भले ही ग्राहक किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हो। उस समय नियमित अंतराल पर केवाईसी अपडेट करने अथवा खाता निष्क्रिय होने पर ग्राहक को सूचित करने की मुकम्मल व्यवस्था भी नहीं थी। इसके अलावा जमाकर्ता के बचत खाते का कस्टमर आईडी कुछ और होता था तथा मियादी या अन्य जमा-खातों का कुछ और। बचत खाते की पासबुक के आधार पर यह पता लगा पाना मुश्किल था कि किसी व्यक्ति के किसी बैंक विशेष में कितने अन्य खाते हैं। किंतु सीबीएस का दौर आने से जहाँ एक व्यक्ति के एक बैंक स्थित सभी प्रकार के खाते एक कस्टमर आईडी से लिंक हो गए, वहीं खाते में ई-मेल, मोबाइल जैसे विवरण भी दर्ज होने लगे तथा हरेक लेनदेन पर ग्राहक को मैसेज भी जाने लगे। खाता निष्क्रिय होने की दशा में जमाकर्ताओं को उनके मोबाइल, ई-मेल पर सिस्टम जनित संदेश प्राप्त होने से वे खातों को या तो पुन: सक्रिय करा लेते थे अथवा पूरी राशि निकालकर उन्हें बंद कर देते थे। पर इन सब व्यवस्थाओं के होते हुए भी बैंकों में दावारहित राशि बढ़ रही है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के

अनुसार बैंकों के पास ₹42,270 करोड़ की दावारहित राशि थी जो विगत वर्ष के ₹32,934 करोड़ के मुकाबले 28 फीसदी अधिक है। इस राशि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा ₹36,185 करोड़ तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा ₹6,087 करोड़ था।

बैंकों में दावारहित राशि बढ़ने के कारण

बैंकों में दावारहित राशि बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे - ग्राहकों द्वारा उन बचत खातों/चालू खातों को बंद न किया जाना जिन्हें आगे संचालित करने का उनका कोई इरादा नहीं है, मियादी जमाराशियों को परिपक्वता पर न भुनाया जाना, मृतक खातों के मामले में नामिती/उत्तराधिकारियों द्वारा दावा प्रस्तुत न किया जाना आदि। इसके अलावा ऐसे मामले भी प्रकाश में आते हैं, जहाँ ग्राहक ने मोबाइल नंबर बदल लिया, किंतु खाते में उसे अपडेट नहीं कराया अथवा उसने खाते में जो ई-मेल दर्ज कराया था, उसे वह ऐक्सेस ही नहीं करता या फिर उसने अपना पता-ठिकाना ही बदल लिया। इस स्थिति में ग्राहक से संपर्क कर पाना और भी कठिन हो जाता है।

मृतक खातों के मामले में दावारहित राशि बढ़ने का एक बड़ा कारण खाते में नॉमिनी दर्ज न होना है। नॉमिनी दर्ज न होने के भी अपने कारण हैं, मसलन ग्राहक को नॉमिनी के महत्व की जानकारी न होना, बैंकर द्वारा खाता खोलने के समय नॉमिनी विवरण भरे जाने पर जोर न दिया जाना और कभी-कभी जमाकर्ता द्वारा जानबूझकर नॉमिनी दर्ज न कराना। जानबूझकर नॉमिनी दर्ज न कराने के भी कारण हैं। कुछ लोग, खासकर अशिक्षित/अल्प शिक्षित लोग नॉमिनी इसलिए दर्ज नहीं कराते क्योंकि उन्हें आशंका होती है कि यदि नॉमिनी को उसके खाते में पड़े धन की जानकारी हो जाएगी तो उसके जीवन के साथ कुछ अहित हो सकता है। कुछ खाताधारक जिनके एक से अधिक बच्चे हैं, इस असमंजस में होते हैं कि यदि एक बच्चे को नॉमिनी बनाया तो दूसरे विद्रोह कर देंगे। इस ऊहापोह में वे नॉमिनी दर्ज न कराने का विकल्प चुन लेते हैं। नॉमिनी रहित खातों के खाताधारकों के आकस्मिक निधन की स्थिति में बैंक के लिए जहाँ वास्तविक उत्तराधिकारियों को तलाशना मुश्किल हो जाता है, वहीं राशि कम होने और उत्तराधिकार संबंधी कानूनी औपचारिकताएं अधिक होने के कारण उत्तराधिकारी भी जमाराशि का दावा करने के लिए आगे नहीं आते। यह भी देखा गया है कि लोग अपनी बचत को गुप्त रखने के लिए प्राय: अपनी पासबुक, एफडीआर आदि को गोपनीय जगह पर रखते हैं तथा अलग-अलग बैंकों में पैसा रखते हैं। ऐसे में पासबुक/एफडीआर आदि के गुम होने पर जमाकर्ता या उनके उत्तराधिकारियों को यह पता ही नहीं चलता कि उनका या उनके करीबी का किसी बैंक में पैसा भी जमा है।

निष्क्रिय खातों/ दावारहित जमाराशि के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को समय-समय पर निदेश दिए गए हैं कि वे निष्क्रिय खातों/ दावारहित जमाराशि के मामले में अधिक सावधानी बरतें क्योंकि इन खातों में धोखाधड़ी की प्रबल संभावना रहती है। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को दावारहित जमाराशियों के वर्गीकरण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने, दावारहित जमाराशियों से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और ऐसे खातों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए भी कहा है। बैंकों को यह भी निदेश दिया गया है कि वे तिमाही में कम से कम एक बार निष्क्रिय खाताधारकों से पत्र, ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से संपर्क करें और यदि खाताधारक का पता न चल पा रहा हो तो परिचयदाता (introducer) से संपर्क करें। इसके अतिरिक्त यदि खाताधारक कहीं दूर चला गया हो तो खाताधारक के अनुरोध पर बैंक Video-Customer Identification Process (V-CIP) का सहारा भी ले सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को दस वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय खातों की सूची को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का निदेश भी दिया है और बैंक इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं। इसके अलावा मृतक-खातों के मामले में बैंकों को खातेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने तथा सही दावेदारों को जमाराशि वापस करने के लिए भी कहा गया है। एक विशेष पहल के तौर पर रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जून 2023 से 8 सितंबर 2023 तक '100 Days 100 Pays' नामक अभियान भी चलाया गया था। इस अभियान के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा

प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 दावारहित जमाराशियों के हकदारों का 100 दिनों के भीतर पता लगाने और उनकी राशि का निपटान करने के लिए कहा गया था। इस अभियान की समाप्ति तक 30 बैंकों (जिनका डीईए फंड की दावारहित राशि में 90 प्रतिशत का योगदान है) द्वारा ₹1,432.68 करोड़ की राशि जमाकर्ताओं को लौटाई गई।[1]

'उद्गम' - दावारहित जमाराशियों के निपटान हेतु रिज़र्व बैंक की अभिनव पहल

दावारहित जमाराशियों के शीघ्र और सम्यक निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक नवोन्मेषी पहल करते हुए 17 अगस्त 2023 को 'उद्गम' नामक पोर्टल लांच किया गया। 'उद्गम' वस्तुत: '**U**nclaimed **D**eposits – **G**ateway to **A**ccess infor**M**ation' के एक्रोनिम 'UDGAM' का देवनागरी लिप्यंतरण है। हिंदी में 'उद्गम' का अर्थ है स्रोत या मूल। यह उस व्यक्ति तक पहुँचने का अभियान है, जिसकी किसी बैंक में दावारहित राशि पड़ी है। इस वेबपोर्टल पर कोई भी यूज़र विभिन्न बैंकों में पड़ी दावारहित जमाराशियों/खातों की केंद्रीकृत तरीके से जानकारी हासिल कर सकता है। इस वेबपोर्टल को विकसित करने में रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ (IFTAS) तथा सहभागी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ता/उत्तराधिकारी (मृतक खाते के मामले में) अपनी दावारहित जमाराशियों/खातों की खोज कर सकते हैं। सफल खोज के उपरांत वे संबंधित बैंक के पास या तो जमाराशि का दावा कर सकते हैं अथवा अपने जमा खातों को पुन: सक्रिय करा सकते हैं। इस पोर्टल पर 31 मार्च 2024 तक 30 बैंक सूचीबद्ध थे। इन बैंकों की सूची उद्गम पोर्टल के होम पेज पर देखी जा सकती है। इस पोर्टल के ज़रिए यूज़र उपर्युक्त बैंकों द्वारा आरबीआई की जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) में स्थानांतरित सभी दावारहित जमाराशियों /खातों को सर्च कर सकता है। पोर्टल पर उपर्युक्त जानकारी व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत श्रेणी में उपलब्ध है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत व्यक्तियों के नाम में जमा दावारहित राशि का विवरण होता है, जबकि गैर-व्यक्तिगत खण्ड में कंपनी/फर्म आदि के नाम में जमा दावारहित राशि की जानकारी होती है।

इस पोर्टल पर पंजीकृत होने के लिए यूज़र्स को अपना लॉगिन आईडी बनाना पड़ता है जिसके लिए नाम और मोबाइल नंबर

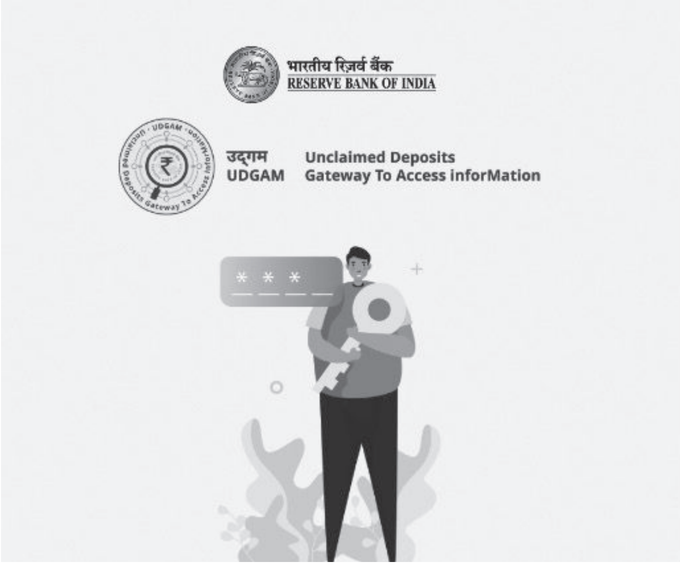

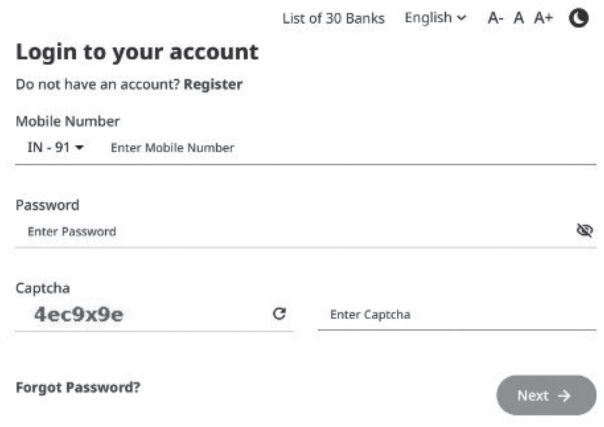

[1] https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/unclaimed-deposits-with-banks-rise-by-28-pc-to-rs-42270-cr-in-fy23/articleshow/106126254.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

उपलब्ध कराना आवश्यक है। लॉगिन होने के बाद व्यक्तिगत श्रेणी में दावारहित राशि की खोज के लिए यूज़र को दी गई फील्ड में खाताधारक का नाम लिखना पड़ता है और ड्रॉप डाउन मेन्यू से बैंक नाम सेलेक्ट करना होता है। दावारहित राशि की खोज के लिए ये दोनों विवरण भरना अनिवार्य है। यदि यूज़र को बैंक का नाम नहीं पता है तो वह “all” ऑप्शन को चुन सकता है। इससे सभी 30 बैंकों में एक साथ खोज की जा सकती है। इसके अलावा उसे पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, खाताधारक की जन्मतिथि नामक फील्ड में से किसी एक का विवरण भरना अनिवार्य है। बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए अतिरिक्त सर्च मानदण्ड के तौर पर पते की फील्ड को भी भरा जा सकता है तथा ड्रॉप डाउन मेन्यू से राज्य का चयन भी किया जा सकता है। इन विवरणों को दर्ज करने बाद यूज़र सर्च बटन पर क्लिक करता है और दिए गए गए इनपुट के आधार पर उसके समक्ष परिणाम उपस्थित होने लगते हैं।

गैर-व्यक्तिगत श्रेणी की दावारहित राशि की खोज के लिए यूज़र को दी गई फील्ड में संस्था का नाम और बैंक का नाम भरना अनिवार्य है। इसके अलावा प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम, पैन और सीआईएन में से किसी एक फील्ड को भरा जाना आवश्यक है। अतिरिक्त सर्च मानदण्ड के अंतर्गत पता तथा राज्य का विवरण भी भरा जा सकता है।

यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि उद्गम पोर्टल सिर्फ़ दावारहित जमाराशियों/खातों की खोज की सुविधा प्रदान करता है। यह दावे का निपटान या भुगतान नहीं करता है। दावे के निपटान के लिए यूज़र को उस बैंक से संपर्क करना होगा, जहां मूलत: उसका पैसा जमा था। इस पोर्टल पर अलग-अलग बैंकों की दावा निपटान प्रक्रिया की जानकारी भी रहती है जिसके अनुसार ग्राहक/यूज़र संबंधित बैंक के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है।

दावारहित जमाराशि और डीईए निधि का अंतर संबंध

उद्गम पोर्टल पर केवल उन्हीं जमारशियों का विवरण रहता है जो बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की “जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि)” में स्थानांतरित की जा चुकी हैं। गौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949 की धारा 26-ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएफ) योजना-2014" तैयार की गई थी और इस योजना के अधीन जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की स्थापना की गई थी।[2] इस निधि का उद्देश्य उन सभी संस्थाओं/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो जमाकर्ताओं की शिक्षा व जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं और इस हेतु विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम, अनुसंधान गतिविधियाँ, सेमिनार, संगोष्ठियाँ आदि आयोजित कर रहे हैं।

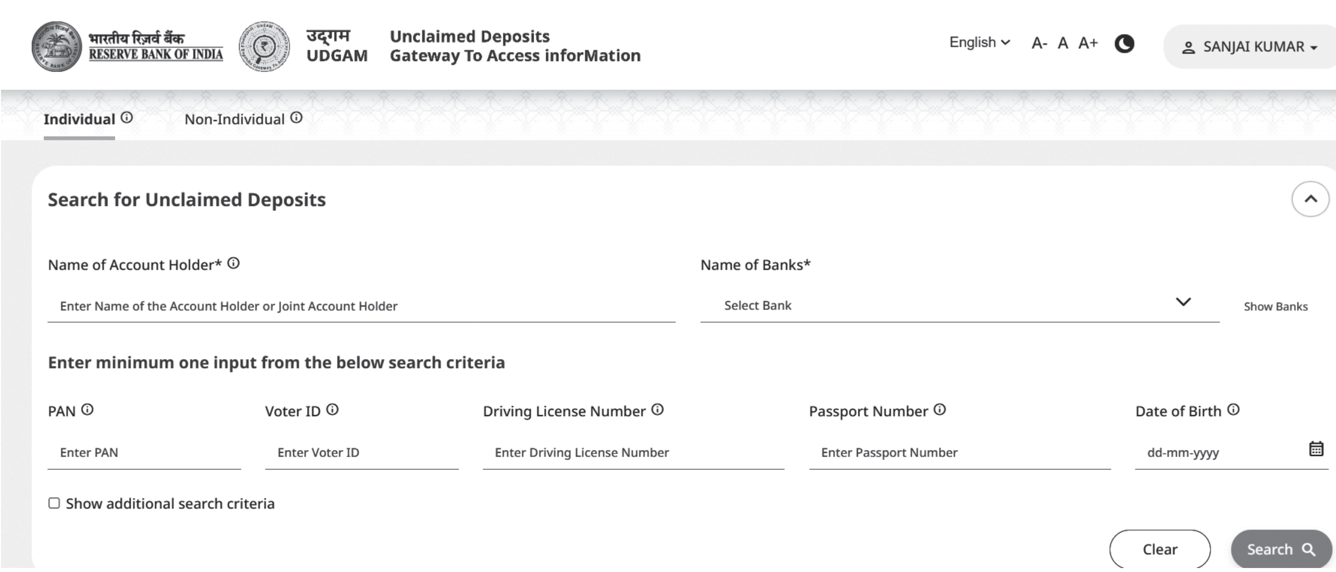

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफ़एल) को भी इस निधि से सहायता प्रदान की जाती है। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि योजना, 2014 के अनुसार बैंकों में जो खाता 10 वर्ष या अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है, उसकी जमाराशि तथा 10 वर्ष या अधिक समय तक दावारहित रहने वाली अन्य जमाराशियों को डीईए निधि में हस्तांतरित किया जाना अनिवार्य है। इस कोष में अंतरित की जाने वाली राशि जमाकर्ताओं के बचत खातों, स्थायी जमा खातों, आवर्ती जमा खातों, चालू जमा खातों के साथ-साथ कैश क्रेडिट खाते, लोन खाते में पड़ी अधिशेष निधि, लेटर ऑफ क्रेडिट/बैंक गारंटी आदि के सापेक्ष मार्जिन मनी; प्रीपेड कार्ड में शेष राशि, न भुनाए गए मेल ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर्स चेक आदि से संबंधित हो सकती है। इसके अलावा संड्री खाते, वोस्त्रो खाते, अंतर-बैंक समाशोधन निधि, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) की असमायोजित राशि जिसका 10 वर्षों से समाधान नहीं हुआ है, को भी इस निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बैंकों को यह राशि निष्क्रिय अवस्था में 10 वर्ष पूरा होने वाले माह के अगले माह के अंतिम कार्य दिवस पर हस्तांतरित करनी होती है। डीईए निधि में हस्तांतरित की जाने वाली राशि में हस्तांतरण की तिथि तक अर्जित ब्याज भी शामिल रहता है।

बैंकों द्वारा इस राशि को हस्तांतरित करते समय अपनी सीबीएस प्रणाली के माध्यम से एक यूडीआरएन नंबर (Unclaimed Deposit Reference Number) जेनरेट किया जाता है जो प्रत्येक दावारहित खाते/जमाराशि के लिए एक यूनीक नंबर होता है। इस नंबर के माध्यम से बैंक शाखाओं को उन ग्राहकों/जमाकर्ताओं के दावों को निपटाने में सुविधा रहती है जिन्होंने उद्गम पोर्टल के ज़रिए अपनी जमाराशि की सफलतापूर्वक खोज कर ली है। इस पोर्टल के माध्यम से जैसे ही कोई यूज़र अपनी जमाराशि की खोज कर लेता है, वह आवश्यक दस्तावेज़ों के सहित अपना दावा संबंधित बैंक के पास प्रस्तुत करता है। संबंधित बैंक उसके दावे की विधिवत छानबीन करते हैं और संतुष्ट होने पर उसे ब्याज सहित संपूर्ण राशि का भुगतान कर देते हैं।

निष्कर्ष

सारांश के तौर पर कहा जा सकता है कि उद्गम पोर्टल उन समस्त भूली-बिसरी जमाराशियों को खोजने और उन्हें वापस पाने का एक ऐसा मंच है जिसे कोई यूज़र दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी ऐक्सेस कर सकता है। आज बैंकिंग तंत्र में जो भी दावारहित जमाराशियाँ पड़ी हैं, वे निश्चय ही किसी जमाकर्ता द्वारा प्रतिफल की आशा में जमा की गई होंगी। ऐसे में यह पोर्टल उन लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जिन्हें पता ही नहीं कि उनके करीबियों का किसी बैंक में पैसा जमा है। यह पोर्टल जहाँ एक ओर जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण कर रहा है, वहीं सरकार और रिज़र्व बैंक की लोक-कल्याण की नीति को भी आगे बढ़ा रहा है।

[2] https://rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=165

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 – उद्देश्य, दिवालियापन समाधान प्रक्रिया, चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

- परवेज़ अख़्तर

परिचय

भारत में 2016 से पहले व्यापारिक संस्थाओं और व्यक्तियों के दिवालियापन मामलों को प्रभावी रूप से निपटाने के लिए कोई सुव्यवस्थित और व्यापक कानूनी ढांचा मौजूद नहीं था। इस कारण, देश में ऋण समाधान और कर्ज वसूली की प्रक्रिया लंबी, जटिल और अप्रभावी हो गई थी। इससे न केवल कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, बल्कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के फंसे हुए कर्ज {अनर्जक आस्तियां (एनपीए)} की समस्या भी बढ़ती जा रही थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 लागू किया[1]। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ने भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को बेहतर बनाने के साथ-साथ फंसे हुए कर्जों की समस्या को हल करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान किया है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का उद्देश्य भारत में दिवाला समाधान प्रक्रिया को गति देना और इसे अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है, जिससे कि कर्जदार और ऋणदाता दोनों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके। इस संहिता ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत और बैंकिंग प्रणाली में दिवालियापन से निपटने के तरीके में व्यापक परिवर्तन किया है।

उप महाप्रबंधक (विधि)
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय, लखनऊ

1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के मुख्य उद्देश्य

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के मुख्य उद्देश्य दिवालिया होने की स्थिति में कंपनियों, व्यक्तियों और साझेदारियों के लिए एक स्पष्ट, शीघ्र और संरचित समाधान प्रदान करना है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि दिवाला प्रक्रिया में कर्जदार और ऋणदाता दोनों को पारदर्शिता और न्याय मिले। इसके प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है :

- **समयबद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया :** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का उद्देश्य दिवाला समाधान प्रक्रिया को एक निर्धारित समय सीमा में (180 से 270 दिनों के भीतर) पूरा करना है ताकि दिवालिया होने वाली कंपनियों या व्यक्तियों की संपत्तियों का अधिकतम मूल्य बचाया जा सके और उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सके।
- **ऋणदाताओं और कर्जदारों के अधिकारों की रक्षा :** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत ऋणदाता समिति (Committee of Creditors – CoC) को निर्णय लेने की प्रमुख भूमिका दी गई है।[2] इससे वित्तीय संस्थानों के हितों की रक्षा की जाती है और उन्हें कर्ज वसूली का एक स्पष्ट रास्ता मिलता है।

[1] लागू 28 मई 2016

[2] लेनदारों की समिति, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य। (2019) – सुप्रीम कोर्ट

- **परिसंपत्तियों का अधिकतम मूल्य बचाना :** दिवाला समाधान प्रक्रिया का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिवालिया कंपनियों की परिसंपत्तियों का अधिकतम मूल्य हासिल किया जा सके, चाहे वह कंपनी के पुनर्गठन के जरिए हो या फिर परिसमापन (Liquidation) के जरिए।
- **निवेशकों का विश्वास बढ़ाना – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता** ने भारत में निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है, क्योंकि यह एक सुनिश्चित प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें दिवाला के मामलों को तेजी से और पारदर्शी तरीके से हल किया जाता है।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रमुख घटक

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के क्रियान्वयन को सफल बनाने में इसके विभिन्न घटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से प्रत्येक घटक की अपनी विशिष्ट भूमिका है जो पूरे दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी, और प्रभावी बनाती है।

- **राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) :** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत दिवालियापन मामलों की सुनवाई के लिए **राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)** का गठन किया गया। एनसीएलटी का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेट दिवालियापन मामलों का निपटारा तेजी से हो। एनसीएलटी एक न्यायिक निकाय है जो कंपनियों के कानूनी मामलों, विशेष रूप से दिवालियापन और पुनर्गठन से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियों की वित्तीय समस्याओं को समय पर हल किया जाए, ताकि बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को न्यूनतम नुकसान हो।
- **कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) :**

  कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का केंद्रीय ढांचा है, जो वित्तीय संकट में फंसी कंपनियों के समाधान के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है। सीआईआरपी के तहत एक कंपनी को 180 -270 दिनों में दिवालियापन समाधान योजना तैयार करनी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान, कंपनी के प्रबंधन को हटाकर एक इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है, जो समाधान योजना का खाका तैयार करता है और ऋणदाता समिति (सीओसी) के समक्ष प्रस्तुत करता है।
- **इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (आईपी) :** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (आईपी) की नियुक्ति की जाती है, जो कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को संभालने और समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आईपी का काम कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों का आकलन करना, समाधान योजना तैयार करना और इसे क्रेडिटर्स की समिति को प्रस्तुत करना होता है। आईपी यह सुनिश्चित करता है कि समाधान योजना निष्पक्ष हो और सभी हितधारकों के लाभ के लिए काम करे।
- **ऋणदाता समिति (सीओसी) :** ऋणदाता समिति बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और ऋणदाताओं की वह समिति है जो कंपनी की समाधान प्रक्रिया में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखती है। ऋणदाता समिति में कंपनी के सभी वित्तीय ऋणदाता शामिल होते हैं, जो यह तय करते हैं कि प्रस्तावित समाधान योजना स्वीकार्य है या नहीं। ऋणदाता समिति को यह सुनिश्चित करना होता है कि समाधान योजना कंपनी के दीर्घकालिक हित में हो और उन्हें उनकी राशि की अधिकतम वसूली मिल सके।
- **परिसमापन (Liquidation) :** यदि समाधान प्रक्रिया विफल हो जाती है या समाधान योजना को क्रेडिटर्स की समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कंपनी को परिसमापन के लिए भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर ऋणदाताओं को उनकी राशि दी जाती है। परिसमापन एक अंतिम उपाय होता है, क्योंकि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का प्राथमिक उद्देश्य कंपनी को पुनर्जीवित करना और परिसमापन से बचाना है।

3. दिवालियापन समाधान प्रक्रिया

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत, दिवाला समाधान प्रक्रिया को एक सुव्यवस्थित ढांचे में विभाजित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। यह प्रक्रिया चार प्रमुख चरणों में विभाजित है :

- **दिवाला आवेदन की शुरूआत :** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरूआत कर्जदार या ऋणदाता द्वारा की जा सकती है। इसके लिए ऋणदाता या कर्जदार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में आवेदन दाखिल करना होता है। इस आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय एनसीएलटी द्वारा 14 दिनों के भीतर लिया जाता है।

  यदि एनसीएलटी आवेदन को स्वीकार कर लेता है, तो कंपनी की परिसंपत्तियों और प्रबंधन का नियंत्रण एक अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को सौंप दिया जाता है।

- **अंतरिम समाधान पेशेवर [आईआरपी] की नियुक्ति और अधिकार :** अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति के साथ, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी अधिकार आईआरपी के पास आ जाते हैं। आईआरपी कंपनी की परिसंपत्तियों और उसकी गतिविधियों की निगरानी करता है, साथ ही वह कंपनी की सभी लेन-देन गतिविधियों को रोक देता है। आईआरपी के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं :

  - कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करना।
  - कंपनी के ऋणदाताओं की सूची तैयार करना।
  - ऋणदाता समिति (Committee of Creditors - CoC) का गठन करना।

  आईआरपी को 30 दिनों के भीतर ऋणदाता समिति का गठन करना होता है, जो बाद में समाधान पेशेवर (Resolution Professional) (आरपी) की नियुक्ति करती है। सीओसी कंपनी की भविष्य की योजना पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- **समाधान योजना का निर्माण और अनुमोदन:** समाधान पेशेवर कंपनी के वित्तीय हालात का विश्लेषण करके एक समाधान योजना (Resolution Plan) तैयार करता है। इस योजना में कंपनी के पुनर्गठन, ऋण की पुनर्भुगतान शर्तों और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं का प्रस्ताव दिया जाता है। समाधान योजना को सीओसी के 66% सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।[3] यदि सीओसी समाधान योजना को मंजूरी दे देती है, तो इसे एनसीएलटी में दाखिल किया जाता है और उसके अंतिम आदेश के बाद यह लागू हो जाती है।

- **परिसमापन (Liquidation) की स्थिति :** यदि समाधान योजना को सीओसी द्वारा मंजूरी नहीं मिलती है, या यदि 180-270 दिनों (जब तक कि एनसीएलटी इस समय सीमा को बढ़ा न दे) की समय सीमा के भीतर कोई समाधान नहीं हो पाता है, तो एनसीएलटी कंपनी के परिसमापन का आदेश दे देता है।

4. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की प्रमुख सफलताएँ और केस स्टडीज

वित्त वर्ष 2023-24 ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत समाधान योजना के अनुमोदन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है, जो दिवालिया बिज़नेस के पुनः प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने में कानूनी फ्रेमवर्क की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान एनसीएलटी द्वारा रिकॉर्ड संख्या में 269 समाधान योजनाओं को अनुमोदित किया, जो कि वित्त वर्ष 23 के दौरान 189 समाधान योजनाओं के अनुमोदन के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 से 42% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। स्थापना से लेकर वित्त वर्ष 2024 के अंत तक 947 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके परिणामस्वरूप स्वीकृत दावों की तुलना में 32% और परिसमापन मूल्य की तुलना में 62% की वसूली हुई।

जिन मामलों में परिसमापन का आदेश दिया गया है, उनके समाधान के साथ समाप्त होने वाले मामलों की संख्या का अनुपात

[3] आईबीसी की धारा 30(4)

चित्र-1: आईबीसी के तहत स्वीकृत समाधान योजनाओं की वर्ष-वार संख्या[4]

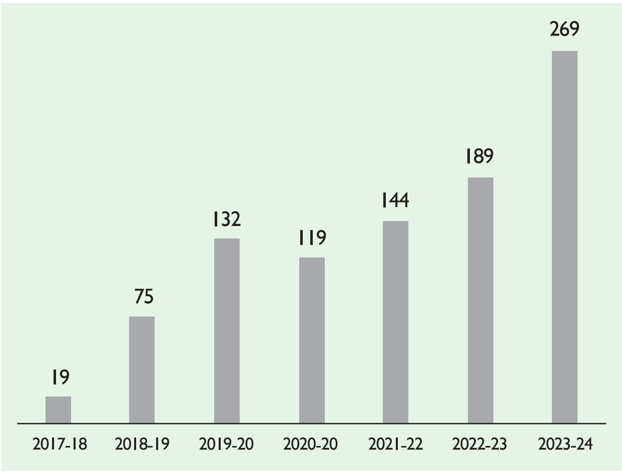

वित्त वर्ष 2023 में 0.46 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 के दौरान 0.61 हो गया है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत कई प्रमुख मामलों का निपटारा हुआ है, जिन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनके फंसे हुए कर्ज की वसूली में मदद की। इन मामलों से यह साबित हुआ है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता एक प्रभावी समाधान प्रक्रिया है।

चित्र-2: समाधान और परिसमापन आदेशों का अनुपात[5]

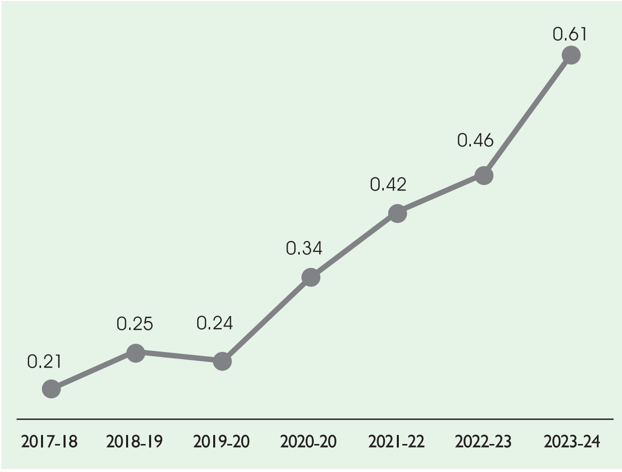

[4, 5] https://ibbi.gov.in/uploads/resources/ae17460f98b2f326b16380f4a917c8a1.pdf

5. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत चुनौतियाँ

हालांकि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 ने दिवालियापन प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बना दिया है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। इन चुनौतियों को प्रभावी तरीके से हल करने के लिए निरंतर सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता है। निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ हैं :

- **समय सीमा का पालन :** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया को 180 से 270 दिनों के भीतर पूरा करने का प्रावधान है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कई मामलों में इस समय सीमा का पालन नहीं हो पाता। अदालतों और ट्रिब्यूनलों में लंबित मामलों की संख्या के कारण यह समस्या और अधिक जटिल हो जाती है। समय सीमा का उल्लंघन होने पर कर्जदार की परिसंपत्तियों का मूल्य कम हो सकता है, जिससे ऋणदाताओं को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, एस्सार स्टील का मामला 600 दिनों से भी अधिक समय तक चला।[6] इससे न केवल प्रक्रिया धीमी होती है, बल्कि कंपनी के मूल्य को भी नुकसान पहुँचता है।
- **कमजोर समाधान योजनाएँ :** कई मामलों में समाधान योजनाएँ बहुत कमजोर होती हैं और उन्हें सीओसी द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती। इससे कंपनियों को परिसमापन की ओर जाना पड़ता है।
- **परिसमापन की बढ़ती संख्या :** हालांकि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का उद्देश्य कंपनियों को पुनर्जीवित करना है, लेकिन कई मामलों में समाधान प्रक्रिया विफल होती है और कंपनियाँ परिसमापन की ओर जाती हैं। यह एक चुनौती है, क्योंकि परिसमापन में कंपनियों की संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता, जिससे ऋणदाताओं को नुकसान होता है। परिसमापन के माध्यम से वित्तीय वसूली निराशाजनक

[6] https://www.moneylife.in/article/

रही है, जिसमें स्वीकृत दावों के खिलाफ 8,943 करोड़ रुपये की वसूली हुई है, जबकि परिसमापन मे दावा की गयी राशि 228,702.84 करोड़ रुपये थी, जिससे लगभग 3% की वसूली दर प्राप्त हुई है। सुरक्षित ऋणदाताओं ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन फिर भी वे केवल अपने दावों का लगभग 4% ही वसूल कर पाए हैं। चिंताजनक बात यह है कि 1,516 मामलों में, जिनकी कुल दावा राशि 1,211,916 करोड़ रुपये है, अभी भी परिसमापन प्रक्रिया में हैं। मार्च 2024 तक, परिसमापन के तहत मामलों की स्थिति दिवालियापन ढांचे की अक्षमताएं को दर्शाती है। 2,476 दिवालियापन मामलों में से जो परिसमापन में समाप्त हुए हैं, 53% मामलों में दो साल से अधिक समय लग चुका है, जिनमें से केवल 509 कंपनियों (लगभग 20%) का ही **परिसमापन** किया गया है।[7]

- **न्यायिक ढांचे पर दबाव :** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत अधिकांश मामले एनसीएलटी और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) में दाखिल किए जाते हैं। इन ट्रिब्यूनलों पर अत्यधिक मामलों का दबाव है, जिसके चलते निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है।[8] इसके अलावा, ट्रिब्यूनल में मामलों की सुनवाई के लिए सीमित संख्या में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की उपस्थिति है, जिससे और भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए कठिनाइयाँ :** एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधान अक्सर जटिल और महंगे होते हैं। इससे छोटे व्यवसायों को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से गुजरने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, इन व्यवसायों के पास समाधान प्रक्रिया में सहायता के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की कमी होती है।[9]

[7] https://www.mondaq.com/india/insolvencybankruptcy/1472782/revamping-indias-insolvency-framework-challenges-trends-and-strategic-improvements

[8] https://navbharattimes.indiatimes.com/

[9] https://www.captainbiz.com/blogs

6. आगे का रास्ता

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों और उपायों की आवश्यकता है। आगे का रास्ता निम्नलिखित कदमों पर आधारित हो सकता है:

- **समय सीमा का कड़ाई से पालन :** समाधान प्रक्रिया की समय सीमा पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए एनसीएलटी और एनसीएलएटी में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए और संसाधनों का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **छोटे और मध्यम व्यवसाय के लिए विशेष प्रावधान :** एमएसएमई के लिए समाधान प्रक्रिया को सरल और सस्ती बनाने की जरूरत है। उनके लिए विशेष राहत प्रदान की जानी चाहिए ताकि छोटे और मध्यम व्यवसाय भी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत आसानी से अपने मामलों को सुलझा सकें।
- **सुधारित कानूनी प्रावधान:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधानों में निरंतर सुधार और संशोधन आवश्यक हैं ताकि नए व्यापारिक परिदृश्य और चुनौतियों को ध्यान में रखा जा सके और दिवालियापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ये संशोधन न केवल आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देंगे, बल्कि निवेशकों का विश्वास भी मजबूत करें

7. निष्कर्ष

वित्त पर संसदीय स्थायी समिति की 32वीं रिपोर्ट[10] ने कम वसूली दरों को लेकर चिंता जताई है, जिसमें वसूली पर कटौती (हेयरकट) 95% तक है और समाधान प्रक्रिया में देरी का उल्लेख किया है, जहां 71% से अधिक मामले 180 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। यह स्पष्ट रूप से संसद द्वारा संहिता के मूल उद्देश्य से विचलन की ओर संकेत करता है। इसमें समाधान पेशेवरों (Resolution Professionals) और

[10] बत्तीसवीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत/03 अगस्त, 2021 को राज्यसभा। पटल पर रखी गई।

दिवाला पेशेवरों (Insolvency Professionals) से संबंधित मुद्दों को भी उजागर किया गया है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि ऋणदाता समिति (Committee of Creditors) के लिए एक पेशेवर आचार संहिता की आवश्यकता है और कटौती (हेयरकट) पर एक सीमा तय की जानी चाहिए।[11]

समाधान योजना के तहत वसूली दर से पता चलता है कि वित्तीय लेनदार अपने दावों का औसतन 32% वसूल करते हैं, जबकि परिचालन लेनदार (ओसी) लगभग 25% की वसूली करते हैं।[12]

2024 में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत वसूली दर लगभग 31-33% के बीच रही है। वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के अंत तक, वित्तीय लेनदारों के लिए वसूली दर 31.86% थी, जो पिछली तिमाही की 33.01% वसूली दर से थोड़ी कम है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत लेनदारों को काफी बड़े हेयरकट (कटौती) का सामना करना पड़ता है, जहाँ लगभग 68% दावों की वसूली नहीं हो पाती है। [13]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता लागू होने के बाद से अब तक 7,300 से अधिक कंपनियों को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, मामलों को सुलझाने में देरी जारी है, और औसतन मामलों के समाधान में 600 से अधिक दिन लगते हैं, जो कि निर्धारित 270 दिनों की समय सीमा से बहुत अधिक है ।[14] यह प्रणाली भले ही व्यापक रूप से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, जैसे केस के फैसले में देरी और कम वसूली दर। इसके बावजूद, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का उपयोग दिवालिया परिसंपत्तियों को संभालने और पुनः संचालित करने में एक प्रभावी तंत्र के रूप में किया जा रहा है।

मार्च, 2024 तक 947 हल किए गए मामलों का विश्लेषण समाधान प्रक्रिया मे लिया गया समय व वसूली की दर के बीच सीधा संबंध दर्शाता है। कम समय सीमा के भीतर हल किए गए मामलों में उच्च वसूली दर प्राप्त होती है, जबकि लंबी समाधान अवधि कम वसूली दर को दर्शाती है।

चित्र-3: हल किए गए मामलों का विश्लेषण[15]

समय (दिन)	मामले	वसूली दर
0-330	140	49.22 %
330-599	354	35.98 %
600 या इससे अधिक	453	26.11 %

इसलिए, सभी हितधारकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी के सामूहिक हित में प्रक्रिया के दौरान निर्णय लेने में तेजी लाएं। प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई/बोर्ड) द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जैसे समाधान योजना में संशोधनों की संख्या पर सीमा लगाना, लेनदारों द्वारा समाधान पेशेवर (आरपी) के साथ जानकारी साझा करना। जिसमें दिवाला पेशेवरों (आईपी) के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है ताकि समाधान प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से और कुशलता से चलाने के लिए उनके कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ाया जा सके।[16]

अंत में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ने भारतीय अर्थव्यवस्था में दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को नया जीवन दिया है। इससे न केवल कर्जदारों और ऋणदाताओं के बीच संतुलन स्थापित हुआ है, बल्कि यह एक अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण प्रणाली भी साबित हुई है। हालांकि, इस संहिता के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें हल करने के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता है। यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएँ, तो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता, विकास और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

[11] https://www.cenfa.org/insolvency-and-bankruptcy-code-requires-a-serious-review/

[12] https://www.mondaq.com/india/insolvencybankruptcy/1472782/revamping-indias-insolvency-framework-challenges-trends-and-strategic-improvements

[13,14] भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की वेबसाइट

[15] https://www.financialexpress.com/business/banking-finance-delay-in-insolvency-process-eroding-asset-value-ibbi-chairman-3489892/

[16] https://ibbi.gov.in/uploads/resources/ae17460f98b2f326b16380f4a917c8a1.pdf

‘कारोबार प्रतिनिधि (बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट)’- हमारा चलता फिरता बैंक

- डॉ. शैलजा सिंह

किसी पेड़ की जड़ें ज़मीन से जितनी ज़्यादा जुड़ी हों, उस पेड़ को उतना ही मज़बूत माना जाता है। बैंकों के संदर्भ में भी यह बात उतनी ही सही है। बैंक भी अपने उद्देश्य में तभी सफल होंगे जब उनकी पकड़ अपने ग्राहकों के साथ मज़बूत हो। ग्राहकों के साथ मज़बूत रिश्ते बनाने के लिये यह जरूरी है कि बैंक न सिर्फ ज़मीनी स्तर पर ग्राहकों से जुड़ें, बल्कि वे हर समय अपने ग्राहक की पहुँच के दायरे में हों। आज के समय में हम बैंक को एक खास पते पर, एक विशेष इमारत में स्थित संस्था के रूप में न देखकर, एक ऐसी संस्था के रूप में देखते हैं जो कि हर वक्त किसी न किसी रूप में हमारे आस-पास मौजूद रहती है। बैंकिंग के इसी नए रूप का एक नाम है - ‘कारोबार प्रतिनिधि’ जिसे हम बैंकर आम तौर पर ‘बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट’ नाम से जानते हैं, वाचन की सुविधा के लिए इस आलेख में आगे इसे ‘बीसी’ कहा गया है।

वर्ष 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिग सुविधाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए ‘बीसी’ संबंधी दिशा-निर्देश पहली बार 2005 के वार्षिक नीति वक्तव्य के तहत उस वर्ष के बजट प्रस्ताव के आधार पर जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बैंक ‘बीसी’ तथा ‘बिज़नेस फैसिलिटेटर’ को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ‘बीसी’ बैंक के एजेंट के तौर पर बैंक के ग्राहकों के साथ लेन-देन का काम कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य बैंकिग सेवाओं को घर-घर तक पहुँचाना है। ‘बीसी’ के माध्यम से बुनियादी बैंकिग सेवाओं, जैसे अपने खाते में पैसा जमा करना या निकालना, पैसों को किसी अन्य खाते में अंतरित करना, इत्यादि का उपयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जहाँ बैंक की कोई भौतिक शाखा उपलब्ध न हो। उसी प्रकार से ‘बिज़नेस फैसिलिटेटर’ का मुख्य कार्य होता है ग्राहकों को बैंक संबधी विभिन्न सेवाओं से अवगत कराना और उनकी ज़रुरत के अनुसार सेवाएं उपलब्ध करवाना, जैसे - बैंक के ग्राहकों के ऋण संबंधी आवेदनों की प्रोसेसिंग इत्यादि में सहयोग देना। ‘बिज़नेस फैसिलिटेटर’ बैंक की ओर से एजेंट के रुप में किसी प्रकार का लेन-देन नहीं कर सकते जबकि ‘बीसी’ बैंक के एजेंट के रूप में ग्राहकों के खातों में लेन-देन का कार्य करते हैं। ‘बीसी’ तथा ‘बिज़नेस फैसिलिटेटर’ की तैनाती से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश के दूर-दराज़ के इलाकों में भी एक चलता-फिरता बैंक हर वक्त मौजूद रहेगा। आम तौर पर बैंक की कोई भौतिक शाखा अपने आस-पास के दस-पंद्रह किलोमीटर के परिसर में स्थित लोगों तक ही अपनी सेवाएँ दे पाती है। शाखा-आधारित बैंकिंग की तुलना में ‘बीसी’ के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में कम खर्च आता है, क्योंकि बैंक की भौतिक शाखा में सुरक्षा, रखरखाव, सिविल कार्य, आदि पर अपेक्षाकृत ज्यादा खर्च होता है। ‘बीसी’ अर्थात, चलता-फिरता बैंक कम लागत में ज़्यादा सेवाएँ देता है।

‘बीसी’ मॉडल की असली सफलता उसकी मज़बूत सरंचना में निहित है। आम तौर पर बैंक अपने कार्य-क्षेत्र में पहले से मौजूद कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं या सार्वजनिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को अपने कारोबार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हैं। इनके अलावा उस परिसर में रहने वाले सेवानिवृत्त बैंक कर्मी, शिक्षक अथवा डाक कर्मियों को भी ‘बीसी’ के रूप में कार्य करने के लिये उपयुक्त माना जाता है। बैंक द्वारा

महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

नियुक्त ऐसे प्रतिनिधियों को अपने संबंधित क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक मुद्दों की अच्छी जानकारी होती है। ऐसे बैंक प्रतिनिधि प्रायः अपने परिसर में रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत रुप से भी जानते हैं, जिसके कारण बैंकिंग की व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहता है।

'बीसी' का प्रारम्भिक कार्य है अपने क्षेत्र के लोगों का नज़दीकी बैंक शाखा में खाता खुलवाना। जितने अधिक लोग बैंकिंग व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे, वित्तीय समावेशन उतना ही बेहतर होगा। बैंक-खाता खुलवाने से संबंधित सारी कागज़ी कार्रवाई पूरी करने के बाद 'बीसी' उन दस्तावेजों को संबंधित बैंक शाखा में जमा कर देता है। खाता खोलने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की जांच-पड़ताल करके बैंक ऐसे ग्राहकों के खाते खोल लेते हैं। ऐसा खाता हर प्रकार से बैंक के किसी सामान्य खाते की तरह काम करता है। अधिकांश बैंकों में आज कल नए तकनीकी साधनों का भी उपयोग किया जा रहा है। खाताधारक चाहे तो कभी भी अपने 'बीसी' के बजाय बैंक से सीधे ही लेनदेन कर सकता है।

'बीसी' का दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है कि अपने क्षेत्र के खाताधारकों के साथ बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर पैसों का लेन-देन करना। पैसे जमा करने या आहरित करने के लिये खाताधारकों को अपने बैंक की शाखा तक स्वयं जाने की ज़रुरत नहीं पड़ती। 'बीसी' अपने ग्राहक द्वारा जमा पैसे को लेकर अपने मोबाइल और बैंक द्वारा प्रदान की गई छोटी-सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिये बैंक से सम्पर्क करके, लेनदेन का ब्योरा बैंक-शाखा को भेज देता है, जिससे ग्राहक द्वारा जमा किए गए पैसे का हिसाब बना रहता है। एक दिन की सारी जमा पूंजी को 'बीसी' शाम तक वास्तविक बैंक शाखा में जाकर जमा करा देता है। इसी प्रकार, ग्राहक 'बीसी' के माध्यम से अपने बैंक खाते में जमा पैसे निकाल भी सकता है। 'बीसी' बैंक से सम्पर्क करके ग्राहकों के खाते में जमा शेष राशि (बैलेंस) की जानकारी लेता है और फिर अपने पास रखी धनराशि में से ग्राहक को उसकी आहरित की गई रकम दे देता है, बाद में वह बैंक की वास्तविक शाखा से किए हुए भुगतान प्राप्त कर लेता है। उसके द्वारा किये गए हर लेन-देन की रसीद वह अपने ग्राहक को देता है जिससे ग्राहक को भी अपने लेनदेन का हिसाब रखने में आसानी होती है। ग्राहक अगर चाहे तो कभी भी अपने लेनदेन का हिसाब अपने संबंधित बैंक शाखा में जा कर भी प्राप्त कर सकता है।

बैंकिग को जन-जन तक पहुँचाने के इस प्रयास में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही 'बीसी' दूर-दराज़ के इलाकों में, जहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था भी ढंग से न हों, उन इलाकों में भी अपनी सेवाएँ दे पाते हैं। मुख्यत: ये तीन तरीकों से काम करते हैं। पहला है - स्मार्ट कार्ड आधारित हस्त संचालित मशीन के जरिये पैसों की निकासी और जमा सहित बैंकिंग से जुड़े अन्य कार्य करना। दूसरा है - सूचना

कियोस्क तकनीक, जिसमें एक कमरे की स्थायी जगह पर लैपटॉप, कार्ड-रीडर एवं प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करना। तीसरा है - चलायमान (मोबाइल) वाहन के माध्यम से अलग-अलग जगह घूमकर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना। तीनों ही तरीकों में स्मार्ट कार्ड रीडर द्वारा ग्राहक की बायोमेट्रिक पहचान स्थापित की जाती है, जो कि पहले से बैंक के पास दर्ज रहता है। पहचान स्थापित होने पर ही आगे का कार्य होता है। इसी तरह से बनता है हमारा चलता फिरता बैंक।

विगत वर्षों में 'बीसी' मॉडल देश के कोने-कोने में सुदूर इलाकों तक कुछ इस क्रम में पहुँचा है :

क. वर्ष 2005-06 के केंद्रीय बजट में, बैंकों को 'एजेंसी मॉडल' अपनाने की अनुमति देने और रिज़र्व बैंक द्वारा जांच के लिए एम.एफ.आई. को बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का मुद्दा सामने रखा गया था। इस क्रम में, ग्रामीण ऋण और सूक्ष्म-वित्त से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा के लिए एक आंतरिक समूह का गठन वर्ष 2005 में किया गया था। इस समूह की सिफारिशों के आधार पर, आरबीआई द्वारा बिज़नेस फैसिलिटेटर्स और 'बीसी' के उपयोग से संबंधित नियामक दिशा-निर्देश जारी किए गए जिन्हें 25 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। इन दिशा-निर्देशों के आधार पर कारोबार सुविधा प्रदाता और कारोबार प्रतिनिधि (बीएफ/बीसी) के रूप में कार्य करने हेतु पात्र संस्थाएं और उनके कार्यों का दायरा निर्धारित किया गया।

ख. बैंकों द्वारा 'बीसी' के संचालन और गतिविधियों पर पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि से, अप्रैल 2008 में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 'बीसी' को आधार शाखा के

रूप में नामित एक विशिष्ट बैंक शाखा से जोड़ा जाएगा और उसे उस बैंक-शाखा की निगरानी में रखा जाएगा।

ग. वित्त वर्ष 2008-09 के लिए देश का आम बजट प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि बैंक मौजूदा संस्थाओं के अतिरिक्त सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी अपने कारोबार प्रतिनिधियों ('बीसी') के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

घ. वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'बीसी' मॉडल के अब तक के अनुभव की जांच करने और 'बीसी' बनने योग्य व्यक्तियों की श्रेणी बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया। इस कार्यदल को यह ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वह 'बीसी' संबंधी विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे की समीक्षा करें और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपाय सुझाए। इस कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2009 के निर्देशों के तहत बैंकों को यह अनुमति दी कि वे कुछ अन्य संस्थाओं को भी 'बीसी' के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जैसे: (i) व्यक्तिगत किराना / मेडिकल स्टोर / राशन की दुकानों के मालिक (ii) व्यक्तिगत पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) ऑपरेटर (iii) भारत सरकार / बीमा कंपनियों की लघु बचत योजनाओं के एजेंट (iv) पेट्रोल पंप के मालिक (v) सेवानिवृत्त शिक्षक और (vi) बैंकों से जुड़े सुसंचालित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के अधिकृत पदाधिकारी, आदि।

ङ. वर्ष 2010 में समीक्षा के बाद इस योजना के तहत बैंकों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालित करने वालों सहित किसी भी व्यक्ति तथा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों को भी 'बीसी' के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गई।

च. वर्ष 2012 में, खुदरा दुकानों या 'बीसी' के उप-एजेंटों के बीच अंतर-संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

छ. वर्ष 2014 में, छोटे व्यवसायों और निम्न-आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर गठित समिति (अध्यक्ष - डॉ. नचिकेत मोर) की सिफारिश पर, बैंकों को परिचालन के मामले में अधिक लचीलापन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए 'बीसी' और संबद्ध बैंक शाखा के बीच की निश्चित दूरी संबंधी शर्त को समाप्त कर दिया गया।

ज. वर्ष 2017 में, बैंकिंग आउटलेट को निश्चित बिंदु सेवा वितरण इकाई के रूप में परिभाषित किया गया, जिसे बैंक के कर्मचारियों या उसके व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किया जाता है, जहाँ जमाराशियां स्वीकार करने, चेक भुनाने / नकद राशि की निकासी या ऋण देने की सेवाएँ सप्ताह में कम से कम पाँच दिन दी जाती हैं और ये सेवाएँ प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे के लिए प्रदान की जाती हैं। इससे 'बीसी' आउटलेट बैंक शाखाओं के समतुल्य हो गए। यह भी निर्धारित किया गया कि 'बैंकिंग आउटलेट' जो प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे और सप्ताह में 5 दिन सेवा प्रदान नहीं करता है, उसे 'अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट' माना जाएगा।

झ. वर्ष 2016-17 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में की गई घोषणाओं के संदर्भ में,

- उचित योग्यता सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाओं के वितरण को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रेडेड 'बीसी' प्रमाणन कार्यक्रम भी शुरू किया गया और इसे वर्ष 2018 से भारतीय बैंक संघ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ़) ने इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है और इसके लिए परीक्षाएं भी आयोजित करता है।
- 'बीसी' रजिस्ट्री पोर्टल ('बीसी'आरपी), कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) संबंधी प्रासंगिक जानकारियों का एक केंद्रीकृत भंडार है जिसमें 'बीसी' का नाम, 'बीसी' का स्थान और उनके परिचालन का क्षेत्र जैसे विवरण शामिल हैं, जिसे आरबीआई द्वारा जारी रूपरेखा के अनुसार आईबीए (इंडियन बैंक एसोसिएशन) द्वारा विकसित किया गया है। बी.सी.आर.पी. कारोबार प्रतिनिधियों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल (वेबसाइट) है, जिसमें 'बीसी' ट्रैकर सुविधा और एमआईएस जनरेशन क्षमताओं के रूप में बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए उपयोगी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

ञ. 'बीसी' मॉडल के लागू होने के बाद, बैंकों और व्यक्तिगत 'बीसी' एजेंटों के बीच सीधे संबंध से उभरी 'बीसी' के रूप में कार्य करने वाली कुछ संस्थाओं के रूप में एक परितंत्र (इकोसिस्टम) विकसित हो गया है, जो बैंकों और व्यक्तिगत

'बीसी' एजेंटों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह मॉडल पूर्णकालिक और अंशकालिक 'बीसी' के संचालन, अर्थात दोनों के लिए अनुमति देता है। इसमें किसी निश्चित स्थान से परिचालन करने वाले और उस क्षेत्र में जगह-जगह घूम कर सेवा प्रदान करने वाले 'बीसी', यानि दोनों प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीलापन देता है।

ट. कोविड-19 महामारी के दौरान तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी 'बीसी' परिचालकों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और अन्य संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कुल मिलाकर, 'बीसी' वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरे हैं। विगत वर्षों में 'बीसी' चैनल के जरिये हुए कुल लेनदेनों का मूल्य और आकार देखने पर इस बात की जरूर पुष्टि होती है।

चुनौतियां

चूँकि शाखा रहित बैंकिंग एक ऐसी सेवा है जो न केवल प्रौद्योगिकी और संरचना के उपयोग में नई है, साथ ही, एक तरह से यह बैंकिंग सेवाओं से वंचित ग्राहकों को पहली बार वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। वित्तीय लेनदेन के संबंध में ग्राहकों को शिक्षित और सचेत करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। 'बीसी' कंपनियां एजेंटों और फील्ड स्टाफ को उत्पादों और भूमिकाओं पर प्रशिक्षित करती हैं ताकि वे ग्राहकों के साथ सीधे बातचीत कर सकें और सटीक मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। 'बीसी' को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उन्हें वांछित स्तर का ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करें' के तहत 'बीसी' के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। फिर, भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाईनैंस) ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स / बिजनेस फैसिलिटेटर्स को ज्ञान और कौशल प्रदान करने तथा उन्हें बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन की बारीकियों को समझने में मदद करने के लिए दो स्तरों में प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रम तैयार किए हैं; इनमें एक बुनियादी पाठ्यक्रम है और दूसरा उन्नत स्तर का। प्रशिक्षण और प्रमाणन से सुसज्जित, ऐसे 'बीसी' जनता का अधिक विश्वास प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

'बीसी' परितंत्र में, 'बीसी' एजेंट पर जन-साधारण के भरोसे को लेकर कुछ चिंताएं अब भी हैं। अभी हाल ही में 'बीसी' के कदाचार और निष्क्रियता के बारे में एक रिपोर्ट सामने आई हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए, आरबीआई ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ समन्वय करते हुए एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स रजिस्ट्री स्थापित की है और 'बीसी' प्रमाणन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। 'बीसी' रजिस्ट्री मौजूदा और संभावित 'बीसी' के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और 'बीसी' के संचालन की निगरानी में मदद करती है। यह रजिस्ट्री 'बीसी' की एक नकारात्मक सूची भी तैयार करती है।

बीसी पारिश्रमिक, बीसी की निगरानी, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों से जुड़े बीसी की निगरानी, बीसी द्वारा लगाए जाने वाले अनियमित शुल्क, बीसी की निष्क्रियता और अधिकांश बीसी का मुख्य रूप से सीमित नकदी कैश- इन कैश- आउट लेनदेन में लगे रहना- ये सभी कारण बीसी मॉडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन की पैठ बढ़ाने में प्रमुख बाधाएं हैं।

कुछ सुझाव

सुदृढ़ बीसी निगरानी, बीसी परिचालनों के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) दिशा-निर्देशों को कड़ा करना तथा संभवतः भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा एक आदर्श पारिश्रमिक संरचना का निर्माण, जिसे भविष्य में बैंकों द्वारा अपनाया जा सके, वित्तीय समावेशन पारिस्थितिकी तंत्र में इस महत्वपूर्ण कड़ी के परिचालन में सुधार लाने की दिशा में कुछ कदम हो सकते हैं।

चलते-चलते

सच तो यह है कि केवल बैंक में खाता खोलने भर से वित्तीय समावेशन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। खातों को लगातार परिचालन में रखने की आवश्यकता है और इसके लिए उपयोगकर्ताओं के पास आय और बचत का नियमित प्रवाह होना चाहिए। अतः वित्तीय समावेशन की राह में हमें अभी एक लंबी दूरी तय करनी है।

इस क्षेत्र में शुरू की गई कई विभिन्न गतिविधियों के बावजूद, अभी भी वित्तीय समावेशन की दिशा में काफी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। 'बीसी' को आवश्यक व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के साथ-साथ उन पर प्रत्यक्ष जिम्मेदारी डालने की भी आवश्यकता है ताकि अपने परिचालन में वे दिन-ब-दिन मजबूत हो सकें। 'बीसी' के संचालन पर विनियामक द्वारा कड़ी निगरानी की भी आवश्यकता है। आख़िरकार, हमारे ये चलते-फिरते बैंक अर्थात - 'बीसी' हमारे परंपरागत बैंकों की ही तो विस्तारित भुजाएँ हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका

- नूपुर खरे

केंद्रीय बैंकों का इतिहास लगभग सत्रहवीं शताब्दी से शुरू होता है, जब 1668 में स्वीडिश रिक्सबैंक - स्वीडन के केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट्रल बैंक, फेडरल रिज़र्व जिसकी आज अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के संसार में तूती बोलती है, की स्थापना 1914 में हुई जिसका सेंट्रल बैंकिंग क्षेत्र में अपेक्षाकृत देर से प्रवेश हुआ था। भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1935 में परिचालन शुरू किया। जहां बीसवीं सदी की शुरुआत में केवल अठारह केंद्रीय बैंक थे, वहीं आज अधिकांश देशों के अपने केन्द्रीय बैंक हैं।

केंद्रीय बैंक कई मायनों में हमारे आस पास मौजूद नियमित बैंक से भिन्न हैं। केन्द्रीय बैंक अपने कार्यों और उद्देश्यों, दोनों में काफी अलग हैं। शुरुआत में, केंद्रीय बैंकों की स्थापना सरकारों द्वारा उनके युद्ध खर्चों को पूरा करने और उनके ऋण का प्रबंधन करने के लिए वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अतः इन्हें मुख्यतः निर्गम बैंक के रूप में जाना जाता था।

केंद्रीय बैंकों की स्थापना "विशेष" वाणिज्यिक बैंकों के रूप में की गई थी और वे बहुत बाद में सार्वजनिक संस्थानों में विकसित हुए। इन बैंकों के "विशेषाधिकार" ने इन्हें न केवल सरकार का मुख्य बैंकर बनाया बल्कि उन्हें नोट या मुद्रा जारी करने के लिए एकाधिकार भी प्रदान किया। शीघ्र ही केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों के बीच लेनदेन की सुविधा के साथ-साथ उन्हें बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकों के बैंकर के रूप में भी काम करने लगे।

सहायक प्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

केंद्रीय बैंक का मुख्य मिशन व्यापक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। व्यापक आर्थिक स्थिरता का तात्पर्य स्थिर और सतत विकास हासिल करना और कीमतों को स्थिर रखना, यानी कम और स्थिर मुद्रास्फीति है। दूसरी ओर वित्तीय स्थिरता का तात्पर्य वित्तीय प्रणाली में किसी भी महत्वपूर्ण अस्थिरता की अनुपस्थिति है और सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली को वित्तीय संकट से बचाना है। 1930 के दशक की महामंदी के बाद से वित्तीय स्थिरता का महत्व और भी अधिक प्रमुख हो गया है जब सारे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रमुख बैंक विफलताओं और गहरी मंदी का सामना करना पड़ा।

आर्थिक स्थिरता और वित्तीय स्थिरता जैसे प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय बैंकों के पास कुछ साधन हैं। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय बैंक मुख्यत: मौद्रिक नीति का उपयोग करते हैं। अल्पकालिक ब्याज दरों को बढ़ा या घटाकर, वे अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और मांग को नियंत्रित करते हैं जिससे आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। **इसी कारणवश, कभी-कभी, केंद्रीय बैंकिंग को "न तो विज्ञान, न ही कला बल्कि एक शिल्प" कहा जाता है।**

वित्तीय स्थिरता के लिए, केंद्रीय बैंक का मुख्य उपकरण चलनिधि का प्रावधान है। इसको कई बार "अंतिम ऋणदाता" भी कहा जाता है। वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण विनियमन और पर्यवेक्षण का भी उपयोग करते हैं। विवेकपूर्ण नियम और सिद्धांत स्थापित करके और इन नियमों और सिद्धांतों के अनुपालन में बैंकों की जांच और निगरानी करके, केंद्रीय बैंकों का लक्ष्य एक स्वस्थ और

मजबूत बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली बनाना होता है। मजबूत और सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली वित्तीय संकट की संभावनाओं को काफी हद तक कम कर सकती है। हालांकि कई देशों में विनियामक और पर्यवेक्षी भूमिकाएँ अलग-अलग एजेंसियों द्वारा निभाई जाती हैं और इसलिए कई बार यह केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं होती हैं।

भारत के केंद्रीय बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के नाम से जाना जाता है । भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, जिसे हिल्टन-यंग कमीशन के रूप में भी जाना जाता है, ने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक के निर्माण की सिफारिश की थी। 1934 के भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम ने रिज़र्व बैंक की स्थापना की और 01 अप्रैल 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोलकाता शहर में संचालन की शुरुआत की। हालांकि रिज़र्व बैंक की शुरुआत एक निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तब से, रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली की प्रकृति के अनुरूप बढ़ती और बदलती रही है।

केंद्रीय बैंक एक सार्वजनिक संस्था है जो मौद्रिक नीति को लागू करने, देश की मुद्रा का प्रबंधन करने और धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह भारतीय रिज़र्व बैंक की भी प्राथमिक जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता और उचित नम्यता को बनाए रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की कुछ मुख्य जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं-

1) **विभिन्न वित्तीय संस्थानों का पर्यवेक्षण और विनियमन–** भारत की वित्तीय प्रणाली पर बैंकों का प्रभुत्व है। इनका विनियमन एवं पर्यवेक्षण जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक निरीक्षण द्वारा सुनिश्चित करता है कि प्रासंगिक वित्तीय कानूनों का विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा अक्षरशः पालन किया जाए। रिज़र्व बैंक को पर्यवेक्षण का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 से मिलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का यह विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य वाणिज्यिक बैंक के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, सहकारी संस्थान एवं विभेदित बैंक (लघु वित्त बैंक एवं पेमेंट्स बैंक) पर भी लागू होता है।

2) **विदेशी मुद्रा के संरक्षक और प्रबंधक–** विदेशी मुद्रा भंडार को प्रमुख परिवर्तनीय मुद्राओं में रखा जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें बहुत उच्च गुणवत्ता वाली सम्पत्तियों में निवेश किया जाता है। संरक्षण प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि केंद्रीय बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता की विदेशी संपत्ति उपलब्ध है। इस संदर्भ में, एक आरक्षित प्रबंधन इकाई आम तौर पर बनाई जाती है। हमारे देश में यह भार भी भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने ऊपर लिया हुआ है। भारतीय मुद्रा के अंतरराष्ट्रीय मूल्य को स्थिर रखने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्राओं के पर्याप्त भंडार का संरक्षण और प्रबंधन करता है।

3) **मौद्रिक नीति को परिभाषित करना–** केन्द्रीय बैंक का एक प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। ऐसा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर आधिकारिक ब्याज दरें निर्धारित करता है, जिनका पैसे की लागत पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए आर्थिक स्थिति के आधार पर, बैंक बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आधिकारिक ब्याज़ दरों को बढ़ाने का विकल्प चुनेगा। ऊंची ब्याज दरें आवास ऋण, उपभोक्ता ऋण आदि जैसी अन्य ऋणों की दरों में भी व्याप्त हो जाएंगी। जैसे-जैसे उधार लेने की लागत बढ़ती है, यह उपभोग और निवेश को हतोत्साहित करती है और इस प्रकार विकास और मुद्रास्फीति को कम करती है। दूसरी ओर, यदि अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से बढ़ रही है या मुद्रास्फीति बहुत कम है, तो केन्द्रीय बैंक ब्याज दर कम कर देगा। यह भी अन्य दरों को प्रभावित करेगा और निवेश को प्रोत्साहित करेगा जिससे आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा।

4) **बैंक नोट जारीकर्ता–** भारतीय रिज़र्व बैंक के पास 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर अन्य मुद्रा नोट जारी करने का एकाधिकार है। 1 रुपये के नोट और सभी मूल्यवर्ग के सिक्के भारत सरकार द्वारा बनाए और जारी किए जाते हैं। लेकिन, इन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में प्रसारित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी नीतियों द्वारा प्रामाणिक और पर्याप्त मात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था में साफ-सुथरे नोट जारी करने के लिए कटिबद्ध है।

5) **अंतिम ऋणदाता–** भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। आमतौर पर बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आपस में उधार लेते और उधार देते हैं। लेकिन, संकट के समय ये बैंक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कई बार रिज़र्व बैंक से भी संपर्क करते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन बैंकों को बचाने के लिए आता है जो सॉल्वेंट हैं (अस्थायी रूप से चलनिधि समस्याओं का सामना कर रहे हैं) लेकिन दिवालिया नहीं हुए हैं। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और बैंक की संभावित विफलता को रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक यह सुविधा प्रदान करता है।

6) **सरकार का बैंकर–** भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग एजेंट और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इस क्षमता में, बैंक को सरकार के धन, प्रेषण, विनिमय का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त बैंक केंद्र / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार को अल्पावधि के लिए बिना किसी ब्याज के ऋण देता है और उनके सार्वजनिक ऋण का प्रबंध भी करता है। इसमें नए रुपए ऋण जारी करना, ब्याज का भुगतान और इन ऋणों का पुनर्भुगतान भी शामिल है। केंद्र और राज्य सरकार के फंड जैसे समेकित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों का रखरखाव भी भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्यों में है। भारतीय रिज़र्व बैंक की सीमित उपस्थिति होने के कारण बैंक को अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने और सरकार की ओर से बैंकिंग व्यवसाय सुचारु रूप से चलाने के लिए नियुक्त करने के लिए भी अधिकार दिया गया है।

7) **भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियामक और पर्यवेक्षक–** केंद्रीय बैंकों का मुख्य कार्य धन में जनता के विश्वास का संरक्षक होना है, और यह विश्वास आर्थिक एजेंटों की धन संचारित करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करता है। केंद्रीय बैंक किसी देश की भुगतान और निपटान प्रणाली के केंद्र में होते हैं। केंद्रीय बैंक भुगतान और निपटान में तीन मुख्य भूमिकाएँ निभाते हैं - सेवा प्रदाता, विनियामक और उपयोगकर्ता। बड़े पैमाने पर जनता की भुगतान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश में भुगतान प्रणालियों के सुरक्षित और कई नवीन तरीकों की शुरुआत की है। नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रिज़र्व बैंक ने भारत में डिजिटल भुगतान परिदृश्य को बदल दिया है और इस कारण भारत डिजिटल संपत्ति जैसे कि सीबीडीसी, यूपीआई और उससे संबन्धित तकनीकी परिसंपत्तियों के निर्माण में अग्रणी बनकर उभरा है, जो कई अन्य विकसित देशों के लिए भी एक अनूठा उदाहरण है। डिजिटल संपत्ति के संबंध में भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और आगे जो चुनौती है, वह प्रभावी विनियमन के साथ नवाचार को संतुलित करने की है।

8) **वित्तीय बाज़ारों का विकास और विनियमन–** भारत में वित्तीय बाज़ार मुख्य रूप से बैंक-प्रभुत्व के संदर्भ में विकसित हुए हैं। विभिन्न प्रकार के बाजार जैसे मुद्रा बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार, विदेशी मुद्रा बाज़ार, निश्चित कॉर्पोरेट ऋण बाजार के तत्व और ब्याज दर, क्रेडिट और से संबंधित डेरिवेटिव बाज़ार रिज़र्व बैंक के दायरे विनियामक के अंतर्गत आते है। इनकी अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित विवेकपूर्ण नियम बनाने और नए वित्तीय उत्पाद पेश करने में भारतीय रिज़र्व बैंक ने चरणबद्ध मार्ग अपनाया है। वास्तविक व्यापक क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर नकदी और डेरिवेटिव बाजारों में कई एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पाद हैं जिन्हें भारतीय

रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विनियमित किया जाता है।

9) **विकास की भूमिका-** एक ऐसे देश में जहाँ समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी गरीब है, समावेशी विकास का अत्यधिक महत्व है। गरीबी उन्मूलन और कम आय साधन वाले लोगों के लिए संयोजित वित्त तक आसानी से पहुंच आवश्यक है और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों में से एक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना भी है। इसके अलावा एक विकासशील देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक की जिम्मेदारियों में वित्तीय बाजारों और अन्य वित्तीय संस्थानों का विकास भी शामिल है।

10) **सलाहकार की भूमिका–** भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करता है जो उदाहरण एवं संदर्भ के तौर पर सरकारों या निजी संगठनों के लिए उपयोगी होते हैं। मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और समग्र व्यापक आर्थिक स्थिरता के विश्लेषण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वयं की अनुसंधान दक्षता विकसित की है । इसके अतिरिक्त बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा नियमित रूप से अर्थशास्त्र, वित्त और सांख्यिकी से संबन्धित कई शोध पत्र प्रकाशित किए जाते हैं । यह सभी बैंक को सरकार के लिए उच्च कोटि के सलाहकार के रूप में स्थापित करते हैं जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

केंद्रीय बैंक को बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष वित्तीय संस्थान माना जाता है जो किसी राष्ट्र की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय बैंक अपने राष्ट्र के लिए मौद्रिक प्रणाली की देखरेख के साथ-साथ मुद्रा स्थिरता, बैंकिंग संरचना का नियंत्रण, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, वित्तीय समावेशन जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। पिछली शताब्दी से केंद्रीय बैंक की भूमिका का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।

केंद्रीय बैंक किसी भी देश में सत्ता में मौजूद राजनीतिक समूह से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना होता है। सरकारों और नियामकों को वित्तीय क्षेत्र की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करने और नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक एक केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी भूमिका से कहीं आगे बढ़कर केंद्रीय बैंक के विश्व मानस पटल पर उत्कृष्टता और नवीनता का प्रतीक बन गया है। अपनी दूरदर्शिता से भारतीय रिज़र्व बैंक ने भविष्य की बाधाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर देश को "विकसित भारत" बनाने में और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में सरकार का बराबरी का साथ दिया है। इस बात को एक हालिया उदाहरण से समझा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड 19 महामारी के दौरान भी सुचारु रूप से चलाने का श्रेय भारतीय रिज़र्व बैंक को ही जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के आधार पर सेक्टर के अनुरूप चलनिधि अंतर्वेशन उपायों की उद्घोषणा साविधि विधि खंड के अनुसार की ताकि सभी हितधारक तदनुसार योजना बना सकें।

घोषणा और वास्तविक प्रभाव के बीच में हमेशा कुछ समय का अंतराल होता है और इसीलिए लोगों और संस्थानों को उपाय समझने और मूल्यांकन करने में समय लगता है किन्तु भारतीय रिज़र्व बैंक ने हमेशा यह समय का अंतराल कम से कम करने की कोशिश करते हुए **'कठिन समय हमेशा नहीं बना रहता केवल दृढ़ लोग और दृढ़ संस्थान बने रहते हैं'** को शब्दशः चरितार्थ किया है।

हरित वित्त : वर्तमान और भविष्य

- डॉ. पद्माकर द्विवेदी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।

- ईशावास्योपनिषद

प्रस्तावना

हरित वित्त की पृष्ठभूमि में मानवता से जुड़ी एक महान आकांक्षा जुड़ी है। यह आकांक्षा मानव मात्र को एक वृहत परिवार का हिस्सा मानते हुए उसकी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर पर्यावरण और धरती सौंपने और संतुलित विकास की अभिलाषा पर आधारित है। एक लंबे समय तक दुनिया में विकास और कारोबार का मॉडल ऐसा रहा है जिससे पर्यावरण को गहरा नुकसान हुआ है। पृथ्वी का तापमान पिछले कुछ दशकों में और तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका प्रभाव न केवल लोगों के जीवन पर पड़ा है, बल्कि उद्योगों की कारोबारी क्षमता भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है। हरित वित्त इसी समस्या के समाधान का एक मार्ग है। यही वजह है कि दुनिया के नेतृत्वकर्ता, उद्योग, कारोबार, वित्तीय संस्थान और सरकार सहित सभी हितधारक अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक धारणीय विकास (sustainable development) के मॉडल का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने अनुभव किया कि बदली हुई परिस्थितियों में और धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए हरित वित्त को अपनाना अपरिहार्य हो चुका है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन और उससे प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए हरित वित्त एक महत्वपूर्ण उपाय बनकर सामने आया है। बढ़ती आबादी और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के साथ, देश में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की अनिवार्यता बढ़ी है। अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता ने हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करने वाले अभिनव वित्तपोषण तंत्रों का मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार *हरित वित्त का संबंध जलवायु जोखिम (climate risk) से जुड़ी चिंताओं के समाधान से है।*

सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
राजभाषा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

हरित वित्त क्या है और क्यों है ?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की परिभाषा के अनुसार **"हरित वित्तपोषण का अर्थ है सार्वजनिक, निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों से सतत एवं हरित विकास प्राथमिकताओं के लिए वित्तीय प्रवाह (बैंकिंग, माइक्रो-क्रेडिट, बीमा और निवेश) के स्तर को बढ़ाना।"** सामान्य रूप में कहें तो हरित वित्त का अभिप्राय उन वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से है जो पर्यावरणीय कारकों और जलवायु-संबंधी जोखिमों से निपटने में सहायक हैं। इसमें अक्षय ऊर्जा, हरित बॉण्ड, हरित प्रौद्योगिकी और ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढाँचे जैसे संधारणीय निवेश शामिल हैं। हरित वित्त का लक्ष्य उन परियोजनाओं के लिए पूंजी प्रदान करना है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अधिक हरित संधारणीय पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। जी-20 ग्रीन फाइनेंस सिंथेसिस रिपोर्ट के अनुसार, **हरित वित्त (ग्रीन फाइनेंस) को ऐसे निवेशों के वित्तपोषण के रूप में परिभाषित किया गया है जो पर्यावरणीय दृष्टि से हरित विकास के व्यापक संदर्भ में पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं।**[1] हरित वित्त वित्तीय निवेशों को संधारणीय और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के साथ जोड़ता है जिसका लाभ आज की तुलना में आने वाले कल में कहीं ज्यादा निहित है। हाल के

दिनों में पूरी दुनिया में हरित वित्त को लेकर महत्वपूर्ण और प्रभावकारी संकल्प देखने को मिला है। जी-20 या जी-7 सहित संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं ने हरित वित्त को लेकर गंभीर प्रयास शुरू किए हैं। भारत ने भी अक्षय ऊर्जा की उन्नति को बढ़ावा देने में हरित वित्त (Green Finance) और पर्यावरण संरक्षण पर अपने प्रयासों में उल्लेखनीय बदलाव किया है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत का कार्बन उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन के एक बड़े भाग को प्रभावित करता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। देश का संविधान भी पर्यावरण संरक्षण को अनिवार्य बनाता है। भारत की योजना 2030 तक अपने उत्सर्जन को 45% तक कम करने और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों को बढ़ाने की है।[2] भारत ने यह प्रतिबद्धता पेरिस समझौते (पेरिस जलवायु समझौता, 2015) के तहत कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यक्त की थी। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार "इन प्रतिबद्धताओं को वित्तपोषित करने के लिए, देश को प्रति वर्ष लगभग 170 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।" इस प्रकार, बिना कार्बन उत्सर्जन वाली या कम कार्बन उत्सर्जन वाली और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए एक बड़े वित्तपोषण समाधान की आवश्यकता है। निश्चय ही इसे पूरा करने में हरित वित्त एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

हरित वित्त और ईएसजी (environmental social and governance) में संबंध

ईएसजी अर्थात पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन, किसी कंपनी या वित्तीय संस्था की स्थिरता और सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। हालाँकि हरित वित्त और ईएसजी दोनों का संधारणीयता पर एक समान ध्यान है, लेकिन वे अपने लक्ष्य में भिन्न हैं। हरित वित्त का प्राथमिक उद्देश्य संधारणीय परियोजनाओं (Sustainable projects) और प्रौद्योगिकियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दूसरी ओर, ईएसजी कंपनियों का मूल्यांकन उनकी कॉर्पोरेट स्थिरता प्रथाओं और अभिशासन संरचनाओं के आधार पर करता है। हरित वित्त मुख्य रूप से पर्यावरण और जलवायु-संबंधी जोखिमों से संबंधित है, जबकि ईएसजी अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है और सामाजिक और अभिशासन कारकों पर भी विचार करता है। इस रूप में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों अवधारणाएं एक दूसरे को परस्पर सुदृढ करती हैं। उदाहरण के लिए, मजबूत ईएसजी प्रथाओं वाली कंपनी को ग्रीन फाइनेंस निवेशकों से ऋण मिलने की अधिक संभावना हो सकती है। इसी प्रकार हरित वित्त से संबंधित ऋण अनुबंध ईएसजी प्रथाओं पर बल देते हैं।

हरित वित्त के विभिन्न पक्ष

हरित वित्त का एक मूलभूत पहलू *पर्यावरणीय निवेश को वित्तीय लाभ के साथ जोड़ना* है। परंपरागत रूप से यह धारणा थी कि पर्यावरणीय निवेश और वित्तीय लाभ परस्पर विरोधाभासी हैं। हालाँकि, हरित वित्त का विकसित परिदृश्य इस धारणा को चुनौती देता है। निवेशक अब स्वीकार करते हैं कि विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील परियोजनाएं न केवल स्वच्छ पर्यावरण में योगदान करती हैं, बल्कि महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ भी प्रदान करती हैं। भारत में भी हरित वित्त या ग्रीन फाइनेंस की वृद्धि ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए विविध अवसरों को उपलब्ध कराया है। *ग्रीन बॉण्ड* और *संधारणीय निवेश* निधि जैसे विभिन्न वित्तीय मॉडल महत्ता प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में, भारत की महत्वपूर्ण नवीकरण वित्त संस्था आरईसी लिमिटेड ने अपने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के *ग्लोबल मीडियम टर्म प्रोग्राम* के हिस्से के रूप में 5 साल, 5.25 साल और 10 साल की परिपक्वता वाले ग्रीन बॉण्ड जारी किए। ये विभिन्न वित्तीय निवेशकों को अक्षय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय पहलों को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं में पूँजी लगाने में सक्षम बनाते हैं।

अक्षय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता हमारे देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक है। भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। देश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्रोतों से निवेश द्वारा समर्थित सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में वृद्धि देखी गई है। हरित वित्त (ग्रीन

फाइनेंस) इन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, अक्षय ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार की सुविधा प्रदान करने और कार्बन फुट प्रिंट में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार ग्रीन फाइनेंस के लिए अनुकूल माहौल बनाने में लगातार सक्रिय है। *घरेलू पीवी मॉड्यूल निर्माण के लिए पीएलआई योजना* जैसी पहल हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत उपाय और विनियमन किए जा रहे हैं, जिससे हरित वित्त के प्रसार के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में हरित वित्त का उदय आशाजनक है, लेकिन इसमें चुनौतियाँ भी हैं। *परियोजना जोखिम*, *नीतिगत अनिश्चितताएँ* और *मानकीकृत ग्रीन फाइनेंस मेट्रिक्स* की आवश्यकता जैसे मुद्दे इस क्षेत्र के लिए बाधाएँ खड़ी करते हैं। हालाँकि, जैसे-जैसे उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र परिपक्व होता है और हितधारक सहयोग करते हैं, इन चुनौतियों का समाधान होने के मार्ग भी प्रशस्त हो जाते हैं।

हरित वित्त कार्यक्रम

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 2023 में शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पर्यावरण-सकारात्मक कार्यों के लिए बाजार-आधारित प्रोत्साहन बनाना है। यह कार्यक्रम कार्बन उत्सर्जन में कमी तक ही सीमित नहीं है। वर्तमान में, कार्बन क्रेडिट के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार-आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली कंपनियों या देशों को कार्बन क्रेडिट का भुगतान करती हैं बशर्ते वे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कार्य करें। इस 'क्रेडिट' को निधियों को हासिल करने के लिए ट्रेड भी किया जा सकता है। जो कंपनियाँ अपने उत्सर्जन मानकों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं, वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे 'क्रेडिट' को खरीदती हैं। शुरुआती बिंदु के रूप में, यह कल्पना की गई है कि निजी कंपनियाँ अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के हिस्से के रूप में इन ग्रीन 'क्रेडिट्स' को खरीदेंगी। कार्बन क्रेडिट, जो उद्योग और निगमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बाजारों के विपरीत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम व्यक्तियों और समुदायों को भी लाभान्वित कर सकता है।

भारत में हरित वित्त का स्वरूप

भारत में हरित वित्त का परिदृश्य अभी मुख्यत: दो रूपों में है :

1. सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड
2. ग्रीन डिपॉज़िट

विश्व बैंक के अनुसार, ग्रीन बॉण्ड एक प्रकार की ऋण प्रतिभूति है जो पर्यावरण या जलवायु से संबंधित पहलों के लिए धन जुटाने के लिए जारी की जाती है। सरकारें, कंपनियाँ और बहुपक्षीय संगठन विशेष रूप से उन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए ग्रीन बॉण्ड जारी करते हैं, जिनमें सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ होते हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और हरित आवासीय या व्यावसायिक भवन आदि। निवेशकों को इसके बदले में निश्चित आय भुगतान प्राप्त होता है। इसमें भारत सरकार के बाजार उधार के हिस्से के रूप में, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (हरित अवसंरचना) के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी किए जाएंगे। इससे प्राप्त आय का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाएगा जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में कार्बन अधिकता को कम करने में मदद कर सकती हैं। दुनिया भर में *राष्ट्रीय सरकारों ने 2024 तक कुल 111 बिलियन डॉलर मूल्य के सॉवरेन ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड जारी करने की योजना बनाई थी।*[3] इस क्षेत्र में अभी तक की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

भारत में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ग्रीन बॉण्ड की राशि का प्रतिशत :

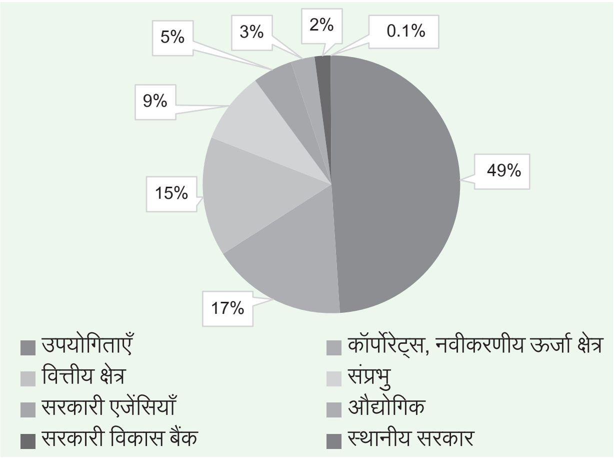

स्रोत : विश्व बैंक, ब्लूमबर्ग : 2023-24

लेकिन इन बेहतर संभावनाओं के बीच ग्रीनवॉशिंग भी एक दूसरा पहलू है जिसका हरित वित्त में सामना करना पड़ सकता है। ग्रीनवाशिंग का अर्थ किसी उत्पाद या अभ्यास के पर्यावरणीय लाभों के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी या विवरण देना है। इसमें कंपनियां गलत जानकारी के जरिए हरित वित्त की सब्सिडी का लाभ उठाते हुए अपनी प्रदूषणकारी प्रथाओं को जारी रखती हैं। अतः इसके लिए सक्षम पर्यवेक्षण एवं विनियमन और निगरानी प्रणाली बनाए जाने की आवश्यकता है।

हरित वित्त के संदर्भ में निवल- शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य और भारत

ग्रीन डिपॉजिट एक प्रकार का वित्तीय उत्पाद है जिसे बैंक और वित्तीय संस्थान पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय पहलों और परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करते हैं। यह जमाएं विशेष रूप से हरित और संधारणीय परियोजनाओं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य पर्यावरण के अनुकूल पहलों के वित्तपोषण के लिए धनराशियां जुटाने के लिए होती हैं। विभिन्न बैंक स्वतः ही कई तरह के हरित जमा उत्पाद ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं।

हाल ही में ग्लासगो में COP26 में विचार-मंथन सत्र के दौरान, भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी। पाँच-आयामी प्रतिबद्धता "पंचामृत" के हिस्से के रूप में, उन्होंने भारत के लिए वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने और कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करने के एक बड़े लक्ष्य को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री महोदय ने 2021 और 2030 के बीच अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के अनुसार, 2070 तक निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। ये निवेश भारत के बिजली, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों को डीकार्बनाइज़ (कार्बन मुक्त) करने में मदद करेंगे। सीईईडब्ल्यू ने यह भी अनुमान लगाया कि भारत को अपनी निवल-शून्य महत्वाकांक्षा में $3.5 ट्रिलियन की महत्वपूर्ण निवेश कमी का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है ऐसी स्थिति में बैंकों को इन निवेश लक्ष्यों को पूरा करने या किसी भी कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। साथ ही, बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में सबसे आगे है, क्योंकि यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय सेवा उद्योग इस परिवर्तन के कुल संभावित वित्तीय प्रभाव के 72% भाग से संबंधित है। बैंकिंग क्षेत्र भारत की वाणिज्यिक गतिविधियों की रीढ़ रहा है, क्योंकि यह एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। यह अभी भी उद्योगों के लिए वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत है। इसलिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में एक प्रमुख वाहक के रूप में इसकी भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों के लिए देश में हरित बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में निरंतर प्रयासों के माध्यम से निवल-शून्य उत्सर्जन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ़र

ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं आदि में तैनात की जाती है। इन निवेशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं, पवन ऊर्जा, जैविक खेती, ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचे आदि

का वित्तपोषण शामिल हो सकता है। भारत में एचएसबीसी और एचडीएफ़सी बैंक सहित कुछ और बैंक ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट (एफ़डी) प्रदान करते हैं। ये एफ़डी अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, प्रदूषण की रोकथाम, हरित निर्माण और संधारणीय जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। पात्र जमाकर्ता ग्रीन एफ़डी पर एक अच्छी ब्याज दर भी पा सकते हैं। ग्रीन एफ़डी उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रदत्त हैं जो बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसमें विशिष्ट शर्तों के तहत समय से पहले निकासी की अनुमति है, और 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्रीन एफ़डी के बदले ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है। हालाँकि ऐसे मामलों में उन्हें नियमित एफ़डी में परिवर्तित किया जा सकता है।

हरित वित्त का विनियामकीय पहलू

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा *जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र* (डीपी) 27 जुलाई 2022 को सार्वजनिक टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक किया गया था। इस संबंध में प्राप्त सुझावों के विश्लेषण के आधार पर आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व-गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा प्रमुख नीतिगत निर्णयों की घोषणा करते हुए जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर विनियामक पहल की घोषणा भी की है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के आधार पर एक कार्यनीति तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इन दिशानिर्देशों में शामिल हैं :

1. *ग्रीन डिपॉजिट* की स्वीकृति के लिए व्यापक रूपरेखा।
2. जलवायु से संबंधित *वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण रूपरेखा* ; और
3. जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और *दबाव परीक्षण पर मार्गदर्शन प्रदान करना* ।

नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार, जब तक तापमान वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जाता भारत में विकास में भारी गिरावट आएगी। यह गिरावट प्रतिकूल मौसमी घटनाओं और देरी से आने वाले मानसून के कारण और अधिक परिवर्तनशील होगी और तीव्र वित्तीय दबावों के प्रति संवेदनशील होगी। इसके अंतर्गत जलवायु जोखिम के कारण अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं। इससे उत्पादन, विनिर्माण, सीमेंट और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों का भविष्य भी अनिश्चित है, क्योंकि वे इनसे बहुत अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं।

हरित वित्त से जुड़ी चिंताएं

लेकिन इसके अलावा हरित वित्त को लेकर कुछ सवाल भी हैं जिनका उत्तर हमें ढूँढना होगा। उदाहरण के लिए यह निश्चित नहीं है कि आखिरकार "हरित वित्त'' के रूप में क्या-क्या शामिल किया जाएगा और क्या नहीं। इस पर अंतिम निर्णय किसका होगा। हाल ही में प्रतिभूति बाजार विनियामक (सेबी) ने सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए एक वर्गीकरण और एक रिपोर्टिंग रूपरेखा को परिभाषित करने का कदम उठाया। वित्त मंत्रालय स्वाभाविक रूप से पसंद करेगा कि इस तरह के किसी भी वर्गीकरण को केंद्रीय रूप से तय किया जाए। बेहतर है कि ऐसी स्थिति में विभिन्न विनियामकों और मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व वाली एक अंतर-विभागीय समिति बेहतर समन्वय के साथ और स्पष्टता के साथ कार्य करे।

एक अन्य पहलू प्रोत्साहन का भी है। भारत ने 2023 में सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड शुरू किया। यह बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर नहीं बिका और ज़्यादातर घरेलू निवेशकों ने ही इसे खरीदा। विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी इसमें कम दिखी। फलत: आरबीआई ने इस साल के लिए निर्धारित दूसरे चरण की बिक्री रद्द कर दी।[4] आरबीआई ने 2023 में जलवायु दबाव परीक्षणों के प्रारंभिक चरण के परिणाम जारी किए। उन्होंने पाया कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विशाल नेटवर्क हरित वित्त के लिए विशेष रूप से कमज़ोर था।

यह भी तथ्य यह है कि भारत के कई बैंकों ने अतीत में ऊर्जा क्षेत्र को भारी मात्रा में ऋण दिया है। पिछले साल के आंकड़ों से

पता चला है कि बैंक अब नए कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों को वित्तपोषित करने से कतरा रहे हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें चिंता है कि वे इस क्षेत्र में अत्यधिक जोखिम में हैं। (नवीकरणीय ऊर्जा को ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है।) जिस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को एक बड़ी समस्या के रूप में पहचाना गया था, उसमें विस्तृत विवरण के साथ यह भी बताया गया था कि अन्य केंद्रीय बैंक और विनियामक इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वास्तव में अब पहले से कहीं बेहतर विजन और रोडमैप मौजूद है। भारत को बस गति बढ़ाने की जरूरत है।

विश्व स्तर पर, हरित वित्त और जलवायु जोखिम विनियामकों, राष्ट्रीय प्राधिकारियों और अंतर-राष्ट्रिक प्राधिकारियों जैसे विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंक और पर्यवेक्षक भी जलवायु जोखिम और हरित वित्त में गहरी रुचि ले रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) 23 अप्रैल 2021 को वित्तीय प्रणाली को पर्यावरण संवेदी बनाने के केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क (एनजीएफ़एस) में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। यह 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन से अस्तित्व में आया। एनजीएफ़एस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक ऐसा समूह है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान देने का उद्देश्य रखते हैं, साथ ही एक धारणीय अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने के लिए मुख्यधारा के वित्त को जुटाते हैं। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से जूझते हुए आर्थिक ढाँचे में हरित वित्त को एकीकृत करने की दिशा में एक स्पष्ट बदलाव हुआ है।

समाहार

निश्चय ही आज जलवायु जोखिम हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इसका निर्णायक रूप से निराकरण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हरित वित्त में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह क्षेत्र है जो व्यवसायों को वित्त पोषित करता है और उनकी गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। अपनी कार्य नीतियों को अधिक स्थिर और पर्यावरण अनुकूल बनाने के अपने प्रयासों के साथ-साथ व्यवसायों को मदद करने और संस्थाओं के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करने में बैंकों की भूमिका विशिष्ट होगी। सरकार और केंद्रीय बैंक मिलकर उचित मार्गदर्शन और विनियमों के माध्यम से जलवायु से जुड़े जोखिमों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे चरण में है जहां हमें तेजी से विकास करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारे सामने वाणिज्यिक ऋण और निवेश निर्णयों में जलवायु जोखिम और ईएसजी से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के तरीकों के बारे में विचार करने की चुनौती है, और साथ ही साथ ऋण विस्तार, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास की जरूरतों को संतुलित करने की है। सामूहिक प्रयास ही हमारी प्रगति को जल्दी आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होगा। भारत में ग्रीन फाइनेंस या हरित वित्त और निवेश के विकास में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। हालाँकि, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के ठोस प्रयासों और घरेलू और विदेशी निवेशकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी। निश्चय ही हरित वित्त *पर्यवारण संवेदी आर्थिक विकास* के अपने मॉडल के जरिए *वसुधैव कुटुंबकम* के महान भारतीय दर्शन को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। *यह वह दर्शन है जिसमें सबका साथ सबका विकास शामिल है।* नि:संदेह हरित वित्त आने वाले कल को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

संदर्भ

1 जी20 ग्रीन फाइनेंस सिंथेसिस रिपोर्ट, 5 सितंबर 2016, पृष्ठ 13

2 इंडियन एक्स्प्रेस में 04 अगस्त 2022 को प्रकाशित रिपोर्ट

3 बिजनेस स्टैण्डर्ड में 03 फरवरी 2022 को प्रकाशित रिपोर्ट

4 बिजनेस स्टैण्डर्ड में 31 मई 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट

जमा संग्रहण में रिलेशनशिप बैंकिंग का बढ़ता महत्व

- राजेन्द्र सिंह

आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के लागू होने के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो दौर चला है उससे आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण में गहन प्रतिस्पर्धा विकसित हो गयी है। ऐसे वातावरण में नए ग्राहकों को बैंक में लाना और वर्तमान ग्राहकों को बैंक से जोड़े रखना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विचार प्रकट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जमा संग्रहण में वृद्धि करने के लिये विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है क्योंकि कर्ज में वृद्धि दर जमा में वृद्धि दर से अधिक है।

इस बारे में यही कहा जा सकता है कि लोग म्यूचुअल फण्ड और सामान्य शेयर में निवेश अधिक कर रहे हैं। यह तथ्य भी सामने आया है कि बैंक बढ़ते कर्ज के मांग को ध्यान में रखकर कम अवधि के रिटेल जमा संग्रहण पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

आज सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है जो कुछ दशक पहले 40 प्रतिशत से भी कम था। इससे पता चलता है कि आज सेवा उद्योग में ग्राहकों को अच्छी सेवायें मिल रही हैं। आज बैंकों द्वारा मोबाइल बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, एनीव्हेर बैंकिंग और इण्टरनेट बैंकिंग सेवायें प्रदान की जा रही है। परन्तु प्रश्न यह है कि इन सेवाओं की गुणवत्ता क्या है? अनुभवों से पता चलता है कि बैंकों द्वारा उत्पाद (सेवाएं) ग्राहकों को उपलब्ध तो करा दिया जाता है परन्तु उसके बाद इन उत्पाद (सेवाओं) की आवधिक समीक्षा नहीं की जाती जिसका परिणाम यह होता है कि ग्राहकों की समस्यायें बढ़ती चली जाती हैं।

यदि किसी सेवा प्रदान करने वाली संस्था में 5 प्रतिशत से अधिक संतुष्ट वाले ग्राहक हैं तो इससे बार-बार ग्राहक और सन्दर्भ से आए ग्राहकों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। इसमें मात्र 5 प्रतिशत नये ग्राहकों को लक्ष्य में रखना होगा। इस परिदृश्य में ग्राहक अधिग्रहण लागत में कमी आएगी जो 10 प्रतिशत से अधिक की होगी। इससे बिक्री और विपणन लक्ष्य आसानी से पूरे किये जा सकते हैं। यह सारिणी - 2 ग्राहक सेवा और सारणी-3 ग्राहक सेवा में दिया गया है।

उपर्युक्त आंकड़ो से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राहक संतुष्टि सबसे उत्कृष्ट विक्रय साधन है जिसे पेशेवर लोग प्रयोग कर सकते हैं। इस सच्चाई को जानने के बावजूद भी हम इन बिन्दुओं पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना ध्यान दिया जाना चाहिये। हम पारम्परिक तौर-तरीकों जैसे विज्ञापन और टेलीमार्केटिंग पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि हम पारम्परिक तौर-तरीकों से आगे बढ़कर रिलेशनशिप बैंकिंग की ओर उन्मुख हो रहे हैं। यहां उपयुक्त होगा कि हम पारम्परिक बैंकिंग और रिलेशनशिप बैंकिंग में अन्तर को देखें:-

मुख्य प्रबंधक (सेवानिवृत्त)
इंडियन ओवरसीज़ बैंक

पारम्परिक बैंकिंग और रिलेशनशिप बैंकिंग में अन्तर

पारम्परिक बैंकिंग	रिलेशनशिप बैंकिंग
नए-नए ग्राहकों को बैंक में लाने पर जोर	ग्राहकों को बैंक में बनाये रखने पर जोर
उत्पाद अभिमुखता	नवोन्मेष उत्पादों के लिये अभिमुखता
व्यक्तिगत लेन-देन दृष्टिकोण	निरन्तर बहुविधि लेन-देन पर जोर
दीर्घकालीन परिदृश्य का अभाव	निरन्तर सम्बन्ध
ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता नहीं	ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता
गुणवत्ता की जागरूकता केवल थोड़े लोगों तक ही सीमित है।	गुणवत्ता की जागरूकता सभी में है।
सीमित ग्राहक प्रतिबद्धता	उच्च ग्राहक प्रतिबद्धता
सूचना प्रौद्योगिकी का सीमित प्रयोग	सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर प्रयोग

रिलेशनशिप बैंकिंग की संकल्पना

रिलेशनशिप बैंकिंग की संकल्पना इस बात पर आधारित है कि एक ग्राहक केवल उत्पादों या सेवाओं के लिये ही बैंक में नहीं आते अपितु अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये भी आते हैं। अतएव हम कह सकते हैं कि संबंध बैंकिंग से ही उत्पाद (सेवाओं) का प्रभावी विपणन संभव है। क्रिस्टोफर के शब्दों में, "संबंध विपणन एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा वर्तमान और भावी ग्राहकों को नियमित ग्राहकों में बदला जा सकता है और साथ ही इन्हें संस्था और उसके उत्पादों के प्रचार-प्रसार में सहायता के लिये प्रेरित किया जा सकता है जिससे वे संस्था के एक क्रियाशील संदेशवाहक बन सकें।"

ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन की परिभाषा

- ग्राहकों से सम्बन्ध बनाकर रखना है।
- सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा ग्राहकों को बैंक से जोड़ना और उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना।
- इसके अन्तर्गत ग्राहकों की पहचान करना, ग्राहकों का नेटवर्क बनाना जिससे व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ निरन्तर संवाद बनाते हुये पारस्परिक लाभ एवं मूल्य संवर्धन हेतु एक दीर्घकालिक योजना तैयार की जा सके।
- ग्राहक संबंध प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के आधार पर बैंक से जोड़ा जाता है और उनकी अपेक्षाओं से अधिक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती हे जिससे उनका संबंध बैंक से बरकरार रहे। साथ ही नवोन्मेषी ओर अनुकूल विपणन प्रणाली के माध्यम से नए - ग्राहकों को भी बैंक में लाया जाता है। परन्तु इस प्रक्रिया में पूरे संगठन के लोगों की पूरी वचनबद्धता की नितान्त आवश्यकता है जिससे संबंध प्रबंधन की रणनीतियों की पहचान कर उन्हें लागू किया जा सके और सभी संबंधित लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

ग्राहक संबंध प्रबंधन से लाभ

ग्राहक संबंध प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बना के रखना है। इसमें वर्तमान ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और उसी के अनुरूप उत्पाद (सेवाओं) का निर्माण करना है। इन सबके पीछे उद्देश्य यही है कि लाभप्रदता बढ़े। ऐसे ग्राहक ही बैंक की छवि बढ़ाने में सहायता करते हैं, इसी को अप्रत्यक्ष रूप से विपणन प्रक्रिया भी कहा जाता है।

कई बार इस प्रकार के प्रश्न सामने आते हैं कि क्या बैंकों को, विशेषकर बैंक कर्मियों को, मात्र व्यावसायिक बनकर यान्त्रिक सेवायें देनी हैं या फिर ग्राहकों का व्यक्तिगत रूप से भी ख्याल रखना है। अतः हमें यह देखना है कि विकास व लाभप्रदता के दीर्घकालीन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये रिलेशनशिप बैंकिंग के माध्यम से आगे बढ़ना आवश्यक है।

ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन से लाभ

इससे होने वाले लाभ की चर्चा यहां की जा रही है :

- अध्ययनों से यह स्पष्ट है किसे नये ग्राहकों को आकर्षित करने की अपेक्षा पुराने ग्राहकों को बनाये रखना पांच गुना सस्ता पड़ता है,
- निष्ठावान ग्राहकों की संख्या में वृद्धि,
- ग्राहक आधार में वृद्धि,
- विज्ञापन एवं अन्य विपणन प्रोत्साहन लागत में कमी,
- ग्राहक चयन में लाभदायक,
- लाभप्रद ग्राहकों की संख्या में वृद्धि,
- नये उत्पादों (सेवाओं) का आसान वितरण,
- व्यवसाय संवर्धन में आसानी,

ग्राहकों को आकृष्ट करने हेतु मुख्य बातें

- **संकेन्द्रित धारणा :** हर ग्राहक की अपनी एक पसंद होती है, किसी को एक तरह के उत्पाद (सेवाएं) पसन्द हैं तो दूसरे लोगों को दूसरी तरह के। ऐसी स्थिति में हमें उन ग्राहकों का पता लगाना होगा जो अमुक बैंक के उत्पाद (सेवाओं) से पूरी तरह उदासीन हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान केन्द्रित कर उनकी आवश्यकताओं का पता लगाकर उसके अनुरूप उत्पादों (सेवाओं) में परिवर्तन किया जा सकता है। इससे नए ग्राहक बैंक से जुड़ेंगे।
- **सम्प्रेषण :** ग्राहकों को आकर्षित करने के लिये सम्प्रेषण की कुशलता का विशेष महत्व है। सम्प्रेषण खुला, पारस्परिक प्रभाव पैदा करने वाला होना चाहिये जिससे सम्भावित ग्राहकों में पारस्परिक विश्वास बढ़े और वे बैंक की ओर ध्यान कर सकें।
- **भय, अनिश्चितता और शंकाओं को दूर करना** : जब एक ग्राहक बैंक में प्रवेश करता है तो उसके मन में एक डर की भावना व्याप्त होती है। साथ ही उसके अनेक प्रश्न भी होते हैं जिनका उसे उत्तर चाहिये। अतएव ऐसी स्थिति में बैंकर का कर्तव्य होता है कि वह उनके प्रश्नों के उत्तर सावधानी से दें जिससे उनमें व्याप्त डर समाप्त हो और उन्हें बैंक से जोड़ा जा सके।
- **उत्पादों (सेवाओं) की लाभप्रदता से ग्राहकों को अवगत करायें:** सभी ग्राहकों की इच्छा यही होती है कि बैंक उत्पादों (सेवाओं) से लाभ मिले। जहां उसे इन उत्पादों (सेवाओं) से अपेक्षित लाभ मिलने की संभावनायें बढ़ जाती हैं तो ऐसे ग्राहकों को बैंक से जोड़ना सरल हो जाता है।

अतएव संभावित ग्राहकों की आवश्यकताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिये। ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों (सेवाओं) का चुनाव, उनका मूल्य निर्धारण और साथ ही प्रोत्साहक कदम उठाने चाहिये। इन प्रयासों को नियमित आधार पर करने की आवश्यकता है।

- **प्रचार एवं जन सम्पर्क :** किसी भी संस्था की छवि का निर्माण प्रचार-प्रसार से होता है। किसी भी राष्ट्रीय दिवस पर समारोह आयोजित करके, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान कर और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों को प्रायोजित करके जनता के बीच बैंक की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है।
- **वर्तमान ग्राहकों पर ध्यान :** जो बैंक अपने वर्तमान ग्राहकों पर ध्यान देते हैं उन बैंकों के लिये संभावित ग्राहकों को लाना आसान होता है क्योंकि यही ग्राहक जनता में बैंक की छवि बनाने में सहायक होते हैं।

ग्राहक सम्बन्ध निर्माण प्रबन्धन का कार्यान्वयन

आजकल ग्राहक संबंध निर्माण प्रबंधन बैंकों के लिये एक प्रचलित शब्द हो गया है। जहां ग्राहक सेवा का अर्थ ग्राहकों द्वारा मांगे गये उत्पाद (सेवाओं) की पूर्ति करनी है वहीं ग्राहक संबंध प्रबंधन का अर्थ ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है जिससे उनकी निष्ठा बैंक के लिये बनी रहे।

जब एक ग्राहक बैंक से जुड़ता है तो उसके मन में भविष्य के प्रति अनिश्चितता, धन के प्रति लालसा, दिखावा, गर्व, फैशन, दूसरों के प्रति प्रेम, सम्मान, स्वास्थ्य और भौतिक समृद्धता, सुख, सुविधा, छल कपट आदि के विचार होते हैं। एक बैंकर का कर्तव्य है कि इन भावनाओं में से चुनाव कर उसे 'संरक्षक अभिप्रेरणा' में बदल दें।

- ग्राहक संतुष्टि तभी आती है जब ग्राहक बैंक की सेवाओं से प्रसन्न हो। ग्राहक सेवा के संबंध में बैंजामिन स्नाईडर व डेविड बोवेन का कथन प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा। इस कथन के अनुसार, "सेवा केन्द्रित व्यवसायों, जैसे बैंको में ग्राहक को संतुष्ट रखने व व्यवसाय में वृद्धि करने के लिये आवश्यक है कि ग्राहक के साथ संबंध में सुरक्षा, पारदर्शिता व सम्मान की भावना को उचित स्थान दिया जाये"।

  ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि उनकी आर्थिक आवश्यकताओं के साथ, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाये जिससे ग्राहकों को सुरक्षा, न्याय का अहसास हो और उनके आत्म सम्मान को बल मिले। इसके लिये निम्न बिन्दुओं की आवश्कता है:-

  - **स्टाफ सदस्यों की अभिप्रेरणा :** बिना अभिप्रेरित और प्रशिक्षित स्टाफ के ग्राहक संबंध प्रबंधन लागू नहीं किया जा सकता। इनको आपसी व्यवहार और बैंकिंग के बारे में प्रशिक्षित होना चाहिये।

  - **स्टाफ सदस्यों का ज्ञान :** यद्यपि बैंक लम्बे-चौड़े विज्ञापन देते हैं परन्तु जब एक ग्राहक बैंक में दाखिल होता है और अपने प्रश्नों की जानकारी चाहता है तो उसे बैंक उत्पादों (सेवाओं) की पूर्ण जानकारी नहीं मिलती जिससे ग्राहकों में असन्तोष पैदा हो जाता है और वे दूसरे बैंकों की ओर पलायन कर जाते हैं।

- **बैंकिंग वातावरण :** ग्राहक उन्हीं बैंकों से व्यवहार बनाना चाहते हैं जहां काउन्टर पर बैंक कर्मचारी से मित्रवत एवं सम्माननीय व्यवहार मिलता हो। ग्राहक यह भी चाहता है कि एक ही शाखा में एक ही काउन्टर पर सभी बैंकिंग सुविधायें मिलें जिससे उसके समय की बचत हो। शाखाओं को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत करके इसको पूरा किया जा सकता है।

बैंक परिसर का वातावरण अच्छा होना चाहिये। ग्राहक अच्छा वातावरण पाकर सुविधाजनक अनुभव करता है। अतएव परिसर में बैठने की समुचित व्यवस्था एंव साज-सज्जा करके, आकर्षक फर्नीचर रखकर, पौधे लगे गमले रखकर और हल्का संगीत बजाकर वातावरण अच्छा बनाया जा सकता है।

- **ग्राहकों को बनाये रखना :** अनुभवों से पता चलता है कि नये ग्राहक बनाने की अपेक्षा पुराने ग्राहकों को बना कर रखना अधिक लाभदायक है। विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि यह आवश्यक नहीं कि असन्तुष्ट ग्राहक शिकायत ही करें, वह उसकी चर्चा अन्य ग्राहकों से करता है और उन्हें भी असुविधाओं के प्रति संवेदनशील बना देता है। अतएव शुरूआत में ही ग्राहकों के असन्तोष पर काबू पा लेना चाहिये। यदि असन्तोष के कारण कोई ग्राहक हमें छोड़कर जाता है तो उस को मनाने का भी प्रयत्न करना चाहिये।

ग्राहक संतुष्टि सूचक

ग्राहक संतुष्टि का पता लगाने के लिये ग्राहक संतुष्टि सूचक तैयार किया जाता है। इसमें लक्ष्य समूह को व्यक्तिगत और कार्पोरेट ग्राहकों में बाट दिया जाता है। ग्राहक संतुष्टि की सूचक निकालने की विधि यहां दी जा रही है :

- बैंक द्वारा निर्मित 5 - 10 बुनियादी उत्पादों (सेवाओं) का चयन कर लें
- ग्राहक वर्ग और शाखा की तरफ से एक-एक प्रतिनिधि लेकर एक समूह गठित किया जाना चाहिये।
- इस केन्द्रित समूह से प्रत्येक चुनिन्दा उत्पाद (सेवा) के लिये संतुष्टि मानदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिये।
- संक्षिप्त प्रश्नावली के साथ एक नमूना सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये प्रश्नावली में निम्न प्रश्न शामिल किये जा सकते हैं :

1. क्या बैंक आपको सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करा रहा है?
2. क्या आपको एक सम्मानित ग्राहक के रूप में देखा जा रहा है?
3. क्या आप बैंक से पुनः जुड़ना चाहते हैं?

इन सभी आंकड़ो को मिलाकर उनका विश्लेषण करें जिससे प्रत्येक उत्पाद के बारे में ग्राहक संतुष्टि का आकलन हो सके और तदनुसार इसके लिये रणनितियां बनाई जा सके।

उपसंहार

ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन उत्पाद (सेवाओं) पर केन्द्रित न होकर ग्राहक - केन्द्रित है। बैंकों को अपने उत्पाद सेवायें उपलब्ध कराने के बाद ग्राहकों से सम्पर्क बनाये रखना चाहिये। बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से निरन्तर संबंध बनाये रखने से, ग्राहक अपनी समस्त आवश्यकताओं व उत्पादों (सेवाओं) के लिये उसी बैंक पर निर्भर रहेंगे। रिलेशनशिप बैंकिंग की सफलता के लिये कर्मचारियों का सकारात्मक दृष्टिकोण व ऊँचा मनोबल होना आवश्यक है। अतएव बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को अपनी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

ग्राहक संबंध प्रबंधन 10 प्रतिशत रणनीति तथा 90 प्रतिशत कार्रवाई है। आज सूचना प्रौद्योगिकी में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, नई-नई सुविधाओं का विकास हो रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये हमें ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को विकसित करना होगा, मधुर बनाना होगा। बैंक के प्रत्येक स्टाफ का ग्राहकों के प्रति आदर, सम्मान और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना ही ग्राहक संबंध प्रबंधन का मूल-मंत्र है।

आज म्यूचुअल फंड के प्रति बढ़ते आकर्षण से भारत सहित सभी विकासशील देशों में बैंकिंग प्रणाली के समक्ष जमा संग्रहण में एक चुनौती खड़ी हो गयी है। इस चुनौती को सामना करने के लिये रिलेशनशिप बैंकिंग एक कारगार कदम साबित हो सकता है।

जाली नोट की पहचान, रिपोर्टिंग और अनुवर्तन

- विनय कुमार पाठक

जाली नोट अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इनसे निपटना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है कि आज की उन्नत तकनीक के कारण जाली नोट का मुद्रण बहुत ही आसान हो गया है। आज न सिर्फ विदेश से जाली नोटों को अर्थव्यवस्था में खपाने की कोशिश होती है बल्कि दुर्भाग्यवश देश के अंदर भी कई अपराधी इस काम में लिप्त पाए गए हैं। आए दिन जाली नोट मुद्रित कर बाजार में खपाने से संबंधित खबरें आती रहती हैं। इसके दुष्परिणाम को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक जाली नोट की पहचान, रिपोर्टिंग और अनुवर्तन के लिए मास्टर दिशानिर्देश जारी किए हैं और समय-समय पर इन्हें अद्यतन करता रहता है। 01 अप्रैल 2024 को इस दिशानिर्देश को अद्यतन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 35 ए और धारा 56 के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करता है। इस दिशानिर्देश से संबंधित तथ्यों का यहाँ वर्णन किया गया है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा देश में जाली नोट से संबंधित प्रस्तुत किए गए आंकड़े निम्नवत हैं :

मूल्यवर्ग	बैंकिंग तंत्र में मूल्यवर्ग वार जाली नोट पहचान/रिपोर्ट किए गए (अप्रैल-मार्च)					
	संख्या					
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	-	22	9	1	3	1
10	345	844	304	354	313	235
20	818	510	267	311	337	297
50	36,875	47,454	24,802	17,696	17,755	15,366
100	2,21,218	1,68,739	1,10,736	92,237	78,699	66,130
200	12,728	31,969	24,245	27,074	27,258	28,672
500	971	11	9	14	6	11
500 नया	21,865	30,054	39,453	79,669	91,110	85,711
1,000	717	72	2	11	482	1
2,000	21,847	17,020	8,798	13,604	9,806	26,035
कुल	**3,17,384**	**2,96,695**	**2,08,625**	**2,30,971**	**2,25,769**	**2,222,639**

स्रोत : राज्यसभा प्रश्न संख्या 1680(6 अगस्त 2024)

मुख्य प्रबंधक (सेवानिवृत)
भारतीय स्टेट बैंक

इन आंकड़ों से जाली नोटों की समस्या की गंभीरता को समझा जा सकता है।

जाली नोट को जब्त करने का अधिकार सभी बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग को है। चूंकि बैंकों के सामान्य कार्य में नगद जमा शामिल है, अतः सभी बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि उनके पास जमा होने वाले नोट में यदि जाली नोट प्रस्तुत होता है तो उसे वह जब्त करें ताकि दुबारा वह नोट बाजार में नहीं पहुंचे। अतः बैंक की सभी शाखाओं एवं कार्यालयों के काउंटर एवं जमा मशीन में जमा किए जाने वाले नोटों की उचित तरीके से जांच की जानी चाहिए। नोटों की सुरक्षा विशेषताएं भी

ऐसी होती हैं जो काफी सूक्ष्म होती हैं। जाली नोटों की पहचान के लिए असली नोटों की विशेषताओं को जानना जरूरी है। तभी जाली नोटों की पहचान की जा सकेगी।

असली नोटों की विशेषताएँ

नोटों के सामने वाले भाग और पीछे वाले भाग पर कई ऐसी विशेषताएँ होती हैं जिनसे नोटों की पहचान की जा सके। यदि हम नोट के सामने वाले भाग में प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो दो हजार रुपये के नोट का रंग मजेंटा, पाँच सौ रुपये के नोट का रंग स्टोन ग्रे, दो सौ रुपये का रंग चमकीला पीला, एक सौ रुपए के नोट का रंग हल्का बैंगनी, पचास रुपये का नोट का रंग नीला, बीस रुपये के नोट का रंग हरित-पीला, दस रुपये के नोट का रंग चॉकलेटी भूरा होता है। नोटों को चौड़ाई में रोशनी के विरुद्ध आँख के सीध में रखकर देखा जाए तो इसमें मूल्यवर्ग अंकों में लिखा दिखेगा। फिर यदि नोट को आँख के स्तर पर 45 डिग्री के कोण से देखा जाए तो मूल्यवर्ग अंकों में लिखा दिखेगा। साथ ही मूल्यवर्ग अंकों में देवनागरी में भी लिखा होता है। महात्मा गांधी की तस्वीर बिलकुल केंद्र में मुद्रित होती है। इस तस्वीर के पीछे बहुत छोटे अक्षर में भारत और INDIA लिखा होता है जिसे आवर्धक लेंस से देखा जा सकता है। इसमें जो सुरक्षा धागा है उस पर भारत RBI और दो हजार के नोट पर मूल्यवर्ग अर्थात 2000 अंकों में और अन्य मूल्यवर्ग के नोटों पर भारत और RBI लिखा होता है। यदि नोट को झुका कर देखा जाए तो इसके सुरक्षा धागे का रंग हरा से नीला हो जाता है। नोट पर भारतीय रिज़र्व बैंक के नीचे केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रत्याभूत और RESERVE BANK OF INDIA के नीचे GUARANTEED BY CENTRAL GOVERNMENT मुद्रित होता है। नोट के पिछले भाग में नोट मुद्रण का वर्ष अंकित होता है। पंद्रह भाषाओं में मूल्यवर्ग लिखा होता है। नोट के पिछले भाग पर दो हजार रुपये के नोट पर मंगलयान, पाँच सौ रुपए के नोट पर लाल किला, दो सौ रुपये के नोट पर सांची स्तूप, एक सौ रुपये के नोट पर रानी की वाव, पचास रुपये के नोट पर हम्पी, बीस रुपये के नोट पर एलोरा, दस रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर, कोणार्क की आकृति छपी होती है। वाटरमार्क में महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। नोट के ऊपर बाईं ओर और नीचे दाहिनी ओर नंबर का आकार छोटे से बड़ा होता जाता है। 200 और इससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों की दाहिनी ओर रुपए के प्रतीक चिह्न के साथ मूल्यवर्ग अंकों में लिखा होता है जिसका रंग हरा से नीला परिवर्तित हो जाता है। दाहिनी ओर अशोक स्तंभ अंकित होता है। दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए महात्मा गांधी की तस्वीर, अशोक स्तंभ और उसके ऊपर मुद्रित क्षैतिज आयत में मूल्यवर्ग का अंकों में मुद्रण उभार लिए होता है। साथ ही उनकी सुविधा के लिए दो हजार के नोट पर बिलकुल दाहिनी और बाईं दोनों ओर सात रेखाएं उभार लिए होती हैं। पाँच सौ रुपए के नोट में लकीरों की संख्या पाँच होती है। दो सौ रुपये के नोट में दो-दो लकीरों के बीच दो वृत की आकृति होती है। सौ रुपये के नोट पर चार लकीरें होती हैं।

मशीन का प्रयोग

नोटों की कई ऐसी विशेषताएँ हैं जिनकी जाँच नंगी आँखों से करना मुश्किल हो सकता है। आज का युग मशीनों का युग है। हर काम में मशीनों का प्रयोग किया जाता है। चूंकि आज जाली नोट काफी उन्नत तकनीक के साथ बनाए जाते हैं, अतः इसकी जांच के लिए मशीन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार करेंसी चेस्ट/अन्य कार्यालय में थोक में जमा नोटों की जांच भी मशीन से होनी चाहिए। आजकल एटीएम से रोकड़ निकासी बहुत ही सामान्य हो गया है। अतः यह भी आवश्यक है कि एटीएम से आहरित किए गए नोटों में से किसी व्यक्ति को जाली नोट मिलने की शिकायत न हो। अतः आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे एटीएम में नोट डालने से पहले सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसमें डाले गए सभी नोट असली हैं। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता है। एटीएम से जाली नोट निकलने को यह माना जाएगा कि संबंधित बैंक जाली नोट के प्रचलन में लिप्त है। यह व्हाइट लेवल एटीएम पर भी लागू है।

वैसे तो हर मूल्य वर्ग के नोटों की जांच मशीनों से की जानी चाहिए परंतु उच्च मूल्यवर्गों के नोटों के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही मशीनों से जाँचे गए नोटों का रेकॉर्ड भी रखना चाहिए। बैंको को अपने रोकड़ प्रबंधन को इस प्रकार बनाना चाहिए कि एक सौ रुपये से अधिक मूल्यवर्ग के नोट फिर से तब तक जारी नहीं किए जाएं जब तक मशीन से उनके असली होने की जांच न कर ली जाए। यह प्रावधान हर बैंक की हर शाखा के लिए है, भले ही रोकड़ प्राप्ति का आकार कुछ भी क्यों न हो। इस प्रावधान का अनुपालन नहीं करना भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश का उल्लंघन माना जाएगा।

पराबैंगनी लैंप तथा जाली नोट पहचानने वाली अन्य मशीनों के साथ-साथ सॉर्टिंग मशीनों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। शाखा में नगद जमा और निकासी के कार्य के आकार के अनुसार मशीन लगाई जानी चाहिए। बैंकों को इन नोट सॉर्टिंग मशीनों के द्वारा

छाँटे गए नोटों का तथा इसके द्वारा पहचान किए गए जाली नोटों का रिकॉर्ड रखना होता है। ग्राहकों की सुविधा के लिए एक मशीन ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें गिने गए नोटों की संख्या काउंटर पर बैठे कर्मचारी के साथ-साथ ग्राहक को भी स्क्रीन पर दिखे। इससे ग्राहक को संतुष्टि होती है।

बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे सभी काउंटर पर सीसीटीवी इस प्रकार लगाएं कि सभी क्षेत्र उसके दायरे में हों और ऐसे लोगों की पहचान की जा सके जो जाली नोट के प्रचलन को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। सीसीटीवी रिकार्डिंग को सभी बैंक अपने आंतरिक नीति के अनुसार सुरक्षित रखें यह भी ध्यान रखने की बात है।

जाली नोट प्रस्तुत किए जाने पर

जाली नोट को ग्राहक के खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही किसी भी परिस्थिति में जाली नोट ग्राहक को वापस नहीं किया जाना चाहिए। बैंक को प्रस्तुत जाली नोट को जब्त कर लेना चाहिए। जाली नोट पर इस आशय का मुहर लगाया जाना चाहिए। निर्धारित प्रारूप में इसकी जानकारी भरी जानी चाहिए। सभी जब्त नोटों को एक विशिष्ट पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए और अधिकारी के द्वारा इसे अधिकृत किया जाना चाहिए।

प्रस्तुतकर्ता को जाली नोट की प्राप्ति की रसीद भी दी जानी चाहिए। रसीद में क्रम संख्या रोकड़िया और प्रस्तुतकर्ता के द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए। सभी बैंकों की शाखाओं और कार्यालयों में इस संबंध में स्पष्ट रूप से सूचना प्रदर्शित करनी चाहिए। यदि प्रस्तुतकर्ता काउंटरसाइन करने के लिए तैयार नहीं भी है तो भी रसीद जारी की जानी चाहिए।

यदि एक ट्रांजेक्शन में जाली नोटों की संख्या चार तक है तो निर्धारित प्रारूप में महीने के अंत में पुलिस अधिकारी को संदिग्ध नोट के साथ रिपोर्ट की जानी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक बैंक के द्वारा जिला-वार नोडल अधिकारी नामित किया जाना चाहिए जो जाली नोट की पहचान से संबंधित क्रियाकलाप के लिए एकल संपर्क बिंदु का काम करेगा। उसी का दायित्व होता है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय और पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट करे। यदि जाली नोटों की संख्या पाँच या उससे अधिक है तो ऐसे नोटों को नोडल अधिकारी के द्वारा तुरंत पुलिस अधिकारी को या नोडल पुलिस स्टेशन को एफ़आईआर करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि इसकी जांच की जा सके। समेकित मासिक रिपोर्ट और एफ़आईआर को बैंक के प्रधान कार्यालय स्थित जाली नोट सतर्कता प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जाली नोट सतर्कता प्रकोष्ठ

प्रत्येक बैंक का यह दायित्व है कि वह अपने प्रधान कार्यालय में जाली नोट सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना करे। इस प्रकोष्ठ का कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी निर्देशों को अपनी शाखाओं/ करेंसी चेस्ट तक पहुंचाना होगा। साथ ही इन निर्देशों के पालन का अनुवर्तन करना भी इस प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी होगी। इसके अतिरिक्त जाली नोट से संबंधित डेटा का संकलन, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय आसूचना एकक (एफ़आईयू-इंडिया) एवं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को इसे प्रस्तुत करना, इसका कार्य होगा। इसके अतिरिक्त जाली नोट से संबंधित मामलों को पुलिस अधिकारी और नामित नोडल अधिकारी के साथ फॉलो-अप भी इसका काम होगा। संकलित की गई सूचना को बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ साझा करना तथा उसे जाली नोट से संबंधित सभी मामलों को रिपोर्ट करना भी इस प्रकोष्ठ का काम होगा। जिन करेंसी चेस्टों में जाली नोट पाए गए हैं उनका समय-समय पर औचक निरीक्षण करना भी इस प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी है। प्रत्येक करेंसी चेस्ट शाखाओं में उपयुक्त क्षमता की नोट छांटने वाली मशीन का परिचालन भी इस प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी है। साथ ही इन मशीनों के द्वारा जाली नोटों के पहचान और उससे संबंधित रिकॉर्ड का अनुवर्तन भी इस प्रकोष्ठ का काम है। इसी प्रकार यह सुनिश्चित करना कि एटीएम में सिर्फ उचित तरीके से छाँटे गए और मशीन से जाँचे गए नोट ही डाले गए हैं, इस प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी है। मार्च और सितंबर के अंत में अर्थात अर्धवार्षिक आधार पर यह प्रकोष्ठ निर्धारित प्रारूप में मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम विभाग को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट छमाही की समाप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर प्रस्तुत करनी होती है।

जाली नोट प्रस्तुत करने पर पुलिस अधिकारी से उसकी अभिस्वीकृति ली जानी चाहिए। बीमित पोस्ट के द्वारा भेजे गए जाली नोट के मामले में भी पुलिस की अभिस्वीकृति ली जानी चाहिए। पुलिस विभाग में भी इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी होते हैं। अभिस्वीकृति प्राप्त होने या एफ़आईआर के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी की सहायता ली जा सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग से नोडल पुलिस स्टेशन की सूची प्राप्त की जा सकती है।

साथ ही बैंकों को जाली नोट की पहचान के क्रम में कोई विशेष तरीका नजर आए तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक एवं पुलिस अधिकारी को सूचित करना चाहिए।

विभिन्न बैठकों यथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समति (एसएलबीसी), मुद्रा प्रबंधन पर स्थायी समिति (एससीसीएम), राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एसएलएससी) आदि की बैठकों में इसके बारे में नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। बैंकों के द्वारा जब्त किए गए जाली नोटों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय को भेजे गए विवरण में शामिल किया जाता है।

भारतीय दंड संहिता में जालसाज़ी (काउंटरफिटिंग) की परिभाषा में विदेश स्थित सरकार के द्वारा जारी नोट भी आते हैं। यदि पुलिस या किसी सरकारी अभिकरण के द्वारा कोई संदिग्ध विदेशी मुद्रा करेंसी नोट पर अभिमत मांगा जाता है तो उन्हें यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के इंटरपोल विंग से संपर्क करें।

भारत सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, (यूएपीए)1967 के तहत उच्च गुणवत्ता कूटकृत भारतीय मुद्रा के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 बनाया है। उच्च गुणवत्ता वाले जाली नोटों को तैयार करने, तस्करी, या परिसंचरण की गतिविधियों को विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम,1967 के तहत लाया गया है।

दंड का प्रावधान

बैंक जाली नोट की पहचान से संबंधित अनुपालन को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की अनियमितता पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। यदि बैंक जाली नोट को जब्त नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह जाली नोट के प्रचलन में लाने में जान बूझकर शामिल है और इस कार्य के लिए उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा दंडित किया जाता है।

करेंसी चेस्ट को जो विप्रेषण भेजा जाता है उसमें जाली नोट पाए जाने को भी बैंक के द्वारा जानबूझकर जाली नोट परिचालित करने का दोषी माना जाता है। ऐसे स्थिति में पुलिस अधिकारियों के द्वारा विशेष जांच पड़ताल की जाती है। साथ ही करेंसी चेस्ट के परिचालन को भी निरस्त किया जा सकता है।

कुछ परिस्थितियों में जाली नोट के मूल्य के बराबर के दंड दिए जाने का भी प्रावधान है। उदाहरण के लिए यदि जाली नोट गंदे (स्वाइल्ड) नोटों के रेमिटान्स में पाए गए हों। इसी प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अंकेक्षण और लेखा परीक्षण में करेंसी चेस्ट बैलेंस में जाली नोट पाया जाता है तो पाए गए जाली नोट के बराबर मूल्य का दंड लगाया जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

पुलिस अधिकारियों अथवा न्यायालयों के द्वारा वापस किए गए जाली नोटों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित तरीके से सेफ कस्टडी में रखना चाहिए और उसका रिकॉर्ड शाखा/करेंसी चेस्ट के द्वारा रखा जाना चाहिए। साथ ही इनकी जांच बैंक के ऑफिसर-इन-चार्ज के द्वारा अर्धवार्षिक अंतराल पर होनी चाहिए। इन्हें पुलिस अधिकारियों से प्राप्ति के बाद तीन वर्षों के लिए रखा जाना चाहिए। जो जाली नोट न्यायालय में विचाराधीन हों उन्हें न्यायालय के निर्णय के बाद तीन वर्ष तक संरक्षित रखना चाहिए। इस अवधि के बाद इन नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग को पूर्ण विवरण के साथ भेज देना चाहिए।

जाली नोट की समस्या बहुत ही गंभीर है, अतः रोकड़ विभाग में काम करने वाले हर कर्मचारी को बैंक नोट की सुरक्षा से संबंधित तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। जनता की जानकारी के लिए नोटों के सुरक्षा से संबंधित जानकारी शाखाओं में प्रदर्शित की जानी चाहिए। नियंत्रक कार्यालय और प्रशिक्षण केंद्र को असली नोट की पहचान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए ताकि वे जाली नोट के पहचान करने और उसे जब्त करने की प्रक्रिया के विशेषज्ञ बनें। भारतीय रिज़र्व बैंक इसके लिए बैंकों को प्रशिक्षक भी उपलब्ध करवाता है।

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं की जाली नोट की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका अर्थव्यवस्था पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली नोट की पहचान, उसे जब्त करने और रिपोर्ट करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।। सभी बैंक इन निर्देशों से अपने कर्मचारियों को अवगत करायें ताकि इस समस्या का डटकर सामना किया जा सके।

संदर्भ :

आरबीआई/डीसीएम/2024-25/115 डीसीएम (एफएनवीडी) सं.G4/16.01.05/2024-25 दिनांक 01अप्रैल 2024

https://paisaboltahai.rbi.org.in/

रेग्युलेटर की नज़र से

- ब्रिज राज

विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 अक्तूबर 2024 को सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागीगण को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश में भारतीय रिज़र्व बैंक के 01 जुलाई, 2015 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र का संदर्भ दिया गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 फरवरी 2024 को अधिसूचित 'बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक और दिशा-निर्देश' का भी संदर्भ दिया गया।

दिशा निर्देश के अनुसार जनसंख्या के सभी वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों सहित, डिजिटल भुगतान प्रणाली को तेजी से अपना रहे हैं। साथ ही, प्रभावी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी, यानी बैंक और अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता) को दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच के संदर्भ में अपने भुगतान प्रणालियों / उपकरणों की समीक्षा करने की सलाह दी गई। समीक्षा के आधार पर भुगतान प्रणाली प्रतिभागीगण आवश्यक संशोधन करें, ताकि उनकी सभी भुगतान प्रणालियाँ और उपकरणों का जैसे पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनें, दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा आसानी से उपयोग और प्रयोग की जा सकें।

मुख्य महाप्रबंधक, प्रवर्तन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

इस संबंध में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 फरवरी 2024 को अधिसूचित अभिगम्यता मानकों का भी सभी पीएसपी द्वारा, जहां लागू हो, पालन किया जाए। इस उद्देश्य के लिए संभावित समाधानों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाए कि संशोधन/संवर्द्धन से उनकी प्रणालियों के सुरक्षा पहलुओं से समझौता न हो। पीएसपी को अपने सिस्टम / डिवाइस, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है, का विवरण उक्त परिपत्र के जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही इसे प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन : भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अक्तूबर 2024 को उक्त विषय पर सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश के अनुसार देश में बैंकनोट सॉर्टिंग अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर 19 मार्च 2024 को 'भारत के राजपत्र' में बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) – 'IS 18663: 2024' के मानक को अधिसूचित किया है। मानक इस लिंक पर https://www.services.bis.gov.in/tmp/LITD42522283_07032024_1.pdf. उपलब्ध है। इस संबंध में सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि 01 मई 2025 से बैंक में केवल ऐसे ही एनएसएम मॉडल का उपयोग किया जाएगा, जो उक्त भारतीय मानक के अनुरूप हैं और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं।

बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 दिसंबर 2024 को उक्त विषय पर सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) को दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश में 1 जनवरी 2024 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र DOR.SOG (LEG).REC/64/09.08.024/2023-24 का संदर्भ दिया गया जिसके तहत बैंकों से यह अपेक्षित

है कि वे ऐसे खातों / जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं हुआ है; छात्रवृत्ति राशि और / या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) / इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) जमा करने के लिए खोले गए खातों को कोर बैंकिंग समाधान से अलग करें ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो; और इन खातों / जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएं।

इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के एक विश्लेषण के अनुसार कई बैंकों में निष्क्रिय खातों / अदावी जमा की संख्या उनकी कुल जमा राशि के सापेक्ष तथा साथ ही निरपेक्ष रूप से भी अधिक थी। इसके कारणों में या तो लंबे समय तक निष्क्रियता या ऐसे खातों में केवाईसी का लंबित अद्यतन / आवधिक अद्यतन शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ग्राहक निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क करते समय असुविधा का सामना करते हैं, जिसमें ग्राहक विवरण में अनजाने में हुई गलतियाँ जैसे नाम बेमेल होना आदि शामिल हैं। यह भी देखा गया कि कुछ बैंकों में केवाईसी के अद्यतन / आवधिक अद्यतन के लिए लंबित खातों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार ऐसे खातों में आगे के लेन-देन पर रोक लगा दी जाती है।

इसलिए, बैंकों को सूचित किया गया कि वे निष्क्रिय / फ्रीज़ किए गए खातों की संख्या को कम करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं और ऐसे खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को मोबाइल / इंटरनेट बैंकिंग, गैर-गृह शाखाओं, वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया आदि के माध्यम से केवाईसी के निर्बाध अद्यतन को शामिल करते हुए आसान और झंझट रहित बनाएं। हालांकि डीबीटी / ईबीटी आदि जैसी विभिन्न केंद्रीय / राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के खातों को उनके खातों में ऐसी डीबीटी / ईबीटी राशियों के निर्बाध जमा की सुविधा के लिए अलग किया जाना आवश्यक है, ऐसे मामले देखे गए हैं जहां ऐसे लाभार्थियों के खाते अन्य कारकों जैसे केवाईसी के लंबित अद्यतन / आवधिक अद्यतन के कारण फ्रीज़ कर दिए गए हैं।

बैंक ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकते हैं। बैंक निष्क्रिय / फ्रीज़ किए गए खातों को सक्रिय करने की सुविधा के लिए विशेष अभियान भी चला सकते हैं। इसके अलावा, बैंक आधार संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए आधार अद्यतनीकरण की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। साथ ही, एसएलबीसी को भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्थिति की सक्रिय निगरानी करें, ताकि ग्राहकों की असुविधा को न्यूनतम किया जा सके।

निष्क्रिय / फ्रीज़ किए गए खातों में कमी लाने में हुई प्रगति और इस संबंध में बैंकों द्वारा किए गए विशेष प्रयासों की निगरानी बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही से दक्ष पोर्टल के माध्यम से संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) को तिमाही आधार पर इसकी रिपोर्ट दें। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देश के तहत, परिपत्र की एक प्रति बोर्ड की सीएससी के समक्ष उसकी अगली बैठक में इस संबंध में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी योग्य कार्य योजना के साथ रखी जाएगी।

ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले ढांचे में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2024 को उक्त विषय पर सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक और सहभागी (बैंकों और गैर-बैंकों) को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश में 03 जनवरी 2022 (24 अगस्त 2023 तक अद्यतन) के परिपत्र आरबीआई परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस 1264/02-14-003/2021-2022, का संदर्भ दिया गया जिसके तहत ऑफ़लाइन मोड (ऑफ़लाइन ढांचा) में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सक्षम किया।

इस ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए ₹500 की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है और किसी भी समय भुगतान लिखत के लिए ₹2,000 की कुल सीमा निर्धारित की गई है। इस विषय पर, 09 अक्तूबर 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ भी आमंत्रित किया गया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि यूपीआई लाइट के लिए बताई गई सीमाएँ बढ़ाई जाएँगी। तदनुसार, ऑफ़लाइन ढांचे को अपडेट किया गया है जिसके

अंतर्गत यूपीआई लाइट की प्रति लेनदेन तथा कुल सीमा को बढ़ाकर ₹1,000 तथा 5,000 किया गया है। यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है, और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कृषि हेतु ऋण प्रवाह – संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 को उक्त विषय पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित) एवं सभी राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश के अनुसार विगत वर्षों में समग्र मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण, संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित, की मौजूदा सीमा को ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख प्रति उधारकर्ता कर दिया गया है।

तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक के कृषि ऋणों, संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित, के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति और मार्जिन संबंधी आवश्यकताओं का अधित्याग करें। साथ ही बैंकों को सूचित किया गया कि वे संशोधित निर्देशों को शीघ्रता से तथा किसी भी स्थिति में 1 जनवरी 2025 तक लागू करें और उपर्युक्त परिवर्तनों का पर्याप्त रूप से प्रचार – प्रसार करें।

तृतीय-पक्ष एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) तक पहुंच

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2024 को उक्त विषय पर सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंकों और गैर-बैंकों), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और सिस्टम प्रतिभागी को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश के अनुसार वर्तमान में, किसी बैंक खाते से / में यूपीआई भुगतान उस बैंक के या किसी तृतीय पक्ष के एप्लिकेशन प्रदाता के यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जा सकता है। हालाँकि, किसी पीपीआई से / में यूपीआई भुगतान केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके ही किया जा सकता है।

जैसा कि 05 अप्रैल 2024 को विकास और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, तृतीय-पक्ष यूपीआई एप्लीकेशनों के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से / में यूपीआई भुगतान सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। इससे पीपीआई धारक तृतीय-पक्ष यूपीआई एप्लीकेशनों के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से यूपीआई भुगतान करने/प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (एमडी-पीपीआई) पर 27 अगस्त 2021 को जारी मास्टर निदेश सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-479/ 02.14. 006 / 2021-22 में संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणालियों के लिए लाभार्थी बैंक खाता नाम लुक-अप सुविधा की शुरूआत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2024 को आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने वाले सभी बैंकों को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश के अनुसार वर्तमान में, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) और तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) प्रणालियाँ धन भेजने वाले को अंतरण शुरू करने से पहले लाभार्थी का नाम की पुष्टि करने में सक्षम बनाती हैं। इसी तरह, धन प्रेषक को आरटीजीएस या एनईएफटी प्रणाली का उपयोग करके लेनदेन शुरू करने से पहले लाभार्थी के बैंक खाते का नाम सत्यापित करने की सुविधा आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को यह सुविधा विकसित करने और सभी बैंकों को इसमें शामिल करने की सलाह दी गई है।

जो बैंक आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के भागीदार हैं, उन्हें अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध करानी होगी। यह सुविधा शाखाओं में लेन-देन करने के लिए आने वाले धन प्रेषकों को भी उपलब्ध होगी। सभी बैंक जो आरटीजीएस और एनईएफटी के सदस्य या उप-सदस्य हैं, उन्हें सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2025 से पहले यह सुविधा प्रदान करें।

वित्तीय बाजारों में एआईएफआई के रूप में एनएबीएफआईडी की प्रतिभागिता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 को सभी पात्र बाजार प्रतिभागियों को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा

निर्देश में 09 मार्च 2022 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ दिया गया जिसमें यह सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन तथा 21 सितंबर 2023 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (बासल III पूंजी ढांचे पर विवेकपूर्ण विनियम, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंड) दिशानिर्देश, 2023 के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) का अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाएगा, जो निर्दिष्ट करते हैं कि एआईएफआई, समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव) निदेश, 2022 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के अनुसार, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप और रेपो लेनदेन कर सकते हैं।

इस संबंध में, निम्नलिखित निदेशों को अद्यतन किया गया है, ताकि यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जा सके कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों में एनएबीएफआईडी को एआईएफआई के रूप में भाग लेने की अनुमति है:

i. मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव) दिशानिदेश, 2022; और

ii. पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 (28 नवंबर, 2019 को अद्यतित)।

उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2025 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों एवं जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश के अनुसार नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता / जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नामांकन सुविधा पर अनुदेश क्रमशः "बैंकों में ग्राहक सेवा"[1] पर मास्टर परिपत्र, "ग्राहक सेवा - यूसीबी"[2] पर मास्टर परिपत्र और "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016"[3] पर मास्टर निदेश में शामिल किए गए हैं। मौजूदा अनुदेशों में बैंकों को अधिदेशित किया गया है कि वे नामांकन सुविधा के लाभों का व्यापक प्रचार करें और इस संबंध में जमा खाताधारकों का मार्गदर्शन भी करें।

हालांकि, रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के क्रम में, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में जमा खातों में नामांकन उपलब्ध नहीं है। मृतक जमाकर्ताओं के जीवित बचे/परिवार के सदस्यों को असुविधा और अनावश्यक कष्ट से बचाने के लिए, हम सभी मौजूदा और नए ग्राहकों के, जिनके जमा खाते, सुरक्षित अभिरक्षा में सामग्रियाँ और सुरक्षा लॉकर, जो भी हों, उनका नामांकन प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। बोर्ड / बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) समय-समय पर नामांकन समावेशन की उपलब्धि की समीक्षा करेगी। इस संबंध में प्रगति की रिपोर्ट पर्यवेक्षित संस्थानों द्वारा 31 मार्च 2025 से शुरू करते हुए तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक के दक्ष पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

इसके अलावा, शाखाओं में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को नामांकन प्राप्त करने के साथ-साथ मृतक व्यक्तियों के दावों को उचित तरीके से संभालने और नामितियों / विधिक उत्तराधिकारियों से संव्यवहार के लिए उपयुक्त रूप से संवेदित किया जाए। खाता खोलने के फॉर्मों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए (यदि पहले से नहीं किया गया है), जिसमें ग्राहकों को नामांकन सुविधा का लाभ उठाने या छोड़ने का प्रावधान हो। साथ ही पर्यवेक्षित संस्थानों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों को सीधे अधिसूचित करने के अलावा, विभिन्न मीडिया के माध्यम से नामांकन सुविधा का उपयोग करने के लाभों का प्रचार करें, जिसमें सभी पात्र ग्राहक

---

[1] बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.21/09.07.006/2015-16 दिनांक 1 जुलाई 2015

[2] डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी) एमसी सं.15/12.05.001/2015-16 दिनांक 1 जुलाई 2015

[3] डीएनबीआर.पीडी.002/03.10.119/2016-17 दिनांक 25 अगस्त 2016 (10 अक्तूबर 2023 को अद्यतित)

खातों का पूर्ण समावेशन करने के लिए आवधिक अभियान चलाना भी शामिल है।

वॉयस कॉल और एसएमएस का उपयोग करके की जाने वाली वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम – नियामक निर्देश और संस्थागत सुरक्षा उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2025 को सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, सभी प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ताओं, सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आवास वित्त कंपनियों सहित), सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों, सभी भुगतान एग्रीगेटरों, सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों एवं सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश के अनुसार डिजिटल लेन-देन के प्रसार ने सुविधा और दक्षता प्रदान करने के साथ ही धोखाधड़ी में भी वृद्धि की है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है और इस पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ग्राहक का मोबाइल नंबर एक सर्वव्यापी पहचानकर्ता के रूप में उभरा है, जो खाता प्रमाणीकरण और सत्यापन प्रक्रिया में सहायक है, संवेदनशील भुगतान संचार प्राप्त करता है, जैसे कि ओटीपी, लेनदेन अलर्ट, खाता अपडेट आदि। हालाँकि, मोबाइल नंबर का कई तरह से घोटालेबाजों द्वारा ऑनलाइन और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी करने के लिए दुरुपयोग भी किया जा सकता है।

मोबाइल नंबरों के संभावित दुरुपयोग को कम करने के उद्देश्य से, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सलाह दी गई कि वे :

क) दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) पर उपलब्ध मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची (एमएनआरएल) का उपयोग अपने ग्राहक डेटाबेस की निगरानी और सफाई के लिए करें। धोखाधड़ी के जोखिम की निगरानी और रोकथाम को बढ़ाने के लिए, विनियमित संस्थाओं को आगे मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने की सलाह दी जाती है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई शामिल है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उचित सत्यापन के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर (आरएमएन) को अपडेट करना; इन निरस्त मोबाइल नंबरों से जुड़े खातों की बढ़ी हुई निगरानी ताकि लिंक किए गए खातों को मनी म्यूल के रूप में संचालित होने और / या साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने से रोका जा सके, आदि।

ख) डीआईपी को अपने कस्टमर केयर नंबरों का सत्यापित विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि दूरसंचार विभाग उन्हें "संचार साथी" पोर्टल (https://sancharsaathi.gov.in/) पर प्रकाशित कर सके। विवरण दूरसंचार विभाग के ईमेल adg.diu-dot@gov.in पर साझा किए जा सकते हैं।

ग) परिचालन में आने पर केवल '1600xx' नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग करके लेनदेन / सेवा कॉल करें; केवल '140xx' नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग करने वाले फ़ोन नंबरों के माध्यम से प्रचार वॉयस कॉल करें; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी और "वॉयस कॉल या एसएमएस के माध्यम से दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों" का पालन करें। आरई को ईमेल, एसएमएस और स्थानीय भाषाओं सहित अन्य तरीकों से इस संबंध में जागरूकता उपाय करने की भी सलाह दी जाती है। साथ ही सभी विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त अनुदेशों का शीघ्रता से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई।

सभी एजेंसी बैंक 31 मार्च 2025 (सोमवार) को जनता के लिए खुले रहेंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 2025 को सभी एजेंसी बैंकों को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2025 (सोमवार-सार्वजनिक अवकाश) को भारत सरकार ने सरकारी प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित बैंकों की सभी शाखाओं को लेनदेन के लिए खुला रखने का अनुरोध किया है जिससे प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का लेखा वित्त वर्ष 2024-25 में ही रखा जा सके। तदनुसार, एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया कि वह सरकारी कारोबार से संबंधित अपनी सभी शाखाएं दिनांक 31 मार्च 2025 (सोमवार) को खुली रखेंगे। साथ ही बैंकों को निर्देश दिया गया की इस दिन उपर्युक्त बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता कराने के लिए वे समुचित प्रचार करेंगे।

घूमता आईना (राष्ट्रीय खंड)

- डॉ. करुणेश तिवारी

श्री संजय मल्होत्रा बने भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर

श्री संजय मल्होत्रा, 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, ने 11 दिसंबर 2024 से अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। इस नियुक्ति से ठीक पहले, श्री मल्होत्रा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के सचिव थे, उससे पहले श्री मल्होत्रा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर थे।

अब बदल जाएँगे बैंकिंग के कई नियम

सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में 'बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024' लेकर आयी जिसमें बैंकिंग नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। कुछ प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं :-

क) कोविड काल के कटु अनुभवों से सबक लेते हुए बैंक खाते में नामांकन सुविधा अब बदल दी गयी है। अब जमाकर्ता अपने खाते में चार नामांकन कर सकता है। इसमें भी उसके पास दो विकल्प होंगे। पहला, successive nomination जिसमें खाताधारक की मृत्यु हो जाने के बाद शत-प्रतिशत राशि पहले नामांकित को मिलेगी और उसकी मृत्यु की स्थिति में ही अगले को और यह क्रम इसी प्रकार चौथे नामांकित व्यक्ति तक चलेगा। दूसरा विकल्प है, simultaneous nomination का जिसमें खाताधारक की मृत्यु के पश्चात वह सभी चार नामांकितों को अलग अलग प्रतिशत में धनराशि का हकदार घोषित कर सकेगा। लॉकर सुविधा के लिए केवल successive nomination किया जा सकेगा।

ख) निदेशकों के वोटिंग अधिकार संबंधी परिवर्तन भी किए गए हैं। बैंकिंग कंपनी का निदेशक वही होता है जिसके पास कंपनी में पर्याप्त हित (substantial interest) होता है। पर्याप्त हितधारक की परिभाषा अब संशोधित की गयी है। बैंकिंग कंपनी की प्रदत्त पूँजी (paid-up capital) में कम से कम ₹2 करोड़ की हिस्सेदारी होने पर ही पर्याप्त हितधारक माना जाएगा। पहले यह राशि ₹5 लाख थी।

ग) सहकारी बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति की अवधि को भी 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

घ) सांविधिक लेखा परीक्षकों को कितना पारिश्रमिक देना है, यह अब वाणिज्यिक बैंक स्वयं तय कर सकेंगे।

ङ) रिपोर्टिंग भी अब पहले की तरह महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को नहीं, बल्कि माह की 15 तारीख और अंतिम तारीख को करनी होगी।

आम बजट 2025: सूक्ष्म, लघु और मँझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 100 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना

विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई के लिए सरकार आम बजट 2025 में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आयी है जिसके तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (MLIs) को 60% क्रेडिट गारंटी ₹100 करोड़ तक के ऋण पर प्रदान की जाएगी। इसके लिए वही एमएसएमई पात्र होंगे जिनके पास उद्यम पोर्टल की वैध पंजीकरण संख्या है।

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

रिज़र्व बैंक ने गैर जमानती कृषि ऋण की सीमा बढ़ायी

देश के केंद्रीय बैंक ने घोषणा की है कि अब कोई भी उधारकर्ता ₹2.0 लाख तक का कृषि ऋण बिना किसी संपार्श्विक या जमानत के ले सकेगा। अब तक यह सीमा ₹1.6 लाख थी। ऐसा मुद्रास्फीति और कृषि-लागत में हुई वृद्धि के मद्देनज़र किया गया है। इससे किसानों को संसाधन जुटाने में सहूलियत होगी।

लगातार मजबूत होते डॉलर के बीच सोने की खरीद में रिकॉर्ड उछाल

दुनिया के कई देश अपना स्वर्ण भंडार बढ़ाने में लगे हैं। अक्तूबर 2024 के आंकड़े बताते हैं कि माह के दौरान की गयी 27 टन सोने की खरीद के बाद भारत का स्वर्ण भंडार 882 टन पहुंच चुका है। भारतवासियों का स्वर्ण के प्रति अतिरिक्त मोह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि इस 882 टन में से 510 टन भारत के भीतर ही है। वर्ष 2024 के दौरान भारत ने सर्वाधिक 77 टन सोना खरीदा जो 2023 की तुलना में पाँच गुना है। इस दौड़ में तुर्किए 72 टन के साथ दूसरे पायदान पर तो पोलैण्ड 69 टन के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

अब लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) भी दे सकेंगे डिजिटल उधार

देश की अधिक से अधिक जनता को औपचारिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की अपनी मुहिम की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों को यूपीआई के माध्यम से पहले से ही मंजूर ऋण (pre-sanctioned credit lines) ऑफर करने की अनुमति दे दी है। इससे पूर्व यह सुविधा प्रदान करने की अनुमति केवल वाणिज्यिक बैंकों को ही दी जाती थी।

ट्रेडिंग और सेटिलमेंट टाइमिंग की होगी समीक्षा

आरबीआई ने हाल ही में एक 09 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है जो ऑन-लाइन ट्रेडिंग और उसके निपटान में लगने वाले समय की समीक्षा करेगा जिससे वित्तीय बाज़ारों को अधिक दक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

राज्य वित्त पर रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट

वर्ष 2024-25 की इस रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक ने बताया है कि भारत की राज्य सरकारें समग्र रूप से सकल वित्तीय घाटे पर लगाम कसने में सफल रही हैं और यह जीडीपी के 3% के भातर ही रहा है जबकि बजट में इसके 3.2% रहने की संभावना व्यक्त की गयी थी। राजस्व घाटा वर्ष 2022-23 और 2023-24 की तरह ही जीडीपी का 0.2% रहा। पूँजीगत व्यय जीडीपी के 2.4% से बढ़कर 2.8% रहा जो इस बात का संकेत है कि राज्यों ने समग्र रूप से इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खर्च बढ़ाया है। बकाया देनदारियों में भी कमी आयी है। मार्च 2021 के 31% की तुलना में मार्च 2024 के अंत में यह घटकर 28% रह गयी है। यद्यपि, यह महामारी के पहले (मार्च 2029 के अंत) के स्तर 25.3% से अभी भी अधिक है जो चिंता का विषय है।

इसी प्रकार, राज्यों द्वारा दी जा रही सब्सिडी में हो रही लगातार वृद्धि पर इस रिपोर्ट में चिंता जतायी गयी है। इसमें कृषि ऋणों की माफ़ी, बिजली, पानी, रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी आदि का ज़िक्र किया गया है।

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था - विश्व बैंक

वैश्विक मंदी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारत और विश्व की अनेक प्रतिष्ठित रेटिंग इकाइयों की रिपोर्टों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 के दौरान 6.5% से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7% रहेगी। दूसरे स्थान पर चीन है जिसकी अर्थव्यव्स्था की रफ्तार वित्त वर्ष 2025 के 4.5% से थोड़ी सुस्त पड़ती हुई 2026 में 4.0% रहने की संभावना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) की रिपोर्ट 'World Economic Situation and Prospects, 2025' में दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6% की वृद्धि दर हासिल करेगी क्योंकि भारत में निजी उपभोग में पर्याप्त तेजी देखी जा रही है और निवेश में भी वृद्धि होने की संभावना है।

एशियन डेवेलपमेंट बैंक (एडीबी) ने भी भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान वर्ष 2025 और 2026 के लिए क्रमश: 6.5% और 7.0% व्यक्त किया है।

वर्ष 2026 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था - पीएचडीसीसीआई

भारत की प्रतिष्ठित संस्था पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने वित्त वर्ष 2025 और 2026 के लिए

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमशः 6.8% और 7.7% रहने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए कहा है कि वर्ष 2026 के अंत तक भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1905 में नई दिल्ली में स्थापित पीएचडीसीसीआई भारत में व्यापार, उद्योग और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली गैर-सरकारी एवं अलाभकारी संस्था है।

वित्तीय समावेशन – कहाँ तक पहुंचे हैं हम – नाबार्ड ने जारी की वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट

आर्थिक संवृद्धि और विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ग्रामीण भारत के वित्तीय समावेशन के महत्त्व और उसकी भूमिका को देखते हुए नाबार्ड ने अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफ़आईएस) की शुरुआत कृषि वर्ष 2016-17 (जुलाई से जून) से की थी जिसकी रिपोर्ट अगस्त 2018 में प्रकाशित की गयी थी।

बीते अक्तूबर 2024 माह में एनएएफ़आईएस के दूसरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह मुख्य रूप से 2016-17 के बाद के पाँच वर्षों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और वित्तीय विकास के लिए किए गए प्रयासों का आकलन भिन्न-भिन्न संकेतकों के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह कोविड और उसके तत्काल बाद की अवधि से संबंधित है। इस रिपोर्ट में देश के 28 राज्यों और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 01 लाख हाउसहोल्ड्स से प्राप्त प्राइमरी डाटाबेस के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। कृषि वर्ष 2016-17 के बाद से कृषि वर्ष 2021-22 तक की पाँच वर्षों की अवधि में जो बदलाव आए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:-

1. हाउसहोल्ड्स की औसत मासिक आय में 57.6% की वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2021-22 में ₹12,698 हो गया है।
2. हाउसहोल्ड्स का औसत मासिक खर्च लगभग 80% बढ़कर ₹11,262 हो गया है।
3. हाउसहोल्ड्स में वित्तीय बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
4. ग्रामीणों को ऋण सुविधा दिलाने में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की भूमिका उल्लेखनीय रही है। कुल मिलाकर 44% हाउसहोल्ड्स के पास वैध केसीसी पाया गया।
5. ऐसे हाउसहोल्ड्स की संख्या में भारी इज़ाफ़ा हुआ है जिनमें कम से कम एक सदस्य के पास बीमा की सुरक्षा है। यह आंकड़ा 2016-17 के 25.5% से बढ़कर 2021-22 में 80.3% हो गया है।
6. पेंशन कवरेज़ में भी वृद्धि देखी गयी है।
7. वित्तीय साक्षरता में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 के 33.9% की तुलना में वर्ष 2021-22 में 51.3% लोग वित्तीय रूप से साक्षर पाए गए।

अनेक अन्य बातों के साथ-साथ रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आम जनता के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए चलायी गई कल्याणकारी योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सेबी की पहल : भारतीय प्रतिभूति बाजार की विरासत को 'धरोहर' के रूप में सँजोने की

भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक व्यापक डिजिटल ज्ञान भंडार "धरोहर - भारतीय प्रतिभूति बाजार में मील के पत्थर" का अनावरण किया। सेबी की यह डिजिटल रिपोजिटरी 3,000 से अधिक संसाधनों के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार के विकास को प्रदर्शित करती है।

सेबी का मित्र (एमआईटीआरए)

अपने निष्क्रिय पड़े और अदावित म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाना और उस पर दावा करना अब आसान बन गया है क्योंकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अब निवेशकों के लिए एक नया डिजिटल प्लैटफॉर्म लेकर आया है। सीएएमएस और केएफ़आईएन टेक्नॉलोजीज़ द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है और यह डिजिटल प्लैटफॉर्म केवाईसी अनुपालन को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

साइबर ठगी के विरुद्ध मजबूत गठजोड़

विश्व के कुल डिजिटल भुगतान में भारत की हिस्सेदारी अब 46% तक पहुंच गयी है। परंतु, इस उपलब्धि का एक दूसरा पहलू भी है। अब हम पर साइबर खतरों का डर पहले से कहीं ज्यादा है। इसी को लक्ष्य करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने टेक फर्म

रेज़रपे (Razorpay) और I4C **(इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशनसेंटर)** के साथ मिलकर साइबर खतरों से निपटने की योजना बनायी है। इसके तहत साइबर सुरक्षा से जुड़े जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँगे।

साइबर खतरों से बचने की दिशा में कदम – अब .com की जगह .in

बैंकिंग और वित्तीय जगत में साइबर सुरक्षा के लिए लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए सरकार और विनियामक संस्थाएँ प्रयासरत हैं। डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए नये-नये चैटबॉट्स लाना या यूपीआई पिन से स्पेशल कैरेक्टर को हटाते हुए उसे अल्फान्यूमरिक बनाना ऐसे ही प्रयास रहे हैं। हाल ही में, बढ़ती फिशिंग की घटनाओं के मद्देनज़र अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों को एक **विशेष डिजिटल डोमेन नेम** दिया जाएगा जो bank.in होगा न कि bank.com या bank.co.in आदि। इससे नकली वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी करना बहुत कठिन हो जाएगा। आगे चलकर बैंकों से इतर वित्तीय संस्थाओं को भी नया डोमेन नेम fin.in दिया जाएगा।

फर्जी फोन कॉल के ज़रिए हो रही धोखाधड़ी और ग्राहकों की असुविधा को रोकने के लिए आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बैंकों को निदेश दिया है कि लेनदेन से जुड़ी फोन कॉल के लिए वे केवल 1600XXXX सीरीज़ के फोन नंबर का ही इस्तेमाल करें। इसी प्रकार, अपने बैंकिंग उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए बैंक/ अन्य विनियमित इकाइयों द्वारा अब केवल 140XXXX सीरीज़ उपयोग में लायी जानी है।

बैंकिंग प्रौद्योगिकी : सीबीडीसी को मिला पहला वित्तीय प्लैटफॉर्म – क्रेड (CRED) ने लांच किया e₹ वालेट का बीटा वर्शन

भारतीय रिज़र्व बैंक और येस बैंक के साथ साझेदारी करते हुए क्रेड केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीसीडी) e₹ को अपनाने वाला देश का पहला वित्तीय प्रौद्योगिकी प्लैटफॉर्म बन गया है। भारत के वित्तीय क्षेत्र के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्रेड के इस वालेट के उपयोगकर्ता e₹ को स्टोर भी कर सकेंगे और इसमें लेन-देन भी। यह एंड्रॉइड और आईओएस दोनो प्लैटफॉर्मों के लिए उपयुक्त है।

उल्लेखनीय है कि क्रेड एक ऐसा फिनटेक प्लैटफॉर्म है जो अपने सदस्यों को एक से ज्यादा क्रेडिट कार्डों को मैनेज करने की सहूलियत देता है और साथ ही,उनके द्वारा समय से किए गए क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के बदले खास तरह के ऑफ़र भी देता है और प्रीमियम अनुभव भी। यह अपने सदस्यों के क्रेडिट स्कोर के विश्लेषण की सुविधा भी देता है।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में एआई की लगातार बढ़ती उपस्थिति

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का लाभ लेना अब बैंकिंग जगत के लिए आम बात होती जा रही है। प्राय: हर सप्ताह हमें किसी न किसी बैंकिंग और वित्त जगत की संस्था का कोई नया एआई आविष्कार देखने को मिल जाता है। हाल ही में एलएंडटी फाइनेंस ने एआई से लैस आवास ऋण परामर्शदाता केएआई (Knowledgeable Artificial Intelligence) का शुभारम्भ किया।

चेक (CheQ) कंपनी लेकर आयी है भारत का पहला एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट - वाइज़र

लोग अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा दक्षता के साथ कर सकें, इसके लिए जनवरी 2025 में चेक (सीएचईक्यू) जो कि एक अग्रणी ऋण प्रबंधन प्लैटफॉर्म है, ने एआई की सहायता लेते हुए CheQ Wisor लांच किया है जो देश का पहला एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट है। यह क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं को उनकी निजी ज़रूरतों के अनुसार जानकारी मुहैया कराएगा, आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराएगा और खर्चों के उपयोग का विश्लेषण करते हुए कई प्रकार के इनपुट देगा। इससे वे क्रेडिट कार्ड का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे।

घूमता आईना (अंतरराष्ट्रीय खंड)

- डॉ गौतम प्रकाश

(1) बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 'डिजिटल पाउंड' का खाका प्रकाशित किया

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जनवरी 2025 में एक दस्तावेज़ साझा किया जिसमें खुदरा लेन-देन के लिए बनाई जानेवाली 'डिजिटल पाउंड' की संरचना से संबन्धित विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यद्यपि यह निर्णय अभी होना बाकी है कि देश में 'डिजिटल पाउंड' को हरी झंडी मिलेगी या नहीं, तथापि उसकी संरचना पर काम शुरू किया जा चुका है। बैंक ने पारदर्शिता को महत्व देने के लिए इस दस्तावेज़ को जनता के समक्ष रखा। इसमें इन बिन्दुओं पर चर्चा की गई है - 'डिजिटल पाउंड' के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? उसका विनियमन किस प्रकार होना चाहिए? उससे संबन्धित तकनीकी विकल्प क्या-क्या हैं? और उसका परिचालन कैसे करना श्रेयस्कर होगा? बैंक ने यह नहीं बताया कि संरचना पर विचार का काम कब समाप्त हो सकेगा, हालांकि फरवरी 2023 में, जब संरचना पर विचार प्रारम्भ हुआ था, तब यह माना जा रहा था कि वर्ष 2025 तक देश में 'डिजिटल पाउंड' व्यवहार में लाया जा सकेगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 'डिजिटल पाउंड' तभी सच्चाई में तब्दील हो सकेगा जब देश की संसद उसे मंजूरी देगी – यह निर्णय केवल केंद्रीय बैंक के ऊपर निर्भर नहीं है।

महाप्रबंधक, प्रवर्तन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

(2) मलेशिया में केंद्रीय विवाद समाधान सेवा

हाल ही तक मलेशिया में वित्तीय सेवाओं के लिए एक लोकपाल हुआ करता था और प्रतिभूति बाज़ार से संबन्धित सेवाओं के लिए एक अन्य विवाद समाधान केंद्र हुआ करता था, परंतु जनवरी 2025 में इन दोनों को एकीकृत कर दिया गया, जिसे 'वित्तीय बाज़ार लोकपाल सेवा' की संज्ञा दी गई। इसमें बीमा सेवाओं से संबन्धित विवाद भी दायर किए जा सकेंगे। यह सब इस लिए किया गया ताकि वित्तीय सेवा कंपनियों के ग्राहकों व निवेशकों को विवाद समाधान में सहूलियत मिल सके। यह सेवा देश के केंद्रीय बैंक (बैंक नेगारा मलेशिया) और प्रतिभूति बाज़ार कमीशन दोनों के नियंत्रण में काम करेगी। उम्मीद की जा रही है कि नई संस्था विवाद समाधान को और भी गतिशील, प्रभावशाली और पारदर्शी बना सकेगी। जिन विवादों को इस संस्था के समक्ष लाया जा सकेगा वे मलेशियन रिंगिट 2.5 लाख तक के हो सकते हैं (यह सीमा भी पहले से बढ़ाई गयी है)। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने बताया कि देश में धोखाधड़ी के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जिनमें अनेक मासूम लोगों का भारी नुकसान हो रहा है – इस सब को ध्यान में लेते हुए एकीकरण का निर्णय लिया गया।

(3) बांग्लादेश में भूतपूर्व केंद्रीय बैंक उप-गवर्नर की गिरफ्तारी

जनवरी माह में बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के उप-गवर्नर रह चुके श्री सितांग्शु कुमार सूर चौधुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कार्यकाल वर्ष 2018 तक रहा था। उन पर आय से अधिक संपत्ति संचित करने का इल्ज़ाम है। देश के भ्रष्टाचार विरोधी कमीशन ने ढाका की एक अदालत को एक याचना के द्वारा सूचित किया कि उनके द्वारा बताए जाने पर भी श्री सूर चौधुरी ने अपनी आय के स्रोतों के बारे में जानकारी नहीं दी – इस पर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश को जारी कर

दिया। उनकी गिरफ्तारी ढाका के हज़रत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हुई। बांग्लादेश बैंक के वर्तमान गवर्नर ने कहा है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में रसूख वाले कुछ लोगों ने देश की वित्तीय व्यवस्था में सेंध लगाने का काम किया परंतु अब इस विषय में उचित कदम लिए जा रहे हैं।

(4) जर्मनी के केंद्रीय बैंक ने 'एक्स' से विदाई ली

सोशल मीडिया का वह प्लैटफ़ार्म जिसे पहले 'ट्विट्टर' के नाम से जाना जाता था, वह अब 'एक्स' हो गया है। इसके स्वामी अब श्री ईलोन मस्क हैं, जो कि वर्तमान में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते हैं। जनवरी माह में जर्मनी के केंद्रीय बैंक (डोएशे बूंडेस बाँक) ने ऐलान किया कि वे इस प्लैटफ़ार्म पर अब कोई जानकारी साझा नहीं करेंगे। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि प्लैटफ़ार्म पर वार्तालाप का स्तर ऐसा होता जा रहा है, जो कि उन्हें स्वीकार्य नहीं लगता है। उन्होंने यह भी बताया कि वे लिंक्डइन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक और यू-ट्यूब पर सक्रिय रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बैंक की यह तीखी प्रक्रिया इस कारण दिखी क्योंकि दिसंबर 2024 में श्री मस्क ने जर्मनी की एक राजनैतिक पार्टी, 'जर्मनी के लिए विकल्प', के समर्थन में 'एक्स' पर कुछ व्यक्त किया था। जर्मनी में इस पार्टी को चरमपंथी माना जाता है। महादेश के अन्य केंद्रीय बैंकों का क्या रवैया होगा, यह देखना अभी बाकी है। इस समय तो कुछ भी साफ नहीं है। यह भी देखा जा रहा है कि एक अन्य सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म – ब्लूस्काई – जो कि ट्विट्टर से ही निकला है, वह यूरोप में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है और महाद्वीप के तकरीबन सभी केंद्रीय बैंक उस पर सक्रिय हैं। इन में से एक जर्मनी का केंद्रीय बैंक भी है।

(5) इथियोपिया केंद्रीय बैंक के सुधारों को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सराहना

इथियोपिया में व्यापक आर्थिक एवं विदेशी मुद्रा बाज़ार से संबन्धित सुधार किए गए हैं जिससे लचीले विनिमय दर की तरफ बढ़ने में मदद मिली है। इस सब से गैर मान्यता-प्राप्त बाज़ार के मुक़ाबले मान्यता-प्राप्त विदेशी मुद्रा बाज़ार में दरें करीब-करीब एक जैसी होती दिख रही हैं और मान्यता-प्राप्त विदेशी मुद्रा बाज़ार में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति भी बढ़ी है। ज्ञात रहे कि जुलाई 2024 से पूर्व नेशनल बैंक ऑफ इथियोपिया मुद्रास्फीति से मुक़ाबला करने के लिए पैसे की आपूर्ति को लगाम में लिया करती थी परंतु सुधार के बाद ब्याज-दर पर आधारित मुद्रा नीति को अपनाया गया है। देश में महंगाई की दर तकरीबन 17% है जबकि नीतिगत ब्याज की दर 15% है, जिसके कारण वास्तव में ब्याज दर नकारात्मक (नेगेटिव) है – इस चीज़ में सुधार लाना अत्यावश्यक है, ऐसा आईएमएफ़ ने बताया है। इथियोपिया लगभग दो वर्षों के गृह युद्ध से बाहर निकला है और उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है।

(6) वियतनाम में वित्तीय स्थिरता के लिए बैंकों पर केंद्रीय बैंक की पैनी नज़र

स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम ने हाल ही में दो सशक्त वाणिज्यिक बैंकों को दो निशक्त बैंकों को अपने में सम्मिलित करने का हुक्म दिया है। इस निर्णय के पीछे मकसद है देश में आर्थिक स्थिरता, वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था में संतुलन को बहाल करना। केंद्रीय बैंक ने जानकारी दी कि जिन बैंकों का विलय होने जा रहा है, वे निढाल हो चुके थे और जो बैंक इन्हें अपने में सम्मिलित करने जा रहे हैं, वे सक्षम एवं अनुभवी हैं और यह उनके लिए अपने व्यापार को बढ़ाने का एक उत्तम अवसर साबित हो सकेगा। निढाल हो चुके बैंकों के निवारण का काम देश में पिछले वर्षों निरंतर किया जा रहा है। वर्ष 2024 के अप्रैल माह में एक वाणिज्यिक बैंक में धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें अदालत ने एक प्रमुख व्यवसायी को सज़ा-ए-मौत सुनाई थी; कुछ पूर्व केंद्रीय बैंक अधिकारियों को कारागार भेजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि महामारी के कारण बड़ी कंपनियाँ मुश्किलों से घिर गयी हैं औए वर्ष 2022 में निर्यात में भारी गिरावट आने से, स्थितियाँ और भी गंभीर हो गई हैं। क्योंकि बैंकों ने इन कंपनियों को ऋण दिया हुआ है, उनकी स्थिति भी डावांडोल होती दिख रही है। आईएमएफ़ ने स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के हालिया कदमों को उचित बताया है।

(7) इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक के यू-ट्यूब पेज की हैकिंग

21 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक के यू-ट्यूब पेज की हैकिंग हो गई – वहाँ बिटकोइन से संबन्धित सामग्री दिखाई जाने लगी। यह सब लगभग सुबह 08:15 को प्रारम्भ हुआ और 45 मिनटों तक चलता रहा। बैंक के प्रतीक चिन्ह (लोगो) की जगह एक क्रिप्टो मुद्रा कंपनी (माइक्रो स्ट्रटेजी) का प्रतीक चिन्ह दिखने लगा। देश में हैकिंग की घटनाएँ बहुत हो रही हैं। ध्यान देने योग्य है कि इंडोनेशिया में क्रिप्टो मुद्रा को क्रय-विक्रय में इस्तेमाल की जानेवाली मुद्रा का दर्जा नहीं प्राप्त है। देश का केंद्रीय बैंक (बैंक इंडोनेशिया) एक डिजिटल मुद्रा बनाने में लगा हुआ है, जिसका नाम रूपियाह डिजिटल बताया जा रहा है। इस समय रूपियाह डिजिटल का विभिन्न संदर्भों में परीक्षण किया जा रहा है।

(8) चीन में नियामक संस्थाओं ने घरेलू शेयर बाज़ार में निवेश करने को कहा

चीन में देश के वित्त मंत्रालय एवं पाँच अन्य नियामक संस्थाओं (जिसमें केंद्रीय बैंक भी शामिल है) ने म्यूचुअल फ़ंड और सरकारी बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि वे घरेलू शेयर बाज़ार में निवेश बढ़ाएँ, ताकि इस बाज़ार में संतुलन स्थापित किया जा सके। सरकारी बीमा कंपनियों को वर्ष 2025 से यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके नए बीमा पॉलिसी धारकों से प्राप्त राशि का कम-से-कम 30% घरेलू शेयर बाज़ार में निवेश हो। म्यूचुअल फ़ंड वालों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके घरेलू शेयर बाज़ार में निवेशित धन में प्रति वर्ष 10% की बढ़त हो। इसके अतिरिक्त, अपने ही शेयर को बाज़ार से खरीदने के लिए कंपनियों को ऋण की सुविधा मुहैया की जा रही है, जिससे शेअर बाज़ार में मांग पक्ष सशक्त हो सकेगा।

(9) श्रीलंका में अपस्फीति

अर्थव्यवस्था में यदि कीमतों में व्यापक गिरावट देखी जाए, तो उसे “अपस्फीति” कहते हैं। यह स्थिति “मुद्रास्फीति” के बिलकुल विपरीत होती है। श्रीलंका में सितंबर 2024 से ही अपस्फीति देखी जा रही है और देश के सदन को एक रिपोर्ट के माध्यम से वहाँ के केंद्रीय बैंक ने बताया है कि इस स्थिति से निजात वर्ष 2025 के मध्य तक ही मिल पाएगा। नवंबर 2024 में महंगाई की दर -2.1% थी जिसमें दिसंबर माह तक थोड़ा सुधार हुआ था, जब वह -1.7% हो गई थी। इसका मुख्य कारण आपूर्ति पक्ष को बताया गया है – साथ ही देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा बाज़ार में उछाल हुआ है, जिससे चीज़ें आयात करना आसान हो गया है और इसके कारण घरेलू निर्माताओं को अपनी कीमतें कम करनी पड़ रही हैं। देश के केंद्रीय बैंक के लिए निर्धारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य 5% है।

(10) भविष्य में “यूरो” मुद्रा कैसी दिखेगी?

यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) भविष्य में “यूरो” मुद्रा में क्या चित्र दिखे, इस पर विचार कर रहा है। अभी खास चित्रों पर निर्णय होना बाकी है, परंतु मोटे तौर पर किस विषय की तस्वीरें होंगी, यह तय कर लिया गया है। पहला विषय है – ‘यूरोपीय संस्कृति’, जिसमें परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनसे संबन्धित स्थान और संस्कृति से संबन्धित दिग्गजों को दर्शाया जा सकता है। दूसरा विषय है – ‘अनेकता में शक्ति’, जिसमें महाद्वीप की नदियां एवं पक्षी दर्शाए जा सकते हैं। बैंक के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में भी नगद की महत्ता बनी रहेगी, ऐसा बैंक का मानना है, इसीलिए बैंक नोटों के डिज़ाइन पर इतना ध्यान दे रही है। ईसीबी निकट भविष्य में एक डिज़ाइन स्पर्धा का ऐलान करेगी और इसके द्वारा मुद्रा के अंतिम स्वरूप पर निर्णय हो सकेगा। स्पर्धा के लिए एक निर्णायक मण्डल होगा जो कि ईसीबी के बोर्ड सदस्यों से गठित होगा।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

सदस्यता फार्म

प्रबंध संपादक
'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

महोदया/महोदय,

मैं तीन वर्षों के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक (यदि पहले से सदस्य हैं) : ____________________

नाम(स्पष्टअक्षरोंमें):श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी____________________

पता (स्पष्ट अक्षरों में) :____________________

____

केंद्र____________________ पिन कोड ____________________

मोबाइल नं. ____________ टेलीफोन नं. (कार्यालय) ____________ निवास____________

फैक्स नं. ____________________ एसटीडी कोड ____________________

ई मेल पता : ____________________

दिनांक : ____________

भवदीय/या

(हस्ताक्षर)

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए।

बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाजार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यालय स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा-बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण, मौलिक रूप से लिखे लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदये देने की व्यवस्था है। लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

1. क. आपके द्वारा भेजा गया लेख बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। यह भी सुनिश्चित करें कि लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।

   ख. लेख में किसी समसामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर, समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।

   ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।

   घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।

   ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।

2. लेख में नवीनतम और अद्यतन तथ्यों एवं आँकड़ों का उपयोग करें और उनके स्रोत/संदर्भ/वेबपेज/साइट/लिंक आदि का एकदम स्पष्ट उल्लेख करें।

3. क. लेख न्यूनतम 05 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड मंगल फॉन्ट (12 प्वाइंट) में ही टंकित हों। शब्द संख्या 3000 तक सीमित रखें। पीडीएफ़ के साथ वर्ड फ़ाइल भी संलग्न करें।

   ख. वह कागज की एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।

   ग. लेख में यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों। भाषा सरल-सहज हो और व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियाँ बिल्कुल न हों।

   घ. लेख **rajbhashaco@rbi.org.in** नामक ई-मेल आईडी पर ही भेजने की व्यवस्था की जाए।

4. इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

5. लेखक अपने पत्राचार का पता, फोटो, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन अक्तूबर 2024 - मार्च 2025
पंजीकरण संख्या: **47043/88**